हरियाणा विधान सभा
की
कार्यवाही

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

10 सितम्बर, 2013

खण्ड-2, अंक-3

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 10 सितम्बर, 2013

	पृष्ठ संख्या
संस्कार वैली पब्लिक स्कूल, पटवापुर गढ़ी, रोहतक के विद्यार्थियों तथा अध्यापकों का अभिनंदन	(3) 1
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3) 1
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(3) 13
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3) 13
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-	(3) 19
1999-2005 के बीच सरकारी सम्पत्तियों के विभिन्न न्यासों को स्थानान्तरण करने में हुई अनियमितताओं/अवैधताओं संबंधी	
वक्तव्य-	
उद्योग मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी	(3) 19
सदन के कार्यक्रम का परिवर्तन	(3) 63

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-

(i) सरकारी/सरकारी उपक्रमों तथा स्थानीय निकायों के अधीन नौकरियों के साथ-साथ सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण/तकनीकी/व्यावसायिक संस्थानों में दाखिले में आरक्षण दिए जाने संबंधी (3) 64

वक्तव्य-

उद्योग मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी (3) 66

(ii) राज्य में खाद्य सुरक्षा विधेयक प्रारम्भ करने तथा उस पर लाभानुभोगियों की सूची तैयार करने के लिए मापदण्ड संबंधी (3) 80

वक्तव्य-

राजस्व मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी (3) 82

अनुपस्थिति के संबंध में सूचना (3) 101

सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र (3) 101

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 10 सितम्बर, 2013

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हॉल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रात: 10.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कुलदीप शर्मा) ने अध्यक्षता की।

संस्कार वैली पब्लिक स्कूल पटवापुर गढ़ी, रोहतक के विद्यार्थियों तथा अध्यापकों का अभिनन्दन

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, आज आपकी अनुमति से दर्शक दीर्घा में संस्कार वैली पब्लिक स्कूल, पटवापुर गढ़ी, रोहतक के बच्चे और उनके अध्यापकगण विधान सभा की कार्यवाही को देखने के लिए आये हैं। विधान सभा के सदन के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी और विधान सभा के सभी सदस्यों की ओर से मैं उनका स्वागत करता हूं तथा बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना भी करता हूं।

Mr. Speaker : We welcome all the students coming from the schools alongwith their teachers.

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members. Now the Questions Hour.

Total Number of Quacks

***1552. Prof Sampat Singh :** Will the Health Minister be pleased to state whether any survey have been conducted to find out the number of quacks running illegal clinics and playing with human lives; if so, the total number of such quacks, if not, whether the Government intends to conduct such survey?

स्वास्थ्य मंत्री (राव नरेन्द्र सिंह) : जी, नहीं।

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही स्ट्रैन्ज बात है कि क्वैक्स का कोई सर्वे नहीं किया है, who are playing with the lives of the people. आप देखते हैं कि किस तरह से क्वैक्स काम करते हैं। सरकार सर्वे करवाये या फिर सर्वे करे हुए लोगों का एग्जाम ले और उनको किसी कम्पाउंडर के रूप में या लैब टैक्नीशिएन के रूप में रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट दे। जैसे उनको जो पहले स्कील्ड नहीं हैं हम स्कील्ड मैन पावर के रूप में तैयार करते हैं तो आप पहले उनको भी स्कील्ड बनाओ। अगर आपके पास ये नम्बर भी नहीं हैं कि गाँवों में झोला छाप डाक्टर कितने हैं, कितने क्वैक्स हैं जो लोगों की लाइफ के साथ प्ले कर रहे हैं तो फिर आप उनका क्या कर सकते हैं? उनकी जानकारी सरकार के पास होनी चाहिए। It is a very sorry state of affairs. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या आप इस प्रकार का सर्वे गाँवों में करवायेंगे ? दूसरा, जो आपने गाँवों में वैन चलाने का काम किया है वह बहुत अच्छा काम है।

[प्रो० सम्पत सिंह]

अगर कोई टेलीफोन करता है तो वह वैन आधे घण्टे के अन्दर पहुंच जाती है। उन वैनों पर जो मरीज के साथ क्वैक्स जाता है वह मरीज को उसी डाक्टर के पास ले जाता है जहां पर उसको कमीशन मिलता है। इससे लोग लुट रहे हैं। उस मरीज का एक दिन का दाखला होता है लेकिन उसको कई दिन रख लेते हैं और बिल बनाते रहते हैं वहां पर मरीज के ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। फिर हमारे पास उनका टेलीफोन आता है कि हमारे मरीज को छुट्टी दिलाओ क्योंकि उस डाक्टर ने तो एक लाख रुपये का बिल बना दिया है। इस तरह के हालात इन क्वैक्स ने बना रखे हैं। इन क्वैक्स पर आपको गौर करना चाहिए। क्या इन पर आप गौर करेंगे, क्या इन पर आप कंट्रोल करेंगे? क्या इनका कोई नियमित रूप से कोई टैस्ट या एग्जाम लेकर सर्टीफिकेट देने का काम करेगें या इनके लिए कोई पैरामीटर फिक्स करेंगे ?

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री सम्पत सिंह जी की चिन्ता वाजिब है। इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक सरकार का प्रश्न है इस बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि इस विषय के लिए पहले ही दिनांक 3.1.2012 को नोटिफिकेशन के माध्यम से सभी सिविल सर्जन्ज को निर्देश दिए हैं और उनके तहत कार्यवाही भी की गई है। इस बारे में सरकार ने छापे भी मारे हैं और उनमें कुछ एफ.आई.आर. भी लॉज हुई हैं। इसके अलावा कुछ केसिज कोर्ट में पैंडिंग भी हैं। कुछ की इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से पूरे प्रयास किये गये हैं। सभी सिविल सर्जन्ज को आदेश हैं कि वे इस मामले में सख्त कार्रवाई करें। ऐसे लोग जो रजिस्टर्ड नहीं हैं जिनके पास कोई अथोराईज्ड डिग्री नहीं है वे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। उनको किसी मानव जीवन से खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार इस विषय पर पूरी गम्भीर है और मैं समझता हूं कि इसका असर पहले से ज्यादा हुआ भी है। जो लोग इललीगल क्वैक्स चला रहे हैं उनको रजिस्टर्ड करने का प्रोवीजन सरकार का नहीं है। एम.बी.बी.एस. एलोपैथी, होम्योपैथी, एम.एस. या दूसरी डिग्री वालों को तो हम रजिस्टर्ड कर सकते हैं लेकिन अनअथोराइज्ड क्वैक्स को रजिस्टर्ड करने का कोई कानून नहीं है।

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब अभी अधूरा आया है। गवर्नमैंट के एफर्टस और हैल्थ मिनिस्टर के एफर्टस को मैं एप्रीशिएट करता हूं। इन्होंने केस दर्ज किए हैं और छापे डाले हैं जो बहुत अच्छा काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहता कि इन इललीगल क्वैक्स को रैगुलर करें। मैंने तो आइडिया दिया था कि अगर पोसिबल हो तो इनको ट्रेनिंग देकर इनकी स्किल डिवैल्पमैंट करें क्योंकि ये लोग और स्टेट्स से सर्टिफिकेट ले आते हैं। आर.एम.पी. की डिग्री दूसरी स्टेट्स से मिल जाती हैं और लोग वहां से डिग्री लाकर हरियाणा में काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको पता है और मुख्यमंत्री महोदय जी को भी पता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे यहां पहले नहीं थे और अब आपने इजाजत दे दी है तो बहुत से इंजीनियरिंग कालेज हमारे यहां आ गए हैं, नहीं तो पहले हमारे यहां के लोग साउथ में लुटते थे। प्राइवेट मैडीकल कॉलेज भी हमारे यहां नहीं थे लेकिन अब हरियाणा में मैडीकल कालेज आ गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि नेशनल डिवैल्पमैंट काउंसिल जो गवर्नमैंट आफ इंडिया के अंडर आती है, उसके यहां से यदि इस बारे में कोई ऐसी मदद मिल सकती है तो ले ली जाए। मैं आउट आफ लिमिट जाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं तो कहना चाहता हूं कि आप इस बारे में देख लें और

इस पर गौर करें। मैं यह नहीं कह रहा कि आप आज हां करें बल्कि इस बारे कंसीडर जरूर करें। नैशनल डिवैल्पमैंट काउंसिल में अगर इस बारे में आपको कोई मदद मिल सकती है तो जरूर इस पर गौर करें। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार इन क्वैक्स का सर्वे क्यों नहीं करती? यह ठीक है कि आपने रेड डाले, सब कुछ किया और बहुत सी कार्यवाही की लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सर्वे करने में क्या बुराई है? अगर सर्वे आ जाता है तो चैकिंग में आसानी हो जाएगी। सर्वे होगा तो डाक्टर्ज और अधिकारी जाएंगें और चैकिंग करेंगें। हमारे पास सर्वे ही नहीं है कि कितने लोग ऐसे क्वैक्स काम कर रहे हैं तो हम कैसे चैकिंग करेंगें? अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि हैल्थ में इम्प्रूवमैंट हो जिसके लिए सरकार कमीटिड है। बहुत ज्यादा मैडीकल कॉलेज आज हरियाणा में खुल गए हैं। हरियाणा बनने के बाद इतने मैडीकल कालेज नहीं खुले थे जितने आज खुल गए हैं। आज यूनीवर्सिटीज बन गई हैं। महिलाओं के लिए अलग यूनीवर्सिटीज बन गई हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार की इतनी बढ़िया नीति है तो क्यों नहीं उन लोगों का सर्वे किया जाता? अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने जो एफ.आई.आर. दर्ज की हैं और लोग अरैस्ट किए हैं, लाइसैंस कैंसिल किए हैं, इनका थोड़ा नम्बर भी बता दिया जाए। अच्छा होता कि इस प्रश्न का जवाब नो सर की बजाय आप रिप्लाई में डिटेल दे देते ताकि हमें भी पता लग जाता। आपके पास तो नोट फार पैड है। हमारे पास डिटेल आ जाती तो हमें भी इन्फौर्मेशन मिल जाती। I want that information also from my young friend.

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिए हैं मैं उनको नोट कर लेता हूं और उन पर गौर किया जाएगा। जहां तक नोट फोर पैड की बात है मैं इनके पास भी डिटेल भिजवा दूंगा। 186 लोगों पर छापे मारे गए हैं। अम्बाला में 4 कोर्ट केसिज पैण्डिंग है, 3 केसिज अंडर इन्वैस्टीगेशन हैं। भिवानी में 2 कोर्ट केसिज और 3 एफ.आई.आर लौज हैं। फरीदाबाद में 2 एफ.आई.आर. लौज हैं और 7 केसिज अंडर इन्वैस्टीगेशन हैं। फतेहाबाद में 2 एफ.आई.आर. लौज हैं। गुड़गांव में 3 एफ.आई.आर. लौज हैं। हिसार में 34 केसिज अंडर इन्वैस्टीगेशन हैं। झज्जर में एक एफ.आई.आर. लौज है और 14 केसिज अंडर इन्वैस्टीगेशन हैं। जींद में 2 कोर्ट केसिज चल रहे हैं और 2 केसिज अंडर इन्वैस्टीगेशन हैं। करनाल में 10 कोर्ट केसिज हैं और 6 एफ.आई.आर. लौज की गई हैं। कुरूक्षेत्र में 3 एफ.आई.आर. लौज की गई हैं। मेवात में 28 एफ.आई.आर. लौज की गई हैं। नारनौल में एक कोर्ट केस पैण्डिंग है। पलवल में एक एफ.आई.आर. लौज की गई है। पंचकूला में 2 कोर्ट केसिज पैण्डिंग हैं और 3 एफ.आई.आर. लौज की गई हैं। पानीपत में 3 कोर्ट केसिज चल रहे हैं और एक एफ.आई.आर. लौज की गई और 3 केसिज अंडर इन्वैस्टीगेशन हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह रिवाड़ी में 4 कोर्ट केसिज हैं, 7 एफ.आई.आर. लौज की गई हैं। रोहतक में 5 एफ.आई.आर. लौज की गई हैं और 18 केसिज अंडर इन्वैस्टीगेशंज हैं। सिरसा में एक कोर्ट केस चल रहा है और एक एफ.आई.आर. लौज की गई है। सोनीपत में 4 एफ.आई.आर. लौज की गई हैं। यमुनानगर में 6 कोर्ट केसिज चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस तरह 35 तो कोर्ट केसिज चल रहे हैं , 70 एफ.आई.आर. लौज की गई हैं और 81 केसिज अंडर इन्वैस्टीगेशंज हैं। यह इन्फर्मेशन मैं माननीय सदस्य के पास भिजवा दूंगा।

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपको भी पता है और हम सबको पता है क्योंकि हम सब की बैकग्राउंड देहात की भी है और शहर की भी है। 186 लोगों पर केस रजिस्टर्ड हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसा गांव नोटिस में है जिस गांव में क्वैक

[प्रो० सम्पत सिंह]

काम न कर रहा हो या कोई शहर का वार्ड या मोहल्ला ऐसा है जहां क्वैक काम न कर रहा है। This is not strange enough. अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं इस पर मंत्री जी को और मेहनत करनी चाहिए। मंत्री जी पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी हैं तथा अच्छे संस्कारी राजनैतिक परिवार से संबंध रखते हैं। हमारे प्रदेश में 6500 गांव हैं और बहुत से म्यूनिसिपल और कारपोरेशन वार्ड भी हैं। प्रदेश में कोई गली-मौहल्ला नहीं मिलेगा जहां क्वैक काम न करते मिलें। मंत्री जी ने तो इनकी 186 संख्या बताई है जो कि 1 प्रतिशत भी नहीं कह सकते। यह तो टीप्स ऑफ आईस बर्ग है इसलिए प्लीज, इन पर कुछ सख्ताई करें। मैं यह नहीं कह रहा कि आप इनको दुकान चलाने का सर्टीफिकेट दे दें। मैं यह कहता हूं कि जैसे आपका पैरा मैडीकल स्टाफ होता है उन को नर्सिंग की ट्रेनिंग होती है वैसे ही यह उन लोगों के लिए भी कर दी जाये। इसी तरह से फार्मेसिस्ट की ट्रेनिंग भी उन लोगों के लिए भी कर दी जाये। किसी को केवल मात्र इन्जैक्शन लगाने के लिए उन्हीं में से ट्रेनिंग दे दी जाये। इससे हैल्थ में आपको इनकी काफी मदद मिलेगी। मैं यह नहीं कहता कि इनको लीगलाईज कर दिया जाये। किसी पार्टीकुलर वर्क के लिए यदि वे फिट बैठते हैं तो पूरे प्रोपर एग्जामिनेशन और ट्रेनिंग के बाद उनसे काम लिया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कल माननीय शिक्षा मंत्री जी कह रही थी कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं और ट्रैडिशनली काम करते हैं उनकी स्किल को डिवैल्प करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है ताकि उनको रोजगार मिल सके। मेरा साथ में यह भी कहना है कि इसमें यदि सरकार रिफोर्मेटिव कुछ कर सके तो यह भी करे। मेरा यही अनुरोध है कि इस तरह के कदम सरकार उठाये।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, it is a suggestion only.

श्री आनंद कौशिक : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना तारांकित प्रश्न संख्या-1731 पूछना चाहता हूं जो कि लैप्स हो गया क्योंकि उस वक्त मैं सदन में उपस्थित नहीं था। अत: मुझे मेरा प्रश्न पूछने के लिए अलाऊ किया जाये।

Mr. Speaker : Anand Kaushik ji, you were absent at that time but now, I allow you to ask the question.

JLNURM Scheme

***1731. Shri Anand Kaushik :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that Faridabad city was selected by the Central Government under the Jawahar Lal Nehru Urban Renewable Mission Scheme under which the works of infrastructure development such as sewerage, roads, electricity and water etc. were to be executed; if so, the amount released for aforesaid works so far; and

(b) whether it is a fact that Faridabad Municipal Corporation has been divided into three Zones namely NIT Zone, Old Faridabad Zone and Ballabgarh Zone; if so, the yearwise details of the amount allocated

to all the three Zones togetherwith the description of the works executed on which said amount has been incurred in each Zone?

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Speaker Sir, I appreciate to allow him to ask his question. In regard to this starred question I have actually given a statement but I have tried to put it in two parts. I want to read it out for information of this House and for my Learned friend also.

Statement

As referred to part (a) of his question - the answer is -

(a) Yes Sir. No project has however, been sanctioned separately by Government of India exclusively for roads and electricity. It is an accumulative mix project under the Jawaharlal Nehru National Urban Renewable Mission. The Government of India and the State Government has released Rs.345.76 crores and Rs.153.39 crores respectively. In addition, Municipal Corporation, Faridabad has contributed Rs.118.67 crores under the Mission, upto 31st July, 2013.

As referred to part (b) of his question, the answer is-

(b) The Municipal Corporation, Faridabad has been divided into three Zones namely; NIT Zone, Old Faridabad Zone and Ballabgarh Zone only for the purpose of collection of taxes. However, the development works under Jawaharlal Nehru National Urban Renewable Mission are taken up project-wise. These works have been sanctioned for the Municipal Corporation as a whole. The details of amounts allocated, project-wise, under the Mission, by the Municipal Corporation, Faridabad is at Annexure 'A'.

I have given all the details in Annexure 'A'. But with your permission I want to tell the Hon'ble member and the House is that there are some pertaining projects for which money has been sanctioned and allocated for example for construction of dwelling units for the poor and the middle class sections in Dabua Colony in NIT Zone, Faridabad. A sum of Rs.3896.12 lacs has been released and it has been utilized 100% between 2007-08 to upto 31.07.2013. Speaker Sir, you have seen the Bapu Nagar Colony which is a famous slum at Bapu Nagar in Ballabgarh Zone, Faridabad. A sum of Rs.22 crores and 9 lacs have been released and 19 crore 46 lacs have been utilized. For revamping/laying of new sewerage system in old Faridabad, a sum of Rs.98 crores and 63 lacs has been released. It has been utilized 100%. For improvement of Drainage system in old Faridabad a sum of Rs.25 crores and 73 lacs has been released and Rs.21 crores and 30 lacs has been utilized. For setting up of integrated solid waste management at Faridabad, which is a pre-requisite for a city of this magnitude, a sum of Rs.72 crores and 13 lacs has been released and more than that Rs.74 crores and 30 lacs is the expenditure incurred on completion of the solid waste management plant. Sir, in this fashion, for augmentation of water supply for Faridabad city, a sum of Rs.360 crores and 23 lacs has been released and a sum of Rs.350 crores has been utilized by the Municipal Corporation.

[Shri Randeep Singh Surjewala]

Annexure 'A'

Details of amounts allocated under JNURM by Municipal Corporation, Faridabad, together with the description of the works executed.

The project wise details of works executed under JNURM is as under :

1. Construction of Dwelling Units at Dabua Colony in NIT Zone, Faridabad.

1968 dwelling units were constructed under this project, including internal development works such as water supply, sanitation, street light, roads, sewer line and provision of sub-station for power supply along with independent feeder.

The details of funds released and expenditure incurred are as under:

(Rs. in Lacs)

Financial year	Funds releasecd	Expenditure
2007-08	1323.92	1152.29
2008-09	1513.06	1626.61
2009-10	51.20	90.28
2010-11	661.96	650.96
2011-12	345.98	410.53
2012-13	0.00	20.55
2013-14 (up to 31.07.13)	0.00	3.62
Total	**3896.12**	**3954.84**

2. Construction of Dwelling Units at Bapu Nagar in Ballabgarh Zone, Faridabad.

928 dwelling units were constructed under this project, including internal development works such as water supply, sanitation, street light, roads, sewer line and provision of sub-station for power supply along with independent feeder.

The details of funds released and expenditure incurred are as under:

(Rs. in Lacs)

Financial year	Funds released	Expenditure
2007-08	858.54	777.27
2008-09	1350.54	572.77
2009-10	0.00	519.96
2010-11	0.00	76.00

2011-12	0.00	0.00
2012-13	0.00	0.00
2013-14 (up to 31.07.13)	0.00	0.00
Total	**2209.08**	**1946.00**

3. Revamping/laying of Sewerage system in Old Faridabad.

Under this project, 51.46 kms of sewer lines of various sizes have been laid in different areas of Sector 37, Ashoka Enclave, Sectors 19, 28, 29, along bypass road from Sector 37 to Sewage Disposal No. 1 near Budhiya Nallah, Rajiv Chowk to Sewage Disposal No. 3 near bypass, Badhkal Chowk to Sewage Disposal No. 2 bypass road, Green Channel to Gymkhana Chowk and Gymkhana Chowk to bypass road upto Sewage Disposal No. 4 etc. In addition, 4 Sewage Disposal stations along Bypass road in Sectors 14, 18, 29 & 33 and 1 Sewage Treatment Plant of 45 MLD capacity at Village Badshahpur have been constructed and made operational.

The details of funds released and expenditure incurred are as under:

(Rs. in Lacs)

Financial year	Funds released	Expenditure
2007-08	3634.06	3013.25
2008-09	2270.75	2810.83
2009-10	1297.88	1350.61
2010-11	500.00	610.15
2011-12	2161.18	1954.29
2012-13	0.00	457.57
2013-14 (up to 31.07.13)	0.00	0.00
Total	**9863.87**	**10196.70**

4. Improvement of Drainage system in Old Faridabad.

Under this project, 26.39 kms of drains of various sizes have been laid in different areas such as Sectors 27, 37, Ashoka Enclave, Surya Nagar, Sector-28, 19, dividing road of Sector-6 & 7 and Sector-4 & 7 etc. In addition, 5 Storm Water Disposal stations, near Palla Chowk at Bypass road, near Village Chandawali, Panchayat Bhawan Ballabgarh, Saran School road Parvatiya Colony and Gaunchi drain in Ward No. 7 have also been constructed & made operational.

[Shri Randeep Singh Surjewala]

The details of funds released and expenditure are as under:

(Rs. in Lacs)

Financial year	Funds released	Expenditure
2007-08	536.33	416.41
2008-09	383.09	392.59
2009-10	153.24	240.00
2010-11	0.00	60.00
2011-12	1072.64	466.97
2012-13	428.50	554.87
2013-14 (up to 31.07.13)	0.00	0.00
Total	**2573.80**	**2130.84**

5. Integrated Solid Waste Management at Faridabad.

Under this project, 2 Transfer Stations at Dabua Colony & Ballabgarh, 1 Municipal Solid Waste Processing Plant at Bandhwari have been constructed and made operational. Requisite machinery/equipments have also been purchased and being used for solid waste management of entire Faridabad city. The plant is operational since 01.12.2010.

The details of funds released and expenditure incurred are as under:

(Rs. in Lacs)

Financial year	Funds released	Expenditure
2008-09	1913.50	1320.00
2009-10	425.95	965.00
2010-11	500.00	795.85
2011-12	1895.60	1797.65
2012-13	2478.60	1925.23
2013-14 (up to 31.07.13)	0.00	626.63
Total	**7213.65**	**7430.36**

6. Augmentation of Water Supply for Faridabad city.

This project for coverage of entire Municipal Corporation, Faridabad area with augmented water supply is currently in progress. Under this project, work on 10 Ranney wells, 212 Tube wells, 5 Main Boosting Stations, 50 Underground Storage Reservoirs, 20 Overhead Storage Reservoirs, 450 Rain Water Harvesting

Structures, laying of 210 km DI pipe line and 75km pre-stressed concrete pipe line is in progress. The project is likely to be completed by March, 2014.

The details of funds released and expenditure incurred are as under:

(Rs. in Lacs)

Financial year	Funds released	Expenditure
2009-10	8636.05	7518.00
2010-11	1272.00	5682.00
2011-12	8843.58	8426.01
2012-13	8636.13	8822.42
2013-14 (up to 31.07.13)	8636.13	4560.97
Total	**36023.89**	**35009.40**

श्री आनंद कौशिक : अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद में सरकार की तरफ से सीवरेज़ सिस्टम के ऊपर सैंकड़ों करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी फरीदाबाद में पानी का भराव है। जो अभी सीवरेज लाईनें डाली गई हैं इससे ऐसा नहीं लगता कि कोई काम पूरा हुआ है। नई सीवर लाईनें डालने से पहले जो हुडा ने सीवर लाईनें डाली थी जो कि स्टॉर्म वॉटर और सीवरेज़ के लिए अलग-अलग थी उनको तोड़ दिया गया जिस कारण अब पानी का भराव ज्यादा है। ज्यादातर स्थानीय निवासियों का यह कहना है कि नई सीवर लाईनों को डाले जाने से पहले पानी निकल जाता था लेकिन अब 2-3 फुट पानी रहता है। इस काम में ये सैंकड़ों करोड़ रुपये खर्च करने के बाद जल भराव की समस्या में कोई सुधार नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से इसकी प्रॉपर फेंक्शनिंग नहीं हुई है। हमारी अनेक कोशिशों के बावजूद भी इनके प्वायंट्स भी अभी तक नहीं जोड़े गये हैं सिर्फ ज़मीन में वे पाईप दबा दिये गये हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि विधान सभा की तरफ से एक कमेटी बनाई जाये जो इस सारे मामले की जांच करे क्योंकि इसमें बहुत सी कमियां हैं जिनको दुरुस्त करवाया जाये।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, म्युनिसिपल कारपोरेशन, फरीदाबाद ने इस मामले में जो जवाब सदन के पटल पर रखा है उसकी तरफ मैं अपने मित्र का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि म्युनिसिपल कारपोरेशन, फरीदाबाद ने अलग-अलग मुखतलिफ साईज़ की 26.03 किलोमीटर लम्बी ड्रेन्ज़ स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के लिए बनाई हैं। ये ड्रेन्ज़ सैक्टर 27 में, सैक्टर 37 में, अशोका एनकलेव में, सूर्य नगर में, सैक्टर 28 में, सैक्टर 19 में, सैक्टर 6 और 7 के डिवाईडिंग रोड पर, सैक्टर 4 और 7 में बनाई गई हैं। इसके अतिरिक्त पांच स्टॉर्म वॉटर डिस्पोज़ल सिस्टम भी बनाये गये हैं जिनमें से एक बाई पास रोड पर पल्ला चौक में, एक चंदावाली में, एक पंचायत भवन बल्लभगढ़, एक शरण स्कूल रोड, एक पर्वतीया कालोनी और एक वार्ड नम्बर 7 में गोंच्ची ड्रेन पर बनाया गया है। यह हो सकता है कि इतना कुछ करने के बाद भी कोई कमी रह गई हो। मैं मेरे माननीय साथी के ध्यान में यह बात भी लाना चाहूंगा कि वे म्युनिसिपल कारपोरेशन, फरीदाबाद के सदस्य भी हैं। इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर से यह कहा था कि हरियाणा राज्य के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं चाहे वे सांसद हों या विधायक

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

हों उनको म्युनिसिपल कारपोरेशन इत्यादि का मैम्बर होना आवश्यक है इसलिए ये भी उसके सदस्य हैं। इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जो म्युनिसिपल कारपोरेशन है वह एक इंडीपैंडैंट बॉडी है। हम उनको सिर्फ फण्ड्ज़ प्रोवाईड कर सकते हैं। That is an elected represented body. अगर इनको वहां पर कोई कमी लगती है तो ये म्युनिसिपल कारपोरेशन, फरीदाबाद में भी यह प्रस्ताव ला सकते हैं और सौभाग्य से म्युनिसिपल कारपोरेशन, फरीदाबाद में जो मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर हैं वे सभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समर्थित हैं और मुझे मालूम हैं कि वे माननीय साथी के मित्र भी हैं। क्योंकि इनकी सहमति और इनके विश्वास से ही उनको चुना गया था। इन्होंने भी उनको चुने जाने में मदद की थी। मैं इनको यह भी कहना चाहता हूं कि इस मामले पर विचार करने के लिए ये कृपया करके उनकी मीटिंग भी बुलायें। अगर इनको कहीं पर कोई अनियमितता लगती है तो उसके बारे में ये लिखकर विभाग को दे दें। उसके बाद हम उसकी जांच मुखतलिफ तरीके से करवा लेंगे। इसी प्रकार से इन्होंने सीवरेज़ सिस्टम की बात की है। म्युनिसिपल कारपोरेशन, फरीदाबाद ने जे.एल.एन.यू.आर.एम. में 51.46 किलोमीटर सीवर लाईन यहां पर लगाई है इस पर सीवरेज सिस्टम सैक्टर 37 में लगाया गया है, एक सीवरेज़ सिस्टम अशोका एन्कलेव में लगाया गया है, एक सीवरेज़ सिस्टम सैक्टर 19 में लगाया गया है, एक सीवरेज सिस्टम सैक्टर 28 में लगाया गया है, एक सीवरेज़ सिस्टम सैक्टर 29 में लगाया गया है, एक सीवरेज सिस्टम सैक्टर 37 की बाई पास रोड के साथ में लगाया गया है, एक सीवरेज सिस्टम सीवेज डिस्पोज़ल नम्बर एक तक जो कि बुढिया नाला के साथ में है, वहां पर लगाया गया है, एक सीवरेज सिस्टम राजीव चौंक से सीवेज डिस्पोज़ल नम्बर 3 तक, जो कि बाई पास के नज़दीक है, पर लगाया गया है, एक सीवरेज सिस्टम बड़खल चौंक से सीवेज डिस्पोज़ल नम्बर 2 बाई पास रोड पर लगाया गया है। इसी तरह से एक सीवरेज सिस्टम ग्रीन चैनल से जिमखाना चौक पर लगाया गया है, एक सीवरेज सिस्टम जिमखाना चौंक से बाई पास रोड डिस्पोज़ल नम्बर 4 तक पर लगाया गया है, इनके अलावा चार डिस्पोज़ल सिस्टम भी बनाये गये हैं। एक सीवरेज सिस्टम बाई पास रोड पर सैक्टर 14 में, एक सीवरेज सिस्टम सैक्टर 18 में, एक सीवरेज सिस्टम सैक्टर 29 में और एक सीवरेज सिस्टम सैक्टर 33 में लगाया गया है। इसके अतिरिक्त एक 45 एम.एल.डी. कैपेसिटी का एक सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट गांव बादशाहपुर में भी बनाया गया है जो कि इस समय ओपरेशनल है। अगर इसके बावजूद भी माननीय सदस्य को म्यूनिसिपल कारपोरेशन में कोई अनियमितता लगती है जिसका हल निकालने में म्यूनिसिपल कारपोरेशन असक्षम है तो ये माननीय मुख्य मंत्री जी को लिख कर दे दें हम उसको चैक करवा लेंगे।

श्री आनन्द कौशिक : अध्यक्ष महोदय, यह पब्लिक से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे फरीदाबाद से जो दूसरी विधायिका कुमारी शारदा राठौर, राज्य मंत्री पंडित शिवचरण लाल शर्मा व माननीय मंत्री श्री महेन्द्र प्रताप जी भी यहाँ पर हैं वे भी खड़े हो कर बता दें कि वे पाइप कहाँ पर दबे हुये हैं। किसी को पता नहीं है कि कहाँ पर पाइप दबे हुये हैं, प्वाइंट कहां हैं, किसी को नक्शा नहीं दिखाया गया है ? दूसरी बात यह है कि डिस्पोजल पर मोटर चालू हालत में नहीं हैं। पिछली बरसात में हमने चैक किया था मोटर भी नहीं चल रही थी और जनरेटर भी नहीं था जिसके कारण वहाँ पर पानी का भराव बहुत ज्यादा हो गया था। अधिकारियों को कहा जाये कि वे नक्शे दिखायें। जहाँ तक माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया है कि मेयर और डिप्टी मेयर वहाँ पर

हैं, तो इस बारे में उनसे पूछा जा सकता है कि किसकी कितनी चलती है। कभी-कभी 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने में मंत्री जी को भी वहाँ पर चैक करना चाहिए और पूछना चाहिए कि किसी को किसी किस्म की कोई दिक्कत तो नहीं है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि हरियाणा विधान सभा की अर्बन लोकल बॉडीज की सबजैक्ट कमेटी के ये चेयरपर्सन भी हैं। अगर इनको कोई दिक्कत है तो ये संबंधित विभाग को सम्मन भेज कर बुला सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। The Committee is a mini Legislature. Sir, I would humbly with folded hands request Shri Anand Kaushik Ji, since he is himself is the Chairperson of that Committee, responsible for looking at all the Municipal Corporations, Councils and Committees, he can summon them and if there is a problem, he should look into it. He also mentioned the name of Pt. Shiv Charan Sharma, if I know correctly, his son is the Senior Deputy Mayor of the Municipal Corporation, Faridabad. I am sure, if he will go to Shri Mahender Partap Singh and Pt. Shiv Charan Sharma and will sit together, the matter will be amicably sorted out.

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक फरीदाबाद का सवाल है, मेरे विधायक साथी भी इस बात को आम तौर पर समझते हैं और उनको मालूम है कि हमारी सरकार से पहले फरीदाबाद की क्या स्थिति थी। यह आम चर्चा थी कि पिछली सरकार ने फरीदाबाद को फकीराबाद बना दिया था। आज के दिन वहाँ पर आई.एम.टी. आ रही है तथा जे.एल.एन.एन. यू.आर.एम. स्कीम के तहत 700 करोड़ रुपये लगाये जा रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त कार्य फरीदाबाद में हो रहे हैं और ये सराहनीय हैं। मैं फरीदाबाद से जुड़ा हुआ हूँ। फरीदाबाद जो बिल्कुल बर्बादी के कगार पर खड़ा था आज के दिन वहाँ पर विकास हो रहा है तथा फरीदाबाद ऊपर उठ रहा है। आई.एम.टी. के फेज 2 के लिए 495 करोड़ रुपये प्रोपोज किये गये हैं। सड़कों की बात की जाये तो बदरपुर में ऐलिवेटिड फ्लाइओवर बनाया गया है। इसी प्रकार से मैट्रो रेल जो फरीदाबाद से आगे बाई.एम.सी.ए. चौक तक थी, उसको बल्लबगढ़ तक एक्सटैंड करने का कार्य चल रहा है। इससे हमें कोई आमदनी नहीं होनी है बल्कि लोगों की सुविधा के लिए हम यह कार्य कर रहे हैं। मैं यह कह सकता हूँ कि फरीदाबाद में पूरे जोर-शोर से कार्य हो रहा है। फरीदाबाद जो बर्बादी के कगार पर खड़ा था उसको रिबिल्ट करने में समय तो लगता ही है। (विघ्न)

Mr. Speaker : Hon'ble Member, I have not allowed you. Please seek my permission first. आप बैठिए।

Supply of Drinking Water

***1629. Sh Jagbir Singh Malik :** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether it is fact that there is no drinking water supply in the villages of Naina Tatarpur, Tejpur and Tihara Kalan in Gohana Constituency; if so the time by which the drinking water is likely to be supplied in the aforesaid villages?

Public Health Engineering Minister (Smt. Kiran Chaudhary) : No, Sir.

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि पूरे के पूरे नैना तातारपुर गाँव का अण्डर ग्राऊंड वाटर खराब है। पूरे गाँव का खारा

[श्री जगबीर सिंह मलिक]

पानी है। वहां के लिए क्या पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट की दूसरे गाँव से पानी लाने की कोई स्कीम है? उस गाँव की औरतों को पानी लाने के लिये दूसरे गाँव में जाना पड़ता है, जो नैना तातारपुर गाँव से लगभग 2-3 किलो मीटर की दूरी पर पड़ता है। इसलिए गाँव में कोई ऐसी स्कीम बनाई जाए जिससे लोगों की पानी की समस्या दूर हो जाये। गाँव तिहारा कलां का पीने के पानी का ट्यूबवैल खेड़ी दहिया गाँव में लगाया हुआ है और वह बिजली के डोमैस्टिक कनैक्शन से जुड़ा हुआ नहीं है। उसमें एग्रीकल्चर सैक्टर की लाईट आती है। जो बीच में लाइन है वह डिस्ट्रप्ट रहती है, वह ज्यादातर खराब रहती है क्योंकि वह बहुत पुरानी लाइन है। सर, न नैना तातारपुर में पानी है और न ही तिहारा कलां में पानी है। इसके अतिरिक्त सभी बाकि काम महकमा बहुत अच्छे कर रहा है लेकिन इन दो गाँवों की पानी की समस्या प्रैक्टीकल है। क्या मंत्री महोदया कृपा करके इस ओर ध्यान देंगी?

Smt. Kiran Choudhary : Speaker Sir, I would like to bring it to the notice of the Hon'ble Member that there are 61 villages in his constituency and all of the villages except one, the water supply is absolutely sufficient and there is no deficiency at all. As far as the village is concerned about which he is talking, it is one of them and about 85.50 lacs rupees has already been put aside to do the work. But unfortunately we are not getting the land from the Gram Panchayat. The department has been following up consistently but there is some kind of dispute between two villages. The result is that we are unable to perform the dwelling of the tubewell. So, I would request the Hon'ble Member, as he is the Legislative Member from there, that he should use his good offices to see that land which is given to us. Only then the department can do any work. That is the only deficient village and therefore, we would be happy to complete the work immediately as soon as the land is given to us. Secondly Sir, as far as the other village is concerned *i.e.* Tejpur and Tihara Kalan here also the water is about 40 LPCD and there is a little problem of water not reaching upto the tail. I accept what he is saying. Now, we have put aside a sum of 46.30 lacs rupees which has been approved by the Government and which has been now put aside during this year 2013 and this work is likely to be completed by December of this year. Apart from that, I would also like to tell you that in the Hon'ble Member's constituency, there are 11 augmentations of water works etc. So, he should be very thankful to the Government for the large amount of works that are being done in his area.

Shri Jagbir Singh Malik : Speaker Sir, I am very much thankful to the Hon'ble Chief Minister and the Hon'ble Public Health Enginearing Minister. But I would request that only two villages are left which are to be provided water. These villages are not getting even a single drop of water and they have to bring the water from outside.

श्रीमती किरण चौधरी : ऑनरेबल मैम्बर जगबीर मलिक जी आप हमारे को जमीन प्रोवाइड करके दीजिये क्योंकि हमारे को जमीन नहीं मिल रही है, जबकि आप हमारे विभाग को बार-बार पानी प्रोवाइड कराने के लिए चिट्ठियां लिख रहे हैं।

श्री जगबीर सिंह मलिक : सर, माछरी गांव वालों ने कह दिया कि जमीन हम दे देंगे।

श्रीमती किरण चौधरी : ठीक है। अगर आप जमीन दे देंगे तो उसके तीन महीने के अन्दर-अन्दर काम पूरा हो जाएगा।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, the Questions Hour is over.

नियम 45(i) के अधीन सदन की मेज पर रखा गया प्रश्न का लिखित उत्तर

Opening of PHCs

***1563. Shri Zile Ram Sharma :** Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open Primary Health Centres in village Angad and Village Rahra of Assandh Constituency; if so, the time by which the aforesaid Primary Health Centres are likely to be opened?

स्वास्थ्य मंत्री (राव नरेन्द्र सिंह) : नहीं, श्रीमान जी।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Installation of Tube-wells

482. Sh Devender Kumar Bansal : Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to install tubewells for drinking water in Mogi Nand, Bhainsa Tibba and Saketri villages?

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी) : नहीं, श्रीमान जी।

- गांव मोगी नन्द में वर्तमान दर 55 लीटर प्रति व्यक्ति 2 नलकूपों द्वारा पेयजल आपूर्ति की जा रही है।
- गांव भैंसा टिब्बा को पेयजल आपूर्ति हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मनसा देवी कॉम्पलैक्स, सैक्टर 4 स्थित जलघर से की जा रही है तथा इस गांव को पर्याप्त पेयजल आपूर्ति है।
- गांव सकेतड़ी में पेयजल स्तर 55 लीटर प्रतिदिन है। पेयजल आपूर्ति 3 नलकूप और बुस्टिंग स्टेशन से की जा रही है।

---

487. Shri Sampat Singh : Will the Education Minister be pleased to state—

(a) the number of computer laboratories established in the schools to provide computer education to the students in the State;

(b) the number of computer installed in these laboratories togetherwith the number of computers which are functional with adequate staff; and

(c) the number of computers which are not working due to defective system, shortage of staff, for want of proper space or any other reason?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) :

(क) श्रीमान जी, शिक्षा विभाग ने हरियाणा राज्य के विद्यार्थियों को कम्पयूटर शिक्षा देने के लिए विद्यालयों में 3335 कम्प्यूटर प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं।

(ख) कुल 69331 कम्प्यूटर इन प्रयोगशालाओं में लगाए गए हैं जिनमें से 61392 कम्प्यूटर कार्यशील स्थिति में हैं तथा कर्मचारी भी पर्याप्त हैं।

(ग) दोषपूर्ण प्रणाली, अमले की कमी, उचित स्थान के अभाव में तथा अन्य किसी कारण से 7939 कम्प्यूटर नहीं चल रहे।

Provision of Faculties

483. Shri Devender Kumar Bansal : Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide all faculties and professional courses in the Government Colleges at Panchkula and Barwala?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : नहीं, श्रीमान जी।

Implementation of National Food Security Ordinance

431. Prof. Sampat Singh : Will the Food and Supplies Minister be pleased to state—

(a) whether the Haryana Government is planning to roll out the National Food Security Ordinance;

(b) the data on which the State Government will rely for the identification of priority households

(c) the total number of persons likely to be benefited in rural and urban areas separately.

(d) whether the Haryana Government has also decided to give 2.5 kg pulses per household per month on subsidized rates of Rs. 20 per kg to poor people; and

(e) the total expenditure likely to be incurred by the State Government on the supply of subsidized pulses together with the total additional financial burden annually?

खाद्य एवं पूर्ति मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) :

(क) जी हाँ श्रीमान्, इसका शुभारंभ 20 अगस्त, 2013 से कर दिया गया है।

(ख) प्राथमिकता परिवारों की संभावित सूची, सामाजिक, आर्थिक जातीय सर्वेक्षण-2011, जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा आवास व शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया है, के आधार पर बनाई गई है।

(ग) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के निर्णय अनुसार कुल 126.49 लाख व्यक्ति लाभार्थी होंगे, जिनमें 90.28 लाख व्यक्ति ग्रामीण तथा 36.21 लाख व्यक्ति शहरी क्षेत्रों के शामिल होंगे।

(घ) जी हां, श्रीमान्।

(ङ) इस बारे में अनुमान लगाया गया है कि दालों को रियायती दरों पर उपलब्ध करवाने के लिए प्रति वर्ष 162 करोड़ रुपये खर्च किए जायेंगे, जिसे राज्य सरकार वहन करेगी।

Registration of Fake Cases

484. Shri Devender Kumar Bansal : Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that fake cases are being registered against the old age pensioners and BPL card holders; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to prevent registeration of such cases?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : नहीं, श्रीमान।

Screening Plants Closed in Haryana

488. Prof. Sampat Singh : Will the Environment Minister be pleased to state—

(a) the number of screening plants closed by Haryana State Pollution Control Board; and

(b) whether it is a fact that when the owners of said plants applied for NOC from the Pollution Control Board in 2004, they were told that the NOC is not required; if so, the reasons for which the said plants have been closed now?

पर्यावरण मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : श्रीमान, एक वक्तव्य सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

वक्तव्य

(क) अधिसूचना संख्या 16/42/2005-इएनवी-III दिनांक 04.10.2007 तथा संशोधित अधिसूचना संख्या एस.ओ. 64/सी.ए.29/1986/एस.5 एवं 7/2008 दिनांक 23.07.2008 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक स्क्रीनिंग प्लान्ट को अनुसूची-I में उल्लेखित निर्धारित पैरामीटर्ज को पूरा करने की आवश्यकता है। दिनांक 23.07.2008 की संशोधित अधिसूचना की अधोलिखित टिप्पणी में यह उल्लेख किया गया है कि वर्तमान स्क्रीनिंग प्लान्टों को दो वर्षों की अवधि के अन्दर-अन्दर अर्थात् दिनांक 22.07.2010 तक इन मानकों का पालन करना पड़ेगा। दिनांक 22.07.2010 को जब दो वर्षों की अवधि समाप्त हो गई, तो उन सभी स्क्रीनिंग प्लान्टों को जो स्थल सम्बन्धित निर्धारित पैरामीटर्ज को पूरा नहीं कर रहे थे, जल एक्ट की धारा 33-ए एवं वायु एक्ट की धारा 31-ए के अन्तर्गत बन्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

किए गए थे। चूंकि ये इकाइयाँ स्थल पैरामीटरों को पूरा नहीं कर रही थीं तथा इस प्रकार उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 23.07.2008 के प्रावधानों का उल्लंघन कर रही थीं, इसलिए क्रमश: पंचकूला, यमुनानगर, भिवानी तथा धारूहेड़ा में स्थित 330 स्क्रीनिंग प्लान्टों को बोर्ड द्वारा उचित तरीका अपना कर बन्द करा दिया गया था।

(ख) वर्ष 2004 में स्क्रीनिंग प्लान्टों को एनओसी/सहमति प्रबन्धन के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया था। इन स्क्रीनिंग प्लान्टों को वर्ष 2007 में (अधिसूचना संख्या 16/42/2005-इएनवी-III दिनांक 04.10.2007, जोकि 23.07.2008 को संशोधित की गई, के द्वारा) सहमति प्रबन्धन के अन्तर्गत लाया गया जिसमें सभी वर्तमान स्क्रीनिंग प्लान्टों को आवश्यक मानकों की परिपालना करने के लिए 2 वर्ष का समय दिया गया था।

Status of Sub-Division to Block Barwala

485. Shri Devender Kumar Bansal : Will the Revenue and Disaster Management Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to give status of Sub-division to Barwala Block?

राजस्व मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) : नहीं श्रीमान जी।

Number of Rajiv Gandhi Sports Stadiums

489. Prof. Sampat Singh : Will the Minister of State for Sports and Youth Affairs be pleased to state—

(a) the number of Rajiv Gandhi Sports Stadiums Constructed in the rural areas in Haryana;

(b) the number of such Stadiums having coaches for providing Coaching to the trainers; and

(c) the number of Stadiums which are non-functional and still remained locked?

खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री (श्री सुखबीर कटारिया) :

(क) हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में 158 राजीव गांधी स्पोर्टस स्टेडियम निर्मित किये गये हैं।

(ख) 120 ग्राऊंड मैनेजर तथा 115 क्रीड़ा श्री राजीव गांधी स्पोर्टस स्टेडियमों में प्रशिक्षण दे रहे हैं।

(ग) सभी स्टेडियम क्रियाशील है।

मंत्री महोदय द्वारा घोषणा

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Speaker Sir, before the next agenda is taken up, I have an announcement to make. Sir, various representations have been received by the Government including Hon'ble Chief Minister, Power Minister and the Members of public regarding non-telescopic tariff beyond 800 units, as you know that has now been abolished. So, it has been decided to file a review petition before the Haryana Electricity Regulatory Commission with immediate effect. It has been represented to the Government that since the benefit of lower slabs in case the consumption exceeds 800 units, was not being given to such consumers, that resulted in levy of extra charges as per the present tariff order announced in the month of April, 2013. In the review petition it will be requested that the third category namely; consumption beyond 800 units at flat tariff of rupees 5.98 per unit may be abolished and in the second category i.e. upto 800 units, the last slab will be greater than 500 units instead of 500 to 800 units. It is also being announced that in cases of theft of electricity consternation qua which was expressed yesterday by the Members of this Legislature, it has been decided to constitute an Appellate Committee under the Chairmanship of S.E. of the Circle with representation of the concerned XEN and Accounts Officer who will be its members, to look into the grievances of over-charging and over-assessment in alleged theft cases. This is in response to the concerns raised by our Members. Shri Batra Ji had said, Shri Anand Singh Dangi had said and Prof. Sampat Singh had also raised this issue. Sir, we also want to say that we will strictly enforce the existing instructions according to which checking in alleged theft cases will ordinarily be carried out by the S.D.Os. and J.Es. only after obtaining the written approval from atleast the concerned S.D.O. Shri Bharat Bhushan Batra had yesterday raised an issue that the Junior Engineers have been given unfettered powers and one more learned friend had also raised this issue, I think he was Shri Anand Singh Dangi or someone else. So, a written prior approval of the concerned S.D.O. of the Sub-Division would be required. However, I want to clarify that the levy of compounding charges and assessment for previous 12 months is being done as per the existing provisions of the Electricity Act. There was another issue raised, Sir, that no time is given once a penalty is imposed. So, every consumer will now be given 72 hours instead of currently 48 hours that are being given for purposes of lodging of FIR in case he want to get it compounded and settled the issue, then so be it or an appeal in the interregnum period can be entertained. These are some important suggestions that had come. Hon'ble Chief Minister, Government and Hon'ble Power Minister have looked at it and these changes will now be affected including making an application to the HREC for rationalization of the tariff as suggested.

प्रो. सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैं सरकार की तरफ से उठाये गये इस कदम की सराहना करता हूं लेकिन इसके साथ ही साथ मैं इस संबंध में माननीय मंत्री जी को एक सुझाव भी देना चाहता हूं। जिस प्रकार से बिजली चोरी पकड़े जाने की सूरत में, चोरी के मामले की सुनवाई के लिए तीन सदस्यीय टीम (एस.ई., एक्स.ई.एन. तथा विंग अधिकारी) गठित करने का प्रावधान किया

[प्रो० सम्पत सिंह]

गया है तो इस संबंध में मेरा सुजैशन है कि इस तीन सदस्य वाली टीम के साथ कंज्यूमर्ज को भी अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। रेगुलेटरी कमीशन को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि यदि ऐसा किया जाता है तो कंज्यूमर्ज को ज्यादा लाभ हो सकेगा। "कंज्यूमर" पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है and consumer may be some other person also. कंज्यूमर किसी भी सैक्शन से हो सकता है चाहे वह डोमैस्टिक सैक्शन है या फिर और कोई सैक्शन है। अधिकारियों की तीन सदस्यीय टीम के साथ कंज्यूमर को भी अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। जहां तक जुर्माना लगाने की बात है, यह जुर्माना कितना होगा यह तो कमेटी का काम है। यह बात सच है कि कंज्यूमर्ज अपनी समस्याओं के बारे में रेगुलेटरी कमीशन को सीधे तौर पर लिख सकता है लेकिन आप देखिये तीन सदस्यीय कमेटी जो गठित की गई है यदि इसमें कंज्यूमर्ज को भी शामिल किया जायेगा तो इसके बहुत अच्छे परिणाम निकलकर सामने आयेंगे that will be more effective.

Shri Randeep Singh Surjewala : I have noted the suggestion. Power Minister is not here today. Since it requires policy changes, it will be appropriate that it has to be taken by him in consultation with the Chief Minister. I will pass on this suggestion to the FM. It is very valuable to the Hon'ble Power Minister. I am and the Hon'ble Chief Minister are unable to clarify it because the concerned officers of the Department have taken leave to take part in the Power Ministers' Conference. Since the concerned officers are also not here, so I would suggest that Shri Sampat Singh should take up this issue with the Power Minister and he will call the officers including the Power Secretary and then appropriate decisions will be taken accordingly.

श्री देवेन्द्र कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं कि नये रिफॉर्म्स आए हैं but yesterday I raised a question that the matter regarding the meter reading of the electricity in the societies is now going to be changed. And this matter is concerned with all the societies of the Panchkula as well as with of the Haryana and by this change of the policy, thousands of the inhabitants of the Haryana are affected. So, some policy might also be changed regarding the single meter reading in the societies. Thousands of societies are registering in Haryana and because of the single meter reading, the inhabitants of the colonies are not in a position to provide the infrastructure to the electricity department. But what is the requirement from the society is that they will add the transformer. They will also provide some employees for the purpose of arranging of the process of the electricity Department to get which has been taken by our Government. Some amendments must also be there regarding the policy which is yet to be coming for the single meter reading in the societies.

Mr. Speaker : We will convey it to the Hon'ble Minister for his consideration.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

1999-2005 के बीच सरकारी सम्पत्तियों के विभिन्न न्यासों को स्थानान्तरण करने में हुई अनियमितताओं/अवैधताओं संबंधी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice No. 12 from Shri Naresh Sharma, MLA regarding irregularities/illegalities committed in the transfer of Government properties to the various trusts between 1999 to 2005, which has been admitted. Shri Naresh Sharma may read out his notice.

श्री नरेश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि 1999-2005 के बीच भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला द्वारा सरकारी सम्पत्तियों, नगर निगमों/परिषदों/नगरपालिकाओं/पंचायतों तथा अन्य सार्वजनिक निकायों की स्वयं की सम्पत्तियों को अपने विभिन्न न्यासों में हस्तांतरित करके अवैध रूप से बेइमानी से हथियाया। इन न्यासों में से कुछ न्यास चौधरी देवी लाल न्यास तथा माता हरकी देवी न्यास इत्यादि थे।

करोड़ों रुपयों की इन सम्पत्तियों को बिना विचार-विमर्श तथा नीलामी के रूप में उचित प्रक्रिया का अनुकरण किये बिना एवं बाजार मूल्य के निर्धारण किये बिना हस्तांतरित कर दिया था। इससे भी अधिक यह कि पूर्व मुख्य मंत्री तथा इस सदन के सदस्य श्री ओम प्रकाश चौटाला ने मुख्य मंत्री के रूप में अपने न्यासों को ऐसी सम्पत्तियों के हस्तांतरण की स्वीकृति दी जिनके वे सदस्य थे, जो राज्य के प्रमुख के रूप में संवैधानिक शपथ तथा जिम्मेवारियों की घोर उल्लंघना थी।

इस सदन ने इन सम्पत्तियों के हस्तांतरण के विभिन्न पहलुओं तथा अनियमितताओं की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट का अनेक स्थगनों के बावजूद अभी भी इंतजार है।

इसलिए मैं सरकार से सदन के पटल पर एक वक्तव्य देने का निवेदन करता हूँ।

वक्तव्य

उद्योग मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण/प्रस्ताव संबंधी

Mr. Speaker : Now a Minister will make a statement.

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य नरेश शर्मा जी सरकारी सम्पत्तियों के दुरुपयोग, उनके घोटाले और उनको हड़पने के बारे में सदन में महत्वपूर्ण प्रस्ताव लेकर आए हैं। इसके बारे में जवाब देने से पहले मैं सदन और आदरणीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि इस सारे मामले की जांच अध्यक्ष महोदय द्वारा बनाई गई हाउस की कमेटी द्वारा करवाई गई थी और हाउस की उस कमेटी ने इस बारे में यूनानीमस रिपोर्ट दी है। उस कमेटी में केवल कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे बल्कि उसमें इंडियन नेशनल लोकदल और बी.जे.पी. के सदस्य भी थे। उसमें उन्होंने कोई डायसैंटिंग नोट नहीं दिया। मैं इसके कान्सटीच्यूशन को दोबारा पढ़कर बताना चाहूंगा। इस हाउस कमेटी के चेयरपर्सन श्री भारत भूषण बतरा जी थे जो भारतीय

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं। चौधरी आनन्द सिंह दांगी जी भाई आफताब अहमद जी और आदरणीय राव धर्मपाल जी भी उस कमेटी के सम्मानित सदस्य थे। ये चार सम्मानित सदस्य कांग्रेस पार्टी से थे। श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी इस कमेटी के सम्मानित सदस्य थे जो भारतीय जनता पार्टी से थे उन्होंने हर प्रोसीडिंग्ज में रिपोर्ट फाईनल होने तक साईन किए हैं। श्री मामुराम जी इण्डियन नेशनल लोकदल पार्टी से थे वे भी इस कमेटी के सम्मानित सदस्य थे। मुझे खुशी है कि तीनों दलों के सदस्यों ने राजनीतिक पक्षपात को छोड़ते हुए केवल युनानीमस रिपोर्ट इस सदन के पटल पर रखी है। वैसे तो इस रिपोर्ट के आठ पार्ट्स हैं लेकिन मैं केवल उसका जो रैलेवैन्ट एक्सट्रैक्ट है उसकी तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सदन में इस रिपोर्ट का सप्लीमैंट्री रिप्लाई सर्कुलेट किया गया है उसके आठ पार्ट्स हैं क्योंकि इतनी सारी ट्रांजक्शन हुई हैं इसलिए मुझे केवल रैलेवैंट एक्सट्रैक्ट पर बोलने के अलावा ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। वह रिपोर्ट सारे कागजों और सबूतों के साथ सदन के पटल पर रखी है उसमें यह कहा गया है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला के आदेश और सरकारी दस्तावेज सदन के पटल पर रख दिए हैं। सदन का ज्यादा समय न लगे इसलिए मैं उस रिपोर्ट का रैलेवैंट एक्सट्रैक्ट सदन के सामने बताना चाहूंगा।

पहले से वितरित उत्तर की निरंतरता में मामले पर इस प्रयोजन के लिए गठित हरियाणा विधान सभा की कमेटी द्वारा विस्तृत चर्चा की गई। कमेटी ने आठ भागों में अपनी रिपोर्ट सौंपी है। प्रत्येक भाग का प्रासंगिक संक्षिप्त विवरण पुन: प्रस्तुत किया गया है।

(प्रथम भाग)

आज के लोकतंत्र में एक प्रत्यक्ष उदाहरण है जो दर्शाता है कि किस प्रकार राज्य का मुख्यमंत्री सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग कर सकता है तथा ऐसे निकायों जो ट्रस्टों एवं सोसाइटियों के रूप में संचालित है और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा चलाये जा रहे हैं, के लिए सरकारी संपत्ति के हस्तांतरण तथा अधिग्रहण के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है। ये ट्रस्ट/सोसाइटियां काले धन का निवेश करने और ऐसी परिसंपत्तियां अर्जित करने, जो बेनामी संपत्ति अधिनियम के तहत प्रतिबंधित हैं, का साधन है। यह भी व्यापक रूप से पाया गया कि इन ट्रस्टों/सोसाइटियों में फंड का निवेश धन के स्रोत को परखे बिना ही बड़े पैमाने पर किया गया। हालांकि, यह चुनी हुई सरकार के साथ-साथ मुख्यमंत्री की भी जवाबदेही है कि जनकल्याण सुनिश्चित करें, लेकिन इसके विपरीत, सरकारी संपत्ति एवं रोजकोष के संरक्षक ने सरकारी संपत्ति को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा इन निकायों के कल्याण के लिए सरकारी खजाने को लुटाया। हालांकि, ट्रस्ट/सोसाइटियां सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए होती है, लेकिन प्रबंधन तथा संचालन का नियंत्रण एक व्यक्ति विशेष के अधीन रहा और इन संगठनों ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में कार्य किया।

कमेटी द्वारा यह भी पाया गया कि कीमती जमीन ट्रस्ट को इस बात को जांच पड़ताल किये बिना आबंटित की गई कि ट्रस्ट द्वारा धन किस प्रकार अर्जित किया गया, उसकी स्थिति, प्रतिष्ठा, अनुभव, विशेषज्ञता या मुख्य प्रयोजन क्या है। सभी नियमों को ताक पर रखकर मनमाने ढंग से जमीन उपहार के रूप में हस्तांतरण/आबंटित की गई। अधिकारियों की कार्य प्रणाली में भी

अनावश्यक जल्दबाजी तथा उतावलेपन की झलक दिखती है तथा तत्कालीन मुख्यमंत्री ने स्वयं निर्णय को अनुमोदित किया, खुद की जमीन खुद का ट्रस्ट, खुद मुख्यमंत्री, खुद को गिफ्ट कर ली, जिसका सीधा उद्देश्य अपने परिवार के सदस्यों द्वारा चलाये जा रहे ट्रस्टों को सीधा फायदा पहुंचाना था। संस्थानों/ट्रस्टों को शुरुआत में ही बिना उनकी कार्य प्रणाली का पता लगाये कर में छूट/रियायत के प्रमाण पत्र जारी किये गये और यहां तक कि ऐसी निकायों की वास्तविकता का भी आंकलन नहीं किया गया।

कमेटी ने निम्नलिखित सोसाइटियों/ट्रस्टों/संस्थानों से संबंधित रिकार्ड की जांच की :

1. चौधरी देवीलाल गौशाला
2. माता इरकी देवी मैमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी
3. चौधरी देवीलाल मैमोरियल ट्रस्ट
4. चौधरी देवीलाल मैमोरियल सोसाइटी
5. जनसेवा ट्रस्ट

दस्तावेजों की जांच तथा विभागीय प्रतिनिधियों की सुनवाई के बाद कमेटी ने अपनी टिप्पणियां दी तथा उन्हें आठ भागों में विभाजित किया।

XXX XXX XXX XXX

सिरसा जिले के गांव कंवरपुरा तथा खाजा खेड़ा की पंचायत जमीन चौधरी देवीलाल गौशाला को उपहार स्वरूप देना

चौधरी देवीलाल गौशाला ट्रस्ट, गांव कंवरपुरा, सिरसा का पंजीकरण सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के प्रावधानों के अंतर्गत 2001-02 की पंजीकरण संख्या 1576 के तहत 17.9.2001 को किया गया। हालांकि, सोसाइटी का उद्देश्य सराहनीय है तथा गौशाला खोलना एवं संचालन किसी भी सोसाइटी के लिए विवादित नहीं हो सकता क्योंकि यह निश्चित रूप से सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति है। लेकिन इस कार्य की अवैधता और दुर्भावना धर्मार्थ उद्देश्यों को पीछे छोड़ देती है। उद्देश्यों को खत्म कर जमीन हथियाने के लिए गलत तरीके अपनाये गये। सोसाइटी का उद्देश्य संपत्ति का अधिग्रहण करना है अन्यथा जमीन राज्य की ग्राम पंचायत संस्था की है। यहां यह उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत कवंरपुरा द्वारा 8 जून, 2001 को प्रस्ताव संख्या-2 के तहत गौशाला के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया तथा भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की स्मृति में उनके नाम पर गौशाला का निर्माण करवाया जाये। सोसाइटी अब तक भी पंजीकृत नहीं है। No society is there. Everything is - in thin air. कोई सोसायटी, कोई स्टैच्युरी बोडी कुछ नहीं।

कोई दान प्राप्त न होने के बावजूद ग्राम पंचायत प्राप्त भूमि 163 कनाल 5 मरला शामलात देह जमीन दान करने के लिए सहमत हो गई। कोई सोसायटी नहीं, कोई बोडी नहीं, जमीन दान कर दी जाती है। यह आश्चर्यजनक लगता है कि दान प्राप्त की महत्ता के अभाव में और सोसाइटी के पंजीकरण के एक महीने की भी कम अवधि में ग्राम पंचायत द्वारा जमीन के दान/उपहार करने की पहल की गई। विभाग ने उक्त सोसाइटी को भूमि उपहार देने की प्रक्रिया की पहल की। उक्त सोसाइटी द्वारा मांग पत्र में 170 कनाल जमीन की मांग की गई। हालांकि, यह

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

स्पष्ट रूप से वर्णित है कि विभाग के पास उक्त सोसाइटी की वित्तीय क्षमता एवं सक्षमता के बारे कोई सूचना नहीं थी। उक्त सूचना में यह विशेष रूप से उल्लेखित है कि भूमि का उपयोग उन्हीं के उद्देश्यों के लिए किया जायेगा, जिसके लिए उपहार की गई है। अन्य शर्तों में भी यह निर्धारित है कि सोसाइटी एक वर्ष की अवधि के अंतर्गत गौशाला भवन का निर्माण करवायेगी। उक्त नोट तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा अपने आदेश दिनांक 12.01.2002 को अनुमोदित किया गया। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने वह जमीन गिफ्ट कर दी।

कंवरपुरा गांव की इस वर्णित भूमि के अलावा सोसाइटी ने खाजा खेड़ा में भी जमीन उपहार के लिए अनुरोध किया। यह इंगित करना उचित होगा कि इस ग्राम पंचायत के पास कुल खेती योग्य भूमि 9 एकड़ 5 कनाल तथा 10 मरला थी और पंचायत ने दिनांक 31.07.2002 के प्रस्ताव संख्या-1 और 29.10.2002 के प्रस्ताव संख्या-3 के द्वारा 7 एकड़ तथा 2 मरला भूमि दान करने का निर्णय लिया और ग्राम पंचायत की आय बढ़ाने के लिए पंचायत के पास भूमि नहीं बची। यहां यह विशेष रूप से इंगित किया गया है कि पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियम, 1964 के नियम में कोई प्रावधान नहीं है इन दोनों केसिज के कानून में कोई प्रावधान नहीं थे कि गौशाला स्थापित करने के उद्देश्य के लिए भूमि उपहार स्वरूप दी जा सके। कंक्ल्यूजन क्या है कमेटी ने कहा है वह बता रहा हूं अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा हूं। फिर भी, सिरसा के उपायुक्त ने 2.12.2012 को सोसाइटी को जमीन उपहार के रूप में देने की सिफारिश अपने पत्र के माध्यम से की तथा सोसाइटी के लिए वही शर्तें प्रस्तावित की गई कि भूमि का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जायेगा, जिसके लिए भूमि उपहार दी जा रही है तथा सोसाइटी एक वर्ष के अंदर-अंदर गौशाला का निर्माण करवायेगी।

हालांकि अधिकारी कानूनी प्रावधानों के इन तथ्यों से अवगत थे कि वे गौशाला उद्देश्यों के लिए भूमि उपहार में कानूनी तौर से नहीं दी जा सकती। फिर भी हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 19.12.2002 को अपने आदेशों में उक्त प्रावधानों को अनुमति दे दी।

XXX XXX XXX XXX

दस्तावेजों के अवलोकन के साथ-साथ कानूनी प्रावधान स्पष्ट रूप से दर्शाते है कि पूरी प्रक्रिया संदेहास्पद ढंग से अपनाई गई। सरकारी बहुमूल्य संपत्ति को सोसाइटी को हस्तांतरित किया गया, इन तथ्यों के बावजूद कि अधिनियम, 1961 की धारा 5 और बाद में जोड़ी गई धारा 5ए तथा 5बी गौशाला निर्माण उद्देश्य के लिए भूमि उपहार देने के लिए अधिकृत नहीं करती।

XXX XXX XXX XXX

यहां एक और महत्वपूर्ण पहलू है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि भूमि को उपहार स्वरूप देने की मंजूरी देते समय शर्तों में जोड़ा गया कि सोसाइटी एक वर्ष के अंदर-अंदर गौशाला का निर्माण करेगी। कमेटी ने हरियाणा पंचायत एवं विकास विभाग के वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव से भूमि की स्थिति के संबंध में रिपोर्ट मांगी तथा विभाग की जांच में पाया गया कि कंवरपुरा में स्थित संबंधित भूमि पर किसी गौशाला का निर्माण नहीं करवाया गया 2013 तक सर। इस प्रकार, आवश्यक शर्तें जोकि प्रावधानों में अनिवार्य थी, का उल्लंघन किया गया। सोसाइटी ने

पिछले दस वर्षों से भी अधिक अवधि के लिए इस जमीन का दुरुपयोग किया है तथा इसका उन उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया, जिसके लिए यह आबंटित की गई थी।

XXX XXX XXX XXX

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा अपने आदेश दिनांक 8.11.2012 को भूमि उपहार को रद्द किया गया। हमारी कमेटी बनने के बाद और बाद में ग्राम पंचायत को हुए नुकसान की भरपाई के लिए वसूली करने के लिए खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा आगे की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए गये।

XXX XXX XXX XXX

कमेटी का मत है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री के परिवार में अपनी स्थिति तथा प्रभाव का अनावश्यक लाभ उठाते हुए ग्राम पंचायत का दबाव बनाकर भूमि के उपहार का प्रस्ताव पारित करवाया। इसके बावजूद कि ऐसे लेन-देन के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। जिस त्वरित तरीके से ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पारित करने की पहल की तथा उपायुक्त द्वारा मामले की सिफारिश की गई, जो लेन-देन की निष्पक्षता पर संदेह व्यक्त करता है। वास्तव में यह गलत तरीके से ग्राम पंचायत की उपजाऊ भूमि हथियाने का एक प्रयास है अन्यथा कानून इसकी अनुमति नहीं देता।

XXX XXX XXX XXX

गांव कंवरपुरा की उपहार स्वरूप दी गई भूमि को रद्द कर दिया गया। हालांकि गांव खाजा खेड़ा की उपहार की गई भूमि को अब तक सक्षम अधिकारियों द्वारा रद्द नहीं किया गया। यह सिफारिश की जाती है कि इस पर भी कार्रवाई की जाये। राज्य सरकार को यह भूमि सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पुनः दिलवानी चाहिए।

XXX XXX XXX XXX

(भाग 2)

जिला सिरसा के गाँव ओढ़ां की पंचायत की भूमि माता हरकी देवी मैमोरियल एजुकेशन सोसाइटी को उपहार स्वरूप दी गई

माता हरकी देवी मैमोरियल एजुकेशन सोसाइटी, गाँव ओढ़ां, जिला सिरसा का पंजीकरण समितियां पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत 2001-2002 दिनांक 26.03.2002 को पंजीकरण संख्या 3595 के द्वारा हुआ था। पिछला भी 2002 में हुआ था। समिति के मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना और उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरे ऐसे सहायक कार्य करने थे। समिति ने ग्राम पंचायत की जमीन उपहार स्वरूप लेने के लिए तीन आग्रह किये थे। इन आग्रहों पर कोई तिथि अंकित नहीं थी और ऐसा प्रतीत होता है कि तिथियाँ समिति ने जानबूझ कर नहीं डाली थी। हालांकि इन पहलुओं या आग्रहों की इस तथ्य से जांच की जा सकती है कि ग्राम पंचायत ओढ़ां, खण्ड ओढ़ां, जिला सिरसा द्वारा दिनांक 27.03.2002 को 140 कनाल 4 मरला शामलात भूमि को उपहार स्वरूप देने के लिए प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 27.03.2002 पारित किया गया था। ग्राम पंचायत ओढ़ां द्वारा फिर 40 कनाल भूमि के लिए एक और प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 10.06.2002

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

पारित किया गया। फिर तीसरी बार ग्राम पंचायत ओढ़ां द्वारा 77 कनाल 8 मरला भूमि को उपहार स्वरूप देने के लिए प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 02.08.2003 पारित किया गया। इस प्रकार से 3 बार जमीन ली गई। यह स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रस्तावों में से 2 प्रस्ताव, अर्थात् 140 कनाल 4 मरला जमीन के लिए प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 27.03.2002 और 40 कनाल जमीन के लिए प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 10.06.2002, अप्रैल 2003 के अधिनियम 13 के तहत पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियमों में संशोधन करने से पूर्व पारित किये गये थे। ऐसी शंका है कि भूमि को उपहार में देने हेतु आवेदन, जो कि प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 02.08.2003 का विषय है, अधिनियम और विनियमों में संशोधन से पहले किया गया था। स्पीकर सर, जब पहली दो गिफ्ट दे दी तो उसके बाद समझ में आया कि गिफ्ट तो दे ही नहीं सकते थे। इसलिए तीसरी गिफ्ट के समय इसके लिए कानून को ही अमैंड कर लिया गया लेकिन पहले जो दो गिफ्ट थी उनमें कानून को अमैंड ही नहीं किया गया था।

पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियम, 1964 के नियम 13 (1) के तहत शामलात भूमि को उपहार स्वरूप देने के लिए वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा क्रमश: आदेश दिनांक 30.05.2002, 16.06.2002 के साथ 24.12.2003 के द्वारा अनिवार्य आदेश इस शर्त पर पारित किये गये कि भूमि का इस्तेमाल उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए यह उपहार स्वरूप दी गई है और सोसाइटी भूमि को न तो किसी को बेचेगी और न ही हस्तांतरण करेगी। यह इंगित करना भी प्रासंगिक होगा कि प्राधिकारियों ने जानबूझ कर उस समय सीमा के सम्बन्ध में कोई शर्त नहीं रखी, जिसके अन्दर उपहार स्वरूप दी गई भूमि का इस्तेमाल का प्रयोग उस प्रयोजन के लिए करेगी, जिसके लिए यह उपहार स्वरूप दी गई थी। पृथक मामलों के अनुशीलन से उद्घाटित होता है कि प्रस्ताव दिनांक 27.03.2002 सोसाइटी के पंजीकरण से अगली तिथि को तत्काल पारित कर दिया गया था और 20 दिन की अवधि के अन्दर प्रस्ताव को उपायुक्त, सिरसा द्वारा इस तथ्य पर गौर किये बिना अनुशंसित कर दिया गया था कि अधिनियम के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। टिप्पणियों में यह गलत उल्लेख किया गया था कि पंचायती भूमि को उपहार स्वरूप देने के लिए निर्णय लेने में सरकार सक्षम है। उक्त टिप्पणियाँ चौधरी देवी लाल गौशाला को भूमि उपहार स्वरूप देने के मामले में निदेशक, पंचायत द्वारा दर्ज की गई टिप्पणियों के सर्वथा विपरीत थी, जिनमें निदेशालय द्वारा यह स्पष्ट दर्ज किया गया था कि 1964 के विनियमों के नियम 13 (1) के तहत भूमि उपहार स्वरूप देने के लिए सक्षम नहीं है। अत: समूची प्रक्रिया अनिवार्य तथ्यों और सरकार की शक्तियों को जानबूझ कर छिपाते हुए छलपूर्वक की गई थी। यह कहना उपयुक्त होगा कि 40 कनाल भूमि को उपहार स्वरूप देने का प्रस्ताव तत्कालीन उपायुक्त द्वारा 04.09.2002 को अग्रेषित किया गया था। यह इंगित करना उपयुक्त होगा कि 21.11.2002 को गांव खाजा खेड़ा, जिला सिरसा में स्थित भूमि को उपहार स्वरूप देने के मामले में उक्त उपायुक्त ने स्पष्ट उल्लेख किया था कि पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियमावली, 1964 का नियम 13 (1) कोई भूमि उपहार स्वरूप देने के लिए सरकार को सक्षम नहीं बनाता जबकि 04.09.2002 को उपायुक्त द्वारा दर्ज टिप्पणी में उक्त पहलू स्पष्ट रूप से गायब था। यह स्पष्ट रूप से साबित हो जाता है कि पदाधिकारियों ने जानबूझ कर संवैधानिक प्रावधानों को गलत ढंग से उद्धृत किया और संवैधानिक प्रभाव को

नजरअंदाज किया ताकि पंजायत की लागत पर सोसाइटी को अनुचित लाभ पहुँचाया जा सके। 1961 के अधिनियम की धारा 5ए (1) में संशोधन का संदर्भ फाइल दिनांक 13.05.2003 की टिप्पणी पृष्ट संख्या 17 पर पाया गया है। आगे, यह देखना महत्वपूर्ण है कि संशोधन का मुद्दा मई, 2003 की टिप्पणी में वर्णित है। यह स्पष्ट रूप से इस बात का सूचक है कि प्राधिकारियों को पता था कि सरकार के पास भूमि उपहार स्वरूप देने की शक्ति नहीं है और वे यह जानते थे कि तत्कालीन प्रावधान भूमि उपहार स्वरूप देने के लिए सरकार को सक्षम नहीं बनाते। मुख्यमंत्री द्वारा बाद में 03.06.2003 को अर्थात् संशोधन के लागू होने के बाद स्वीकृति प्रदान की गई। फाईल का अनुशीलन यह भी दर्शाता है कि 25.10.2012 को प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा ग्राम पंचायत ओढ़ां 40 कनाल, 79 कनाल 8 मरला भूमि को रद्द करने के लिए 25.10.2012 को कारण बताओ नोटिस इस आधार पर जारी किया गया कि सोसाइटी ने 40 कनाल भूमि का तबादला किसी चांद सिंह की 37 कनाल भूमि के साथ कर लिया था और उपहार स्वरूप दी गई भूमि का इस्तेमाल उस प्रयोजन के लिए नहीं हो रहा था, जिसके लिए यह प्रदान की गई थी। आगे, 77 कनाल 8 मरला, भूमि जो कि सोसाइटी को 10+2 कन्या विद्यालय के निर्माण के लिए उपहार स्वरूप दी गई थी, का इस्तेमाल उस प्रयोजन के लिए नहीं हुआ और इस पर छात्रावास, स्टाफ क्वार्टर, स्टेडियम बना दिये गए। **यह प्रतीत होता है कि सोसाइटी ने उपहार के नियम व शर्तों का उल्लंघन किया है।**

XXX XXX XXX XXX

निष्कर्ष:

संवैधानिक प्रावधानों का अल्प अनुशीलन यह दर्शाता है कि प्राधिकारी, सोसाइटी को सौंपे गये प्रयोजन के लिए भूमि देने में सक्षम नहीं थे। गांव ओढ़ां की 140 कनाल 4 मरला भूमि 24.05.2002 को 1964 के विनियमों के नियम 13 (1) के प्रावधानों के तहत उपहार स्वरूप दी गई थी चूंकि अधिनियम 1961 का ऐसा कोई अनुवर्ती प्रावधान नहीं था। There was no power to gift this land.

प्राईवेट सोसाइटी को भूमि उपहार स्वरूप देने के लिए सरकार द्वारा अनुमति नियम 13 के प्रावधानों के तहत दी गई थी। यहां इस बात का उल्लेख करना उचित होगा कि अधिसूचना दिनांक 22.03.2001 के द्वारा जोड़े गए नियम 13 के प्रावधान में यह दिया गया है कि गैर-सरकारी भूमि किसी धर्मार्थ संस्थान को गांव के निवासियों के लाभार्थ उपहार स्वरूप दी जा सकती है। नियम 13 का उपनियम 1 अधिसूचना दिनांक 09.04.2002 के द्वारा संशोधित किया गया था जिसके अन्तर्गत सरकार द्वारा अनुमोदित किए जा सकने वाले ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए भूमि को उपहार स्वरूप देने की अनुमति दी गई थी। हालांकि यह इंगित करना उचित होगा कि इस अधिनियम के तहत अनुवर्ती प्रावधान उपलब्ध नहीं था।

उक्त मौलिक गलती को पाकर, 2003 के अधिनियम संख्या 13 दिनांक 25.04.2003 के द्वारा धारा 5ए का प्रावधान किया गया, जिसके अन्दर उप-धारा 1-ए जोड़ी गई ताकि सरकार द्वारा अनुमोदित किये जा सकने वाले ऐसे प्रयोजन के लिए भूमि उपहार स्वरूप देने के लिए प्रावधान किया जा सके। यह कहने की जरूरत नहीं कि 2007 के अधिनिमय के द्वारा धारा 5(1)ए आखिरकार हटा दी गई। यह भी प्रतीत होता है कि 25 अप्रैल, 2003 तक 1961 के अधिनियम के

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

प्रावधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिसके द्वारा उक्त सोसाइटी को उस प्रयोजन के लिए ग्राम पंचायत की भूमि उपहार स्वरूप दी जा सकती। इसमें सक्षम बनाने वाला प्रावधान 25.04.2003 को अधिसूचित 2003 के अधिनियम 13 के द्वारा जोड़ा गया।

XXX XXX XXX XXX

जहाँ तक 40 कनाल भूमि का सम्बन्ध है, जिसके लिए आदेश दिनांक 05.06.2003 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा राज्य सरकार को अनुमति प्रदान की गई थी, उक्त भूमि महिला छात्रावास के निर्माण के लिए इस शर्त पर दी गई थी कि सोसाइटी उक्त भूमि का इस्तेमाल उसी प्रयोजन के लिए करेगी, जिसके लिए यह उपहार स्वरूप दी गई है और सोसाइटी न तो भूमि किसी को बेचेगी और न ही इसका हस्तांतरण करेगी। प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट और सूचित किये अनुसार सोसाइटी ने 40 कनाल भूमि का श्री चान्द सिंह सुपुत्र श्री मेहताब की 37 कनाल भूमि के साथ तबादला कर लिया है। भूमि का इस्तेमाल महिला छात्रावास के निर्माण के प्रयोजन के लिए नहीं किया गया, हालांकि उपहार स्वरूप दी गई भूमि का तबादला निषिद्ध कर दिया गया था।

जहाँ तक 77 कनाल 8 मरला भूमि का सम्बन्ध है, जो कि आदेश दिनांक 18.12.2003 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है, उक्त भूमि ग्राम पंचायत द्वारा सोसाइटी को 10+2 कन्या विद्यालय के निर्माण के लिए उपहार स्वरूप दी गई थी। इसके ऊपर 10+2 कन्या विद्यालय का निर्माण करने की बजाय छात्रावास, स्टाफ क्वार्टर और स्टेडियम बना दिये गये।

* चूँकि, ग्राम पंचायत की भूमि के उपरोक्त दोनों उपहारों में सोसाइटी ने उपहार के उन नियम व शर्तों का उल्लंघन किया है, जिस प्रयोजन के लिए यह उपहार स्वरूप दी गई थी। सरकार को विधि के अनुरूप कार्यवाही करने की सलाह दी जाती है।

XXX XXX XXX XXX

(तीसरा भाग)

प्लाट नम्बर 5, सैक्टर 28 चण्डीगढ़ के सम्बन्ध में

चौधरी देवी लाल मैमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में ट्रस्ट ने 18 जून, 2001 को तत्कालीन यू.टी., चण्डीगढ़ प्रशासक (श्री जे.एफ.आर. जैकब) को आवेदन प्रेषित किया।

XXX XXX XXX XXX

हालांकि उक्त आवेदन पर यह स्पष्ट कहा गया कि ट्रस्ट को पंजीकरण करवाना होगा एवं सूचना देनी होगी कि वह कम से कम पांच वर्ष से विद्यमान था या नहीं। Sir, It should be a five year old Trust. ट्रस्ट द्वारा प्रेषित आवेदन दर्शाता है कि ट्रस्ट 6 जून, 2001 को पंजीकृत हुआ।

ट्रस्ट के पास मात्र 2.51 लाख रुपये की राशि उपलब्ध थी। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रस्ट विद्यमान नहीं था और आवेदन प्रेषित करने की तिथि को घोषणा का दस्तावेज भी मात्र 12 दिन पुराना था।

XXX XXX XXX XXX

* कमेटी ने 2.4 एकड़ भूमि के इस बड़े टुकड़े के आबंटन में स्पष्ट अनियमितताएं/अवैधता पाई है और अन्तिम निर्णय देने से पूर्व निम्न मुद्दे निर्धारित किये गये :--

1. यूटी प्रशासन, चण्डीगढ़ द्वारा समय-समय पर बनाए गये कानून के किस प्रावधान तथा दिशानिर्देशों के तहत यह आबंटन किया गया है?
2. ट्रस्ट का गठन कब किया गया? क्या ट्रस्ट "प्रतिष्ठित संस्थान" की परिभाषा के तहत आता है?
3. कानून/दिशानिर्देश की किस प्रावधान के तहत और क्यों छूट दी गई?
4. उस समय इस ट्रस्ट की वित्तीय स्थिति क्या थी और यह भूमि 1800/- रुपये प्रति वर्गगज की दर से क्यों दी गई जबकि अन्य संस्थान/ट्रस्ट को यह 5800/- रुपये प्रति वर्गगज की दर से दी गई है।
5. जिस उद्देश्य से आबंटन किया गया क्या वह पूरा किया गया?
6. क्या यह समस्त गतिविधि बहुमूल्य सरकारी सम्पत्ति को हड़पने तथा सरकारी खजाने को घाटा पहुंचाने का एक मिथ्या संव्यवहार था?

उक्त मुद्दों का वर्णन निम्न प्रकार से हैं --

मुद्दा नम्बर 1

यह आबंटन चंडीगढ़ में शैक्षणिक संस्थानों (स्कूलों) आदि को पट्टा आधार पर भूमि आबंटन योजना, 1996 के प्रावधानों के तहत किया गया है। ये वैधानिक प्रावधान हैं। यह योजना शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने के मद्देनजर निजी क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थानों (स्कूलों) को स्थल आवंटित करने के लिए बनाई गई है।

XXX XXX XXX XXX

अनुच्छेद 4 का सम्बन्ध स्कूल स्थलों की बिक्री के तहत आवेदन के लिए पात्रता से है। यह अनुच्छेद इस प्रकार पठित है :--

"चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये मानदण्ड को पूरा करने वाला शैक्षणिक संस्थान (स्कूल/समिति/ट्रस्ट) निम्न शर्त पर स्कूल स्थलों के लिए आवेदन करने का पात्र होगा:--

1. शैक्षणिक संस्थान (स्कूल/समिति/ट्रस्ट) को चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदण्ड और नीति के अनुसार आवेदन आमंत्रित करने के लिए नोटिस देने की तिथि को शैक्षणिक संस्थान (स्कूल) के संचालन में निर्धारित योग्यता एवं अनुभव हो।

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

2. शैक्षणिक संस्थान (स्कूल/समिति/ट्रस्ट) के पास आवेदन के समय भूमि के विज्ञापित मूल्य का कम से कम 25 प्रतिशत अदा करने और बनाए जाने वाले भवन की अनुमानित लागत के 25 प्रतिशत तक के लिए पर्याप्त राशि हो और इसके लिए वह पर्याप्त प्रमाण देगा।"

आबंटन की प्रक्रिया अनुच्छेद 6 में वर्णित है। अनुच्छेद 6 (iii) में यह कहा गया है कि :-

11.00 बजे "अदायगी की निर्धारित विधि में निर्धारित अग्रिम राशि के बिना खण्ड (ii) के तहत कोई आवेदन वैध नहीं होगा।"

XXX XXX XXX XXX

ट्रस्ट की घोषणा 6 जून, 2001 को नई दिल्ली में की गई जिसमें कहा गया ट्रस्ट का निर्माता/प्रणेता ऐसा करने का इच्छुक है :-

1. कृषि क्षेत्र में किसानों के ज्ञानवर्धन हेतु उनके लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना,

2. किसानों को सिंचाई सुविधाओं के न्यायोचित उपयोग बारे विभिन्न तकनीकी जानकारी देना,

3. समाज के कमजोर वर्गों को सस्ती एवं बेहतर शैक्षणिक एवं चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करना,

4. पूर्व उप प्रधान मंत्री एवं किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी देवी लाल की स्मृति में एवं नाम से वयोवृद्ध किसानों के लिए भारत के विभिन्न शहरों में किसान विश्राम गृह तथा अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण करना।

ट्रस्ट का उद्देश्य चंडीगढ़ में हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए तैयारी हेतु उन्हें कोचिंग एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक अध्ययन केन्द्र खोलना कभी नहीं था। ट्रस्ट के उद्देश्य चंडीगढ़ में प्लाट आबंटन के लिए दिये गए आवेदन में दर्शाए गए उद्देश्य से मेल नहीं खाते। Sir, the Rules says it is meant for setting up of Educational Institutions but Trusts says it is for welfare of farmers or taking farmers all around. How can an educational property be allocated to them?

XXX XXX XXX XXX

आवेदन के साथ चालू दर (संशोधनीय दर) पर भूमि के अस्थायी मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर की राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा करवानी थी। योजना के नियम 6 के खण्ड (iii) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "अदायगी की निर्धारित विधि में निर्धारित अग्रिम राशि के बिना खण्ड (ii) के तहत कोई आवेदन वैध नहीं होगा।"

यूटी प्रशासन ने ऐसे ट्रस्ट के आवेदन पर कैसे विचार किया जोकि अस्थायी मूल्य की 10 प्रतिशत राशि की अदायगी के बिना अपात्र था, यह ऐसा मामला है जिसकी सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जांच की जानी चाहिए कि जब कानून के प्रावधानों के अनुसार वैध आवेदन ना हो और अग्रिम राशि के बिना आवदेन अवैध होगा। इसे शुरू में ही बिना आगे विचार किए रद्द कर दिया जाना चाहिए था।

मुद्दा नम्बर 2 और 4

अब तक जहां तक धनराशि के मुद्दे का सम्बन्ध है, आवेदन के समय ट्रस्ट के पास केवल 2.51 लाख रुपये थे जोकि बहुत कम थे। ट्रस्ट योजना, 1996 के तहत परिभाषित "प्रतिष्ठित संस्थान" की श्रेणी में भी नहीं आता।

यह समझ से परे है कि क्यों सरकार ने उस समय राज्य के खजाने को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया। अन्तिम आबंटन पत्र 23 मार्च, 2002 को जारी किया गया और साथ ही कुछ संशोधनों के साथ 25 जुलाई, 2002 को नया आबंटन पत्र जारी किया गया। इस चरण पर यह उल्लेखनीय होगा कि आबंटन के लिए निर्धारित की गई दर मनमानी एवं विवेकाधीन ही नहीं है बल्कि भेदभावपूर्ण भी है। दिनांक 31 जनवरी, 2002 की कार्यवाही के दौरान चार अन्य संस्थान/ ट्रस्ट/समिति नामत: सरीन मैमोरियल लीगल एण्ड फाईनांशियल ट्रस्ट, शहीद उधम सिंह मैमोरियल ट्रस्ट, बार काउंसिल आफ पंजाब एवं हरियाणा होईकोर्ट, इंस्टीच्यूट आफ चार्टर्ड अकाउटैन्ट्स के पक्ष में आबंटन किया गया।

श्री आनन्द सिंह दांगी : सर, आप इसमें एक बात छोड़ गए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने जो दिया है उसमें यह लिखा है कि आवेदन के साथ चालू दर पर भूमि के अस्थाई मूल्य में 10-10% राशि डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा करवानी थी। योजना के नियम 6 के खण्ड 3 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अदायगी की निर्धारित विधि में निर्धारित अग्रिम राशि के बिना खण्ड 2 के तहत कोई आवेदन वैध नहीं होगा। इसी खण्ड में आगे यह लिखा हुआ है कि यह यू.टी. की जमीन थी। यू.टी. प्रशासन ने ऐसे ट्रस्ट के आवेदन पर कैसे विचार किया जोकि अस्थाई मूल्य की 10% राशि की अदायगी के बिना अपात्रता है। यह ऐसा मामला है जिसकी सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जांच की जानी चाहिये कि जब कानून के प्रावधानों के अनुसार वैध आवेदन न हो और अग्रिम राशि के बिना आवेदन अवैध होगा। इस पर आगे विचार किये बिना शुरू से रद्द कर देना चाहिए। लेकिन यह अलाट हो गई है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, रिपोर्ट कम्प्रीहैन्सिव है मैंने उसके भी बहुत रैलीवैंट निकाले हैं पर हो सकता है कोई ऐसा रैलीवैंट ईश्यू उसमें से छूट गया हो जैसा कि आदरणीय दांगी साहब ने बताया पर रिपोर्ट भी सदन के पटल पर है।

प्रशासन ने सभी अन्य ट्रस्टस को 5800/- रुपये प्रति वर्गगज की दर से भूमि आबंटित की जबकि चौधरी देवी लाल मैमोरियल ट्रस्ट को 1800/- रुपये प्रति वर्गगज की अत्यधिक निम्न दर से बिना कोई कारण बताए कि ट्रस्ट के लिए क्यों इतनी निम्न दर की सिफारिश की गई जबकि ट्रस्ट को पेश की गई भूमि मध्य मार्ग पर स्थित है जोकि चंडीगढ़ की मुख्य सड़क है। Bureau of Indian Standard had also applied for that. The Chandigarh Administration and the

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

then Administrator did not feel that the Bureau of Indian Standard is eligible. They rejected their case and considered the case of this Trust.

वित्त सचिव द्वारा 12 अप्रैल, 2002 को जारी पत्र में बताया गया कि 2.46 एकड़ का प्लाट 99 वर्ष के पट्टे पर आबंटित किया जा रहा है और इसमें निर्धारित शर्त के अनुसार ट्रस्ट को 25 प्रतिशत की अस्थायी किस्त के तौर पर 53,57,780/- रुपये जमा करवाने के निर्देश दिये गए। ट्रस्ट ने 6 मई, 2002 को समस्त राशि जमा करवा दी। यहां यह उल्लेखनीय है कि हालांकि गठन की तिथि को ट्रस्ट के पास मात्र 2.51 लाख रुपये की पूंजी थी लेकिन फिर भी उसके पास इतनी बड़ी राशि आ गई कि डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से 25 प्रतिशत अस्थायी मूल्य अदा कर सकता था। यह कहना आवश्यक नहीं है कि ट्रस्ट द्वारा एकत्रित की गई इतनी बड़ी राशि के स्रोतों की जांच की जाए। **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)**

आगे ट्रस्ट ने 12 मार्च, 2003 को 1,72,58,197/- रुपये जमा करवाए। यह राशि 12 मार्च, 2003 की रसीद से एक दिन में जमा करवाई गई। ट्रस्ट ने यह राशि कहां से और किस स्रोत से प्राप्त की तथा यह राशि किस स्रोत से आई पता नहीं है। केन्द्रीय वित्तीय एजेन्सियों/चौकसी एजेन्सियों द्वारा इस पहलू को देखा जा सकता है।

मुद्दा नम्बर 3

अब 1992 के दिशानिर्देशों और 1996 की नीति के अनुसार अन्य अवैधताओं तथा अनियमितताओं की ओर आते हुए, शैक्षणिक संस्थान (स्कूल/समिति/ट्रस्ट) को चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदण्ड और नीति के अनुसार शैक्षणिक संस्थान के संचालन में निर्धारित योग्यता एवं अनुभव होना चाहिए। निर्देशों एवं मानदण्डों के अनुसार पात्र संस्थान की अच्छी प्रतिष्ठिता और कम से कम पांच वर्षों का अनुभव एवं योग्यता होनी चाहिए।

संस्थान के पास आवेदन करते समय भूमि के मूल्य का कम से कम 25 प्रतिशत अदा करने और बनाए जाने वाले भवन की अनुमानित लागत के 25 प्रतिशत तक की पर्याप्त धनराशि होनी चाहिए। इस आबंटन के प्रश्नों एवं निरीक्षण, दोनों के जवाब बड़े ही अद्भुत/आश्चर्यजनक हैं। ट्रस्ट की डीड 18 जून, 2001 को हुई और उसने एक अदिनांकित आवेदन किया जबकि उसका पंजीकरण एवं गठन 15 अक्तूबर, 2001 को हुआ और उसे शिक्षा के क्षेत्र में कोई अनुभव/योग्यता एवं प्रतिष्ठता प्राप्त नहीं थी।

ट्रस्ट ऐसे संस्थान के संचालन की अनुमति मांग रहा है जो ट्रस्ट के ज्ञापन के तहत नहीं आता और साथ ही आवेदक द्वारा आवेदन में उसका उल्लेख भी नहीं किया गया।

प्रश्न उठता है कि क्यों और दिशानिर्देशों के किन प्रावधानों के तहत छूट दी गई है। उत्तर स्पष्ट है कि इसका उद्देश्य उत्तम स्थल पर रियायती दर से सरकारी भूमि हड़पना तथा जिस उद्देश्य के लिए भूमि का आबंटन किया था, उससे इतर अन्य उद्देश्यों के लिए उसका उपयोग करना था। छूट देने का प्रश्न केवल तभी उठता है जब आबंटन के लिए पात्रता हो। जब कोई पात्रता ही नहीं थी तो तत्कालीन यूटी प्रशासन द्वारा दी गई छूट, यदि कोई है अवैध, निरर्थक तथा पूर्णत: मनमानी, पक्षपातपूर्ण और बिना किसी कारण या मैरिट के है।

मुद्दा नम्बर 5

ट्रस्ट का गठन 6 जून, 2001 को 100 लोधी इस्टेट, नई दिलली में ट्रस्ट डीड के माध्यम से हुआ। ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्य पुन: नीचे दिये जा रहे हैं :–

"ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्य :-

गरीब लोगों का उत्थान, उनके ज्ञान, उनके स्वास्थ्य में सुधार, वयोवृद्ध किसानों एवं श्रमिकों को जीवन की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना स्वर्गीय चौधरी देवी लाल का स्वप्न था और इन सामाजिक कारणों के लिए उन्होंने अपना समस्त जीवन कुर्बान कर दिया। अत: ग्रामीण लोगों को शिक्षित करने और उन्हें स्वर्गीय चौधरी देवी लाल के सिद्धान्त एवं विचारों के बारे जागरूक करने के मुख्य उद्देश्य के साथ ही ट्रस्ट का गठन किया गया।

ट्रस्ट के अन्य उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं :-

(क) प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना, संचालन एवं रखरखाव करना।

(1) कृषि क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकियों और साथ ही सरकारी नीतियों से सम्बन्धित सूचनाओं का प्रचार करना।

(2) किसानों को कृषि उत्पादन के लिए सभी सम्भव प्राकृतिक संसाधनों एवं जैविक खाद्य के उपयोग तथा बायोगैस संयंत्रों के अधिक उपयोग बारे जानकारी देना।

(3) कृषि फसलों एवं पशुधन दोनों के लिए विभिन्न बैंकों से ऋण प्राप्त करने और विभिन्न बीमा योजनाओं बारे जानकारी देना।

(ख) विश्वभर में मानवता के समक्ष आ रही पर्यावरण की समस्याओं तथा स्वच्छता से सम्बंधित शैक्षणिक जागरूकता उत्पन्न करना।

(ग) पशुधन के सुधार के लिए स्वास्थ्य क्लीनिक्स की स्थापना, रखरखाव एवं विकास करना।

(घ) स्वर्गीय चौधरी देवी लाल की स्मृति एवं नाम से वयोवृद्ध किसानों के लिए विभिन्न शहरों में किसान विश्राम गृह की स्थापना एवं रखरखाव करना।

(ङ) विभिन्न स्थलों पर समय-समय पर किसान मेले आयोजित करना ताकि किसानों को कृषि सम्बन्धी अधिक जानकारी मिल सके तथा बाजार तक उनकी सीधी पहुंच हो।

(च) निम्न आय वर्ग के किसानों को रियायती दरों पर प्रमाणित बीज, उर्वरक तथा अन्य उपकरण उपलब्ध करवाना।

(छ) भारतीय ग्रामीणों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए स्वर्गीय चौधरी देवी लाल के नाम से छात्रवृत्तियां, अनुदान, पुरस्कार एवं रिवार्ड शुरू करना।

(ज) लोगों में भारतीय पारम्परिक संस्कृति के बारे जागरूकता उत्पन्न करने तथा स्वर्गीय चौधरी देवी लाल के संदेशों एवं सिद्धान्तों के प्रचार के लिए समय-समय पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना।

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

(झ) कोई चल या अचल सम्पत्ति खरीद, पट्टे, अदला-बदली या किसी अन्य प्रकार से अधिगृहित करना जोकि ट्रस्टी इस ट्रस्ट के उद्देश्य के लिए आवश्यक या सुविधाजनक समझें।

(ञ) ट्रस्ट के सभी या किसी भी मुख्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए तकनीकी, वित्तीय या कोई अन्य सहायता प्राप्त करने के लिए भारतीय एवं विदेशी लोगों, निगमों एवं संगठनों से समझौते एवं सम्पर्क करने के लिए बातचीत करना।

(ट) किसी सरकार या अधिकारियों के साथ प्रबन्ध करना जोकि ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्यों के अनुकूल हो तथा किसी ऐसी सरकार या प्राधिकारियों से ऐसी छूट प्राप्त जोकि ट्रस्ट प्राप्त कर सकता हो।

(ठ) ट्रस्ट के तरह के उद्देश्यों वाले किसी संघ, ट्रस्ट या सोसाइटी की तर्ज पर योगदान, दान तथा आर्थिक सहायता या अन्य प्रकार की सहायता देना।

(ड) ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए अपेक्षित या सुविधाजनक किसी भवन का निर्माण, मरम्मत, विस्तार, सुधार, विकास या फर्निस करना।

(ढ) ट्रस्ट की सभी या किसी चल व अचल सम्पत्ति की बिक्री, मोरगेज, रहननामा, पट्टा, अदला-बदली या अन्य प्रकार की डील करना, जैसा भी ट्रस्ट के संचालन के लिए आवश्यक या सुविधाजनक हो।

(ण) ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को अग्रिम तौर पर राशि देना जिन्हें ट्रस्ट ठीक समझता हो। इसके अलावा ट्रस्ट की धन राशि का निवेश तथा लेन देन ऐसे कानूनी तरीके से करना जोकि ट्रस्ट के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए ट्रस्टीज द्वारा उचित समझा जाए।

(त) उपयुक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य सभी आवश्यक कार्य करना।

यदि हम ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्यों एवं कारणों का आंकलन करते हैं तो चण्डीगढ़ प्रशासन अर्थात पंजाब के राज्यपाल को श्री अभय सिंह चौटाला द्वारा दायर आवेदन में कभी ट्रस्ट के उद्देश्यों का वर्णन नहीं किया गया। यह विशेष रूप से कहा गया है कि ट्रस्ट हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्ध रखने वाले युवाओं के लिए अध्ययन केन्द्र स्थापित करे ताकि उन्हें सिविल सेवाओं की परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग एवं प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जा सके। मुख्य उद्देश्य ग्रामीण लोगों का उत्थान, उनके ज्ञान, स्वास्थ्य तथा वृद्ध किसान एवं उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध करवाना था। यह स्क्रीनिंग कमेटी का एक अति उत्साही कदम था जिसके द्वारा ट्रस्ट के लक्ष्यों, उद्देश्यों तथा प्रयोजनों के विरूद्ध एक शैक्षणिक संस्थान मानकर आबंटन कर दिया गया। निसंदेह नियमों के अन्तर्गत शैक्षणिक संस्थान के आबंटन की शर्तें भिन्न हैं। सम्पूर्ण प्रक्रियाओं से यह स्पष्ट है कि इस आबंटन के लिए जिस उद्देश्य का वर्णन किया गया है उसकी ट्रस्ट के समझौता पत्र में कभी जानकारी नहीं दी गई।

सरकार के प्रपत्र पर बिना तिथि के आवेदन किया गया कि केन्द्र का मुख्य प्रयोजन के साथ सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में जुटे प्रतिभावान युवाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना है। यह भारत के युवाओं को काउंसलिंग के लिए एक प्रमुख संस्थान होगा।

भूमि का आबंटन वर्ष 2002 में किया गया तथा आज तक अर्थात 11 वर्ष बाद भी ट्रस्ट द्वारा अध्ययन केन्द्र आरम्भ नहीं किया गया। आबंटन अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया, जबकि आज तक ऐसा कोई केन्द्र नहीं खोला गया।

मुद्दा नम्बर 6

वर्ष 2003-04 में कैग (यू.टी.) चण्डीगढ़ ने अपने आडिट में आपत्ति दर्ज की। पंजाब तथा यू.टी. प्रशासन, चण्डीगढ़ के प्रधान महालेखाकार, लेखा परीक्षक द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि भूमि के गलत तरीके से आबंटन के कारण यू.टी. खजाने को 81,59,70,030/- रुपये का नुकसान हुआ है और अभी तक पैसा हटाया नहीं गया। This is a finding of CAG. यह लेखा परीक्षण आपत्ति अब तक लम्बित है और आज तक इसे ड्रॉप नहीं किया गया है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षण) द्वारा उठाई गयी आपत्तियों के साथ-साथ गलत तरीके से आबंटित की गई यह भूमि इस बात को प्रमाणित करती है कि पूरी प्रक्रिया केवल सरकारी जमीन चण्डीगढ़ के उत्तम स्थल पर कम दामों में हथियाने के लिए अपनाई गई है। स्क्रीनिंग कमेटी ने 4.9.2001 को अपनी मीटिंग के मुद्दों में उपर्युक्त पैराग्राफ का वर्णन किया है कि जो भूमि पहले भारतीय मानक ब्यूरो, जो भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है, को आबंटित किए जाने का निर्णय लिया था, इस ट्रस्ट को आबंटित की गई और भारत सरकार के वैधानिक निकाय के लिए चिन्हित की गई भूमि का हस्तांतरण तत्कालीन यू.टी. प्रशासन के अधिकारियों द्वारा ट्रस्ट के पक्ष में किया गया।

मध्यमार्ग पर सैक्टर 28 की भूमि और साथ लगते सैक्टरों की ज्यादातर जमीन भी सरकारी संस्थाओं को आबंटित की गई है; और मध्य मार्ग पर भूमि का आबंटन इस ट्रस्ट को किया गया है, जोकि न्यायोचित नहीं है; क्योंकि यूटी प्रशासन की पद्धति को देखते हुए मध्य मार्ग की प्रमुख भूमि सरकारी संस्थाओं या कार्यालयों को दी जाती है।

निष्कर्ष

प्राप्त किए गए दस्तावेजों के अवलोकन से साफ प्रतीत होता है कि ट्रस्ट ने गलत तरीके से फायदा उठाया और शासन के प्रभाव से इस प्रमुख भूमि का आबंटन करवाया। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा की गई कार्यवाहियों सहित छूट और तत्कालीन चंडीगढ़ के प्रशासक द्वारा की गई कार्यवाही का पुन: अवलोकन किया जा सकता है। आबंटन की सभी कार्यवाहियां, नियमों और दिशानिर्देशों के विरुद्ध थी, जोकि अवैध थी। ट्रस्ट ने कहा है कि भवन का निर्माण किया गया है, परंतु आबंटन की कार्यवाही कानूनी जांच पर खरी नहीं उतरती है। राज्य की प्रमुख संपत्ति और खजानों के इस प्रकार से गलत ढंग से खुर्द-बुर्द करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यद्यपि ट्रस्ट द्वारा प्लाट पर भवन निर्माण करवाया गया, परंतु आबंटन अवैध था। सरकार को चंढीगढ़ प्रशासन को इस मामले में पुन: समीक्षा करने के लिए सूचित करना चाहिए। निर्माण की लागत का आंकलन किया

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

जाए और संपत्ति के साथ-साथ प्लाट को सरकार के पक्ष में जब्त करने की कार्यवाही शुरू की जाए।

XXX XXX XXX XXX

(चतुर्थ भाग)

नई दिल्ली के वसंत कुंज में 3.4 एकड़ का प्लाट

चौधरी देवी लाल मैमोरियल सोसायटी के नाम एवं तर्ज पर एक सोसायटी 100 लोधी एस्टेट, नई दिल्ली में पंजीकरण नंबर एस/40562 दिनांक 15.10.2001 को पंजीकृत करवाई गई; इस संस्था का अध्यक्ष/चेयरमैन श्री अभय सिंह चौटाला को बनाया गया।

XXX XXX XXX XXX

सोसायटी ने बिना तिथि के एक प्रार्थना पत्र ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली श्री एम.वैंकया नायडू, को दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि के आबंटन के लिए किया था।

XXX XXX XXX XXX

चौधरी देवी लाल मैमोरियल सोसायटी ने संस्थानों की स्थापना के लिए भूमि के आबंटन करने के लिए प्रोफार्मा में आवेदन किया था। आवेदन में जो लिखित उद्देश्य बताए गए थे वह इस प्रकार से हैं :

1. पंचायती राज संस्थाओं के शोध एवं प्रशिक्षण की स्थापना
2. पुस्तकालय और संस्थान केन्द्र
3. नई तकनीक प्रशिक्षण केन्द्र
4. प्रदर्शनी/सभागार

XXX XXX XXX XXX

दिल्ली के ले. गर्वनर ने 19 फरवरी, 2003 को आबंटन को स्वीकृति प्रदान की और प्रोविजनल आबंटन पत्र जारी कर दिया। कापी संलग्न है। कब्जे की औपचारिताएं उस दौरान पूरी की गई और अंतिम पट्टानामा 18 जुलाई, 2003 को पार्टियों के बीच हुआ। मात्र 6,58,24,000/- रुपये की पट्टा राशि लेकर यह भूमि आबंटित कर दी गई।

XXX XXX XXX XXX

केवल जनता/दिल्ली राज्य के लोगों के लाभ के उद्देश्यों से भूमि आबंटित की जाती है। अत: जब संस्थाओं को भूमि के आबंटन के मामलों में विचार किया जाता है, तब यूटी दिल्ली के लोगों के हित में होना चाहिए। यह यूटी दिल्ली के विकास प्लान में आमतौर पर सहायक होना चाहिए। यह भी एक शर्त है कि सार्वजनिक संस्था द्वारा कार्य का स्वरूप इस प्रकार होना चाहिए

कि वह दिल्ली यूटी के अलावा दूसरे स्थान पर एक साथ कार्य नहीं कर सकता है। संस्था के पास भूमि की कीमत में साथ-साथ भवन और संसाधनों के लिए संतोषजनक कोष होना चाहिए। जैसा कि प्रयोजित प्रमाण पत्र होना चाहिए। वैधानिक नियमों के अनुसार चौधरी देवीलाल मैमोरियल सोसायटी ने उपरोक्त किसी भी प्रकार की शर्तें पूरी नहीं की थी फिर भी नियमों को ताक पर रखकर यह आबंटन किया गया;

XXX XXX XXX XXX

यह आबंटन बिल्कुल अवैध है कि इस आबंटन के कारण राज्य को राजकोष में भारी घाटा हुआ है। नियमों के अनुसार प्रायोजित पत्र के बिना इस प्रकार का आबंटन नहीं किया जा सकता है।

इस मामले की जांच सतर्कता विभाग और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा की गई और इन एजेंसियों द्वारा खामियां और अनियमितताएं बताई गई। इन अनियमितताओं की टिप्पणियां और सार नीचे दोबारा से इस प्रकार से दी गई है:

कृपया पत्र क्रमांक एफ.27(46)05/वीआईजी/एवी06/7301 दिनांक 14.12.06, 16.3.07, 18.10.07, 28.2.08 और हाल ही पत्र दिनांक 16.7.08 (180/सी) देखें। इस पत्र के तहत सतर्कता विभाग द्वारा चौधरी देवी लाल मैमोरियल सोसायटी के मामले में प्रायोजित पत्र से संबंधित रिपोर्ट मांगी।

मामले को देखा गया और यह पाया गया कि संबंधित विभाग द्वारा, सोसायटी का मामला प्रायोजित नहीं था।

XXX XXX XXX XXX

सोसायटी की वित्तीय स्थिति का खुलासा भी फाइल में नहीं किया गया। एक दिन में ही, जोकि दिनांक 2.4.2003 को एक सिंगल चालान द्वारा 6,74,69,645/- रुपये की राशि जमा करवाई गई। यह तथ्य भी देखा गया कि सोसायटी के पास इतनी बड़ी राशि कहां और कैसे प्राप्त हुई।

XXX XXX XXX XXX

विभाग द्वारा साइट का निरीक्षण भी किया गया है और दस वर्षों तक वहां किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया गया। It is a consistent thing and nothing has been constructed any where. अखबार निकालने के लिए ये प्लाट्स लिए गये थे। उन्होंने आगे कहा कि रिकार्ड के अनुसार यह लगता है कि सोसायटी ने समय की सीमा नहीं बढ़वाई और जबकि असलियत में निर्माण का समय केवल दो वर्ष था। संदेह नहीं है कि नियमों के अनुसार समय की सीमा बढ़ाई जा सकती है।

XXX XXX XXX XXX

निष्कर्ष

XXX XXX XXX XXX

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

आबंटन गैर कानूनी है और वैधानिक नियमों के विरुद्ध है। यह आबंटन वैधानिक नियम, 1981 की शर्तों को पूरा नहीं करता है। इसकी जांच होनी चाहिए और नियमों का उल्लंघन कर किस प्रकार और किन परिस्थितियों में यह आबंटन किया गया। सोसायटी द्वारा 6,74,69,645/- रुपये की बड़ी राशि कहां से जुटाई गई, इसकी भी जांच होनी चाहिए। सोसायटी की वर्तमान वित्तीय स्थिति की जांच की जानी चाहिए। यह आबंटन वर्ष 2003 में किया गया था परंतु 19.7.2012 की साइट निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार सोसायटी ने केवल बेसमेंट खोदी हुई थी और केवल छोटे भाग में आरसीसी की दीवार बनाई गई थी और निर्माण कार्य प्रगति पर नहीं था। तब दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह आबंटन रद्द कर दिया। यह परामर्श दिया जाता है कि इसकी जांच के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग को अनुरोध किया जाना चाहिए। इस आबंटन में ऊंचे ओहदें वाले लोगों की भूमिका है और तत्कालीन मुख्यमंत्री के बेटे के पक्ष में अनुचित तरीके से यह आबंटन किया गया। इस कारण से राज्य के खजाने को भारी घाटा हुआ।

(पांचवा भाग)

चार प्लाट 448-451 एच.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा उद्योग विहार गुड़गांव में जन सेवा ट्रस्ट को आबंटित

श्री कृष्ण कुमार सुपुत्र अनन्त राम निवासी 383-ई म्यूर विहार, फेस-2, दिल्ली द्वारा जन सेवा ट्रस्ट बनाया गया था। यह ट्रस्ट 9 नवम्बर, 1990 को पृष्ठांकन संख्या 137 के संदर्भ में दिल्ली में पंजीकृत किया गया। इस ट्रस्ट के संस्थापक श्री कृष्ण कुमार को पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला के घनिष्ट सम्बन्धी माना जाता है।

XXX XXX XXX XXX

चूंकि, 28.11.1990 को 4000 वर्गमीटर का प्लाट नम्बर 444, फेज 4, गुड़गांव के आबंटन के लिए अस्थाई पत्र जारी किया गया था। ट्रस्ट के निगमित प्रमाणपत्र दर्शाते हैं कि ट्रस्ट को 9 नवम्बर, 1990 को निगमित किया गया था।

XXX XXX XXX XXX

परिणामस्वरूप ट्रस्ट को राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक-एक हजार वर्गमीटर के प्लाट नम्बर 448-451, फेज 4, उद्योग विहार में प्रिंटिंग प्रैस की स्थापना के लिए आबंटन पत्र दिनांक 21.5.1991 के माध्यम से आबंटित किये गये थे।

XXX XXX XXX XXX

Sir, may I pause and remind you that Shri Om Prakash Chautala has started the newspaper "Jan Sandesh".

यह ट्रस्ट एक सार्वजनिक ट्रस्ट है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि यह ट्रस्ट लाभ अर्जित करने वाला ट्रस्ट है और बड़े-बड़े राजनैतिक आकाओं के आशीर्वाद से इस ट्रस्ट पर एक व्यक्ति का एकछत्र राज है।

XXX XXX XXX XXX

इन भुगतानों के अतिरिक्त, 1994 तक भवन के निर्माण के लिए बड़ी राशि खर्च की गई और फिर भवन को तोड़ दिया गया और फिर दोबारा इस स्थल पर नया भवन बनाया गया, जिसके लिए अधिपत्य प्रमाण पत्र 31.12.2004 को प्राप्त किया गया था। इस जन सेवा ट्रस्ट ने यह राशि किन स्रोतों से प्राप्त की, यह एक गम्भीर चिंता का विषय है।

यह समिति के लिए आश्चर्य की बात है कि लोकतंत्र में और उस देश में जहां कानून है, वहां 4000 वर्गमीटर प्लाट 10.10.1990 को ऐसे ट्रस्ट को आबंटित किया गया, जो अस्तित्व में ही नहीं है। किस प्रकार से किसी व्यक्ति को यह आबंटन किया जा सकता है, जो गैर कानूनी है। समिति को यह समझ में नहीं आया कि आबंटन प्रक्रिया को क्या कहा जाए। जब न कोई प्रार्थी, न कोई परियोजना रिपोर्ट, न साक्षात्कार, न वित्तीय स्थिति, निश्चित रूप से इस आबंटन का कोई आधार नहीं है। इस बिल्डिंग को समाचार पत्र खोलने के लिए लिया गया था जो करोड़ो रुपये की है लेकिन इसे इण्डिया बुल्ज कम्पनी को किराये पर दिया हुआ है। इस प्रकार से इस बिल्डिंग का कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है।

समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि सारा मामला सरकार द्वारा पुन: जांचा जाए और कानून के अनुसार उचित कार्यवाही की जाए।

XXX XXX XXX XXX

(छठा भाग)

जन सेवा ट्रस्ट द्वारा खरीदे गये प्लाट संख्या 5 और 6, इंडस्ट्रीयल एरिया, वजीरपुर, नई दिल्ली

जन संदेश के माननीय निदेशक श्री आर.के. चौधरी द्वारा इंडस्ट्रीयल एरिया में दैनिक समाचारपत्र जनसंदेश को प्रकाशित करने के लिए 4000 वर्गमीटर प्लाट के आबंटन के लिए एक आवेदन किया गया था। यह आवदेन 1001 रुपये के ट्रस्ट फंड के साथ दिल्ली में पंजीकृत मैसर्ज जनसेवा ट्रस्ट के नाम से किया गया है।

XXX XXX XXX XXX

प्रिंटिंग प्रैस काम्पलेक्स, वजीरपुर में मैसर्ज जन सेवा ट्रस्ट (दैनिक जन संदेश) को प्लाट संख्या 5 और 6 आबंटित किया गया था। मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं।

1. मैसर्ज जन सेवा ट्रस्ट से दिनांक 4.1.1991 को आवेदन प्राप्त हुआ।

XXX XXX XXX XXX

4. अवर सचिव, भारत सरकार, शहरी मामले और रोजगार मंत्रालय (दिल्ली मण्डल) द्वारा उपरोक्त प्लाट को रीक्रिएशनल से मैन्युफैक्चरिंग (लाइट एण्ड सर्विस इंडस्ट्री) के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन हेतु 27.7.1995 को अधिसूचना जारी की गई।

5. श्री कृष्ण कुमार ट्रस्ट अधिकृत हस्ताक्षरी के माध्यम से 22.12.2000 को उपरोक्त प्लाट की लीज डीड की गई। लीज डीड को सब रजिस्ट्रार-VII नई दिल्ली के कार्यालय में 23.12.2000 को पंजीकृत किया गया।

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

6. ट्रस्ट को 11.11.2003 को प्लाट के निर्माण के लिए समय विस्तार की अवधि 31.10.2003 तक दी गई।

7. उपरोक्त परिसर में जन संदेश द्वारा समाचार पत्र के प्रकाशन के लिए कोई प्रिंटिंग प्रैस स्थापित/संचालित नहीं की गई।

8. फील्ड स्टाफ द्वारा 9.9.2005 को 5.7.2007 को स्थल का निरीक्षण किया गया और रिपोर्ट दी कि उपरोक्त प्लाट डी.डी. मोटर्स को दिए गये हैं और इन प्लाटों पर कारों की मरम्मत की कार्यशाला और ऑटोमोबाईल (कारों) की बिक्री के लिए उपयोग किया जा रहा है।

XXX XXX XXX XXX

10. नीवनतम स्थल निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 13.6.2012 के अनुसार इस परिसर का उपयोग डी.डी. मोटर्स द्वारा इसी उद्देश्य के लिए किया जा रहा है।

11. अब तक इकाई द्वारा कोई भी कम्प्लीशन प्रमाणपत्र जमा नहीं किया गया।

XXX XXX XXX XXX

ये दोनों प्लाट उस उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किए गये जिस उद्देश्य के लिए जन संदेश/जनसेवा ट्रस्ट द्वारा प्राप्त किए गये थे। जनसेवा ट्रस्ट का उद्देश्य कभी भी लाभ अर्जन नहीं था और वर्तमान में इन प्लाटों को किराए पर देकर लाभ प्राप्त किया जा रहा है।

यह ट्रस्ट सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में बनाया गया था, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि यह ट्रस्ट लाभ अर्जित ट्रस्ट है। यह भी देखा जाना चाहिए कि ट्रस्ट द्वारा एकत्रित किए गये दान और राजस्व की बड़ी राशि का उपयोग उचित तरीके से किया गया है और धन का व्यय उस उद्देश्य के लिए किया गया है, जिस उद्देश्य के लिए ट्रस्ट बनाया गया था। ट्रस्ट का उद्देश्य कभी भी लाभ अर्जित उद्यम के रूप में नहीं, बल्कि कल्याणकारी कार्य करना है। यह भी देखा जाना चाहिए कि चाहे ट्रस्ट द्वारा ऐसे लाभ/कमाई को ट्रस्ट के उद्देश्यानुसार खर्च किया गया है।

सरकार को डीडीए के सक्षम प्राधिकारी द्वारा नए सिरे से इस मामले की जांच करवानी चाहिए और नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जाए।

(सातवां भाग)

चौधरी देवी लाल मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई राजकीय पशुधन फार्म, हिसार से सम्बंधित भूमि

चौधरी देवी लाल मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री अभय सिंह चौटाला ने 17 सितम्बर, 2004 को खसरा नम्बर 1439/मिन-17 का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए, राजकीय पशुधन फार्म, हिसार में सिरसा रोड (ट्रक यूनियन से लगती) पर स्थित सरकारी भूमि के आबंटन के लिए उपायुक्त हिसार को आवेदन किया। आवेदन के साथ कोई दस्तावेज जैसे कि संघ का ज्ञापन, संघ का आलेख/प्रस्ताव आदि या भूमि के आबंटन करवाने का कोई उद्देश्य नहीं दिया गया।

उपायुक्त हिसार ने 20 सितम्बर, 2004 को मुख्य अधीक्षक, राजकीय पशुधन फार्म, हिसार को इस ट्रस्ट को 7 कनाल 14 मरला भूमि देने के लिए लिखा।

XXX XXX XXX XXX

तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला ने भी 8 अप्रैल, 2004 को इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी और बाद में वित्त विभाग ने भी इस प्रस्ताव को 10 दिसम्बर, 2004 को उसी दिन अनुमोदित कर दिया। मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में इस प्रस्ताव को अन्तिम स्वीकृति प्रदान की गई। 17 दिसम्बर, 2004 को सरकार ने 19.36 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से 7 कनाल 14 मरला भूमि हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी और पशुधन विभाग को इस बारे जानकारी दी।

इन घटनाओं के क्रम से ऐसा लगता है कि उपायुक्त हिसार, राजकीय पशुधन फार्म, पशुपालन विभाग और हरियाणा सरकार ने यह सोचने का प्रयास नहीं किया यह भूमि किस उद्देश्य से इस ट्रस्ट को दी जा रही है क्योंकि ट्रस्ट ने आरम्भ में और बाद में भी इसके लिए कोई आग्रह नहीं किया था। ट्रस्ट को यह भूमि आबंटित करने का यह समस्त घटनाक्रम केवल एक ही उद्देश्य को दर्शाता है और वह है मनमानी, पक्षपात और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के विरुद्ध जाकर यह भूमि ट्रस्ट को हस्तांतरित करके सरकारी भूमि हड़पना। जिस प्रकार इस बहुमूल्य भूमि को ट्रस्ट को दिया गया है वह दर्शाता है कि उस समय कैसे सरकार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकश चौटाला के पुत्र श्री अभय सिंह चौटाला द्वारा संचालित किये जा रहे ट्रस्ट को भूमि हस्तांतरित करने के इस प्रस्ताव पर तेजी से कार्य किया। उस समय उपायुक्त, हिसार ने केवल दूरभाष पर निर्देश दिये और किसी लिखित आदेशों की प्रतीक्षा किये बिना कार्यवाही शुरू कर दी। पशुपालन विभाग द्वारा निजी व्यक्ति को भूमि आबंटित करने की कोई स्पष्ट नीति/दिशानिर्देश विद्यमान नहीं थे। आवेदक द्वारा उद्देश्य का कभी उल्लेख नहीं किया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री के पुत्र श्री अभय सिंह चौटाला की अध्यक्षता वाले चौधरी देवी लाल मेमोरियल ट्रस्ट को यह भूमि बेचने का कोई औचित्य नहीं था। आश्चर्यजनक है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इस भूमि की बिक्री के प्रस्ताव को मंत्री परिषद् की स्वीकृति से पहले ही अनुमोदित कर दिया।

इस भूमि की वर्तमान स्थिति यह है कि वह अब भी खाली है जैसा कि पशुपालन विभाग द्वारा यह स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए कमेटी को सूचित किया गया है कि इस भूमि के आबंटन के लिए सभी नियमों एवं प्रक्रियाओं का उल्लंघन करके इस भूमि को आबंटित करवाने का एकमात्र उद्देश्य इस बहुमूल्य भूमि को हड़पना था क्योंकि तत्कालीन सरकार नेतृत्व श्री ओम प्रकाश चौटाला कर रहे थे और ट्रस्ट उनके पुत्र श्री अभय सिंह चौटाला का था।

निष्कर्ष

स्पष्ट है कि ट्रस्ट को अवैध तथा मनमाने ढंग से भूमि का आबंटन किया गया है। प्राधिकारियों ने यह देखे बिना ही भूमि के आबंटन में अस्वभाविक तेजी दिखाई कि क्या यह भूमि इस प्रकार आबंटित की जा सकती है, भूमि के आबंटन के लिए नीतियां एवं दिशानिर्देश क्या हैं और निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन हो रहा है या नहीं। किसी ने यह जांच करने का भी प्रयास नहीं किया कि राजमार्ग पर स्थित उत्तम सरकारी भूमि किस उद्देश्य से आबंटित की जा

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

रही है। आबंटन गलत भी है क्योंकि सरकारी सम्पत्ति को इस प्रकार हस्तांतरित नहीं किया जा सकता और यदि किसी भूमि को बेचा जाना है तो केवल खुली निलामी या जनसाधारण से बोलियां आमंत्रित करके ऐसा किया जा सकता है ताकि भूमि का उच्च मूल्य प्राप्त किया जा सके। ट्रस्ट जोकि तत्कालीन मुख्यमंत्री के पुत्र श्री अभय सिंह चौटाला द्वारा प्रबन्धित, नियन्त्रित, निरीक्षत है, को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए सभी कानूनी प्रक्रियाओं को ताक पर रख दिया गया।

सिफारिश :

कमेटी अन्त में सिफारिश करती है कि अनुचित लाभ देकर सरकार को बहुमूल्य सम्पत्ति से वंचित कर दिया गया है। तत्कालीन सरकार की गतिविधि अवैध, अमान्य और अनैतिक है। चूंकि इस भूमि का कोई उपयोग नहीं किया जा रहा और यह अब भी खाली पड़ी है, इसलिए कमेटी सिफारिश करती है कि यह एक बहुमूल्य भूमि है और सरकार को कानून के अनुसार इसे वापस ले लेना चाहिए।

(आठवां भाग)

चौधरी देवी लाल मैमोरियल ट्रस्ट और जन नायक चौधरी देवी लाल विद्यापीठ इत्यादि

ट्रस्ट के संस्थापक श्री अभय सिंह चौटाला ने 6 जून, 2001 को ट्रस्ट की घोषणा चौधरी देवी लाल मैमोरियल ट्रस्ट के नाम से की, जिसका मुख्यालय 100, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली है।

XXX XXX XXX XXX

ट्रस्ट को केवल 5000/- रुपये की छोटी सी राशि से बनाया गया, यह महत्वपूर्ण है। ट्रस्ट के विभिन्न विवरणों के साथ-साथ लक्ष्य और उद्देश्यों को ट्रस्ट डीड में निगमित किया गया। ट्रस्ट कथित दिनांक 6 जून, 2001 को पंजीकृत हुआ था, उस समय श्री ओम प्रकाश चौटाला, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। ट्रस्ट ने आयकर अधिकारियों से 80-जी प्रमाणपत्र की छूट भी प्राप्त की है। ट्रस्ट की चल सम्पत्ति केवल 5000/- रुपये है। आश्चर्यजनक बात है कि 31.3.2002 के अंत तक 9 महीनों की छोटी सी अवधि के भीतर ट्रस्ट ने स्वैच्छिक योगदान, दान से 1,42,53,619/- रुपये प्राप्त किए। प्रत्येक वर्ष मिले दान और योगदान को नीचे दी गई तालिका में विस्तार से दर्शाया गया है-

क्रम संख्या	वर्ष	राशि (रुपये में)
1.	2003-02 (6.6.2001 से 31.3.2002)	1,42,53,619/-
2.	2002-03	1,39,66,474.77/-
3.	2003-04	2,46,36,260/-
4.	2004-05	1,72,78,868/-
5.	2005-06	1,69,02,500/-
6.	2006-06	शून्य

7.	2007-08	1,48,75,200/-
8.	2008-09	3,16,68,100/-
9.	2009-10	4,47,42,100/-
	कुल	**17,83,23,121.77**

श्री अभय सिंह चौटाला बैंक खातों के संचालन हेतु अकेले संचालन प्राधिकारी हैं।

XXX XXX XXX XXX

ट्रस्ट द्वारा गिफ्ट डीड से अधिकतर सम्पत्ति को वसीयत बनाया गया है, यह महत्वपूर्ण है। सर, और कुछ सम्पत्ति को सेल डीड, एक्सचेंज डीड से बनाया गया है। चौधरी देवी लाल ट्रस्ट में 14 गिफ्ट डीड हैं, गांव खैरपुरा में 10 सेल डीड हैं और इसी गांव में भूमि का कुल क्षेत्र 89 एकड़ 7 कनाल और एक मरला है। इसी प्रकार, 75 गिफ्ट डीडस, 4 एक्सचेंज डीडस, जिसमें जन कल्याण ट्रस्ट हिसार द्वारा पूर्व में ली गई भूमि, गांव बेधवाला में स्थित सिविल कोर्ट डिक्री द्वारा अधिग्रहण शामिल है। इस गांव में ट्रस्ट के अंतर्गत कुल क्षेत्र 35 एकड़, 6 कनाल, 13 मरला है।

XXX XXX XXX XXX

(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

आयकर विभाग की आंकलन रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट की सम्पत्ति पर बड़ी आधारभूत संरचना खड़ी की गई और इस पर किया गया खर्च इस प्रकार है :--

क्र०सं०	विवरण	निर्माण की लागत (रुपयों में)
1.	अभियांत्रिकी महाविद्यालय	12,76,04,600.00
2.	डेंटल कॉलेज	7,48,21,300.00
3.	एम.सी.ए. कॉलेज (हाउसिंग पोलिटैक्निक)	4,99,15,900.00
4.	फार्मेसी महाविद्यालय	4,29,75,200.00
5.	शिक्षण महाविद्यालय	3,52,18,000.00
6.	प्रशासनिक खण्ड	1,58,30,900.00
7.	अविवाहितों के फ्लैट	1,74,89,400.00
8.	निदेशक बंगला	68,59,200.00
9.	सी टाईप क्वार्टर	3,27,86,600.00
10.	कैंटीन ब्लॉक	11,28,800.00
11.	शॉपिंग कम्पलैक्स	58,36,800.00
12.	स्मारक भवन	48,66,700.00

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

13.	लड़कों का छात्रावास	9,07,49,300.00
14.	लड़कों का मैस	1,49,00,300.00
15.	लड़कियों का छत्रावास	7,19,60,600.00
16.	महाविद्यालय परिसर के लिए स्थल विकसित करना	9,98,07,300.00
17.	दा सिरसा स्कूल परिसर	20,25,90,400.00
18.	कैम्पस की कुल निर्माण लागत	89,53,41,300.00
19.	निर्माण लागत का 03 प्रतिशत की दर से बिल्डर का भुगतान	2,68,60,200.00
	कुल योग	**92,22,01,500.00**

आश्चर्यजनक तथा अचम्भे वाली बात यह है कि चौधरी देवी लाल मैमोरियल ट्रस्ट के नाम से मण्डी किलयांवाली मुक्तसर पंजाब में 11.12.2001 को एक अन्य ट्रस्ट 2001 के क्रमांक 1779 के तहत संस्था की वहिर्नियमावली के साथ पंजीकृत करवाया गया तथा पंजाब के मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल को उक्त ट्रस्ट का अध्यक्ष तथा श्री ओम प्रकाश चौटाला को उपाध्यक्ष तथा उपायुक्त, मुक्तसर पंजाब को इसका सदस्य सचिव बनाया गया। उक्त ट्रस्ट ने स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की मण्डी किलयांवाली शाखा में अपना एक खाता भी खोला। अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव को इस खातें के संचालन कि लिए अधिकृत किया गया। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला मण्डी किलयांवाली में ट्रस्ट का खाना नं0 01100050092 है और समय-समय पर इसमें प्रविष्टियां दर्ज हुई हैं। 2 जून, 2005 को इसमें 34,43,498 का बैलेंस दर्शाया गया। एक अन्य खाता ओरिएन्टल बैंक ऑफ कामर्स, किलयांवाली, जिला मुक्तसर पंजाब में खाता संख्या 01202009586 खोला गया जिसका मुख्यालय दिल्ली दर्शाया गया है। चौधरी देवी लाल मैमोरियल ट्रस्ट सिरसा (दिल्ली) के नाम किलयांवाली बैंक में खाता खोलने की क्या आवश्यकता थी। सर, अगर मुझे सही याद है तो वह चुनाव की तिथि थी क्योंकि 21 मार्च, 2005 को हरियाणा विधान सभा के चुनाव के नतीजे आने थे उसके दो दिन बाद यानि कि चौ0 देवी लाल मैमोरियल ट्रस्ट दिल्ली के नाम एक दिन 23.03.2005 को 88 लाख 85 हजार रुपये नकद जमा करवाए गए। इस बात पर भी विचार-विमर्श किया गया कि किस प्रकार से दो ट्रस्ट एक दिल्ली में तथा दूसरा मण्डी किलयांवाली पंजाब में पंजीकृत है।

XXX XXX XXX XXX

हालांकि ट्रस्ट ने जननायक चौ0 देवी लाल विद्यापीठ खोली है जिसमें विभिन्न शैक्षणिक संस्थान संचालित है जो विभिन्न विश्वविद्यालय/बोर्ड इत्यादि से सम्बद्ध हैं परन्तु ट्रस्ट के पक्ष में कहां से धन प्राप्त हुआ तथा पूरी राशि दान के रूप में अघोषित धन के रूप में दी गई तथा एक ट्रस्ट के रूप में धारा 80 जी के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए दानी/सहयोगी के रूप में वर्णित करके एक ट्रस्ट के रूप में निवेश किया गया। क्या ये उपहार/दान/योगदान सही थे या नहीं, यह एक गम्भीर मुद्दा है।

यह भी आश्चर्यजनक रूप से ध्यान देने योग्य है कि गिफ्ट डीड के रूप में अर्जित सभी संपत्तियों के मामले में दानकर्ता ट्रस्ट के पक्ष में इतना बड़ा हिस्सा दान करने को लेकर काफी उद्धार थे या यह दान प्राप्तकर्ता के पक्ष में अघोषित धन के निवेश का एक तरीका था और इसे ट्रस्ट के पक्ष में उपहार के रूप में दान दिया गया। इसके संदर्भ में यद्यपि वास्तविक लेन-देन हुआ या अघोषित धन के निवेश या राज्य की स्टाम्प ड्यूटी बचाने के लिए कोई तौर-तरीका अपनाया गया।

XXX XXX XXX XXX

यह प्रश्न भी उठता है यद्यपि गिफ्ट डीड वास्तविक थी या नकली लेन-देन हुआ।

निष्कर्ष :

कमेटी का मत है कि लेन-देन धोखाधड़ी के रूप में हुआ है। आयोग के विभिन्न कृत्यों और त्रुटियों के साथ-साथ अनियमितताएं भी हुई। दान की बड़ी राशि और उपहार/लेन-देन के रूप में संपत्ति का अधिग्रहण झूठा लेन-देन है। ट्रस्ट के सभी पहलू और इसका लेन-देन कानूनों को दरकिनार करते हुए अघोषित धन को व्यवस्थित करने के लिए था। दानकर्ता/सहयोगी भी वास्तविक नजर नहीं आते। स्टेट बैंक आफ पटियाला की किलयांवाली शाखा, मण्डी मुक्तसर, पंजाब में खाता खोलना, किलयांवाली में अन्य ट्रस्ट का गठन तथा हरियाणा तथा चंडीगढ़ के विभिन्न स्थानों पर संपत्ति का अर्जन राज्य सरकार तथा दिल्ली सरकार के साथ-साथ केन्द्र चंडीगढ़ प्रशासन, प्रवर्तन निदेशालय खुफिया विंग (आयकर) और केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा विस्तृत जांच की आवश्यकता है। कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

Speaker Sir, These are the stinging recommendations of the Committee. On behalf of the Hon'ble Chief Minister Ch. Bhupinder Singh Hooda and Government of Haryana, I want to say, Sir, Government has taken note of it wherever any illegality is found by the Trust and if the matter falls within the jurisdiction of the State of Haryana, we will take action within a limited time framework for ensuring that public properties are protected, preserved and restored to their rightful owners i.e. the constitutional authorities, be then the Municipal Councils, be then others like Panchayats or Zila Parishads. Qua matters which are outside the jurisdiction of the State, we are going to make appropriate recommendations to U.T. Administration, alongwith sending them a copy of the report for taking necessary action, to Government of Punjab, to Government of India, to Delhi Development Authority as also to other agencies including the Department of Income Tax as mentioned by our Hon'ble Committee. That is my reply. Thank you.

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय मंत्री जी ने कॉलिंग अटैन्शन मोशन के बारे में बहुत विस्तृत रिपोर्ट पढ़ कर सुनाई है लेकिन मैं आपके माध्यम से इस बारे में थोड़ा सा और तफशील से बताना चाहता हूँ। इन लोगों ने एक मरा हुआ हाथी अरबों-खरबों रुपये का बना दिया। एक ही ट्रस्ट के नाम सैंकड़ों एकड़ जमीन दे दी गई और वह भी बिना पैसे के ले ली गई। कहीं पर दबाव देकर या कहीं किसी दूसरे तरीके से ले ली गई। जननायक चौधरी देवीलाल मैमोरियल ट्रस्ट सिरसा को रजिस्ट्रियों व इन्तकाल से आई हुई जो जमीन है उनके बारे में मैं बताना

[श्री आनन्द सिंह दांगी]

चाहता हूँ। 35 एकड़ 2 कनाल और 8 मरले जमीन तो एक जगह की है। इसी तरह से इसी ट्रस्ट के नाम गांव वैद्यवाला में 9 एकड़ 1 कनाल 17 मरले जमीन भी हिब्बानामा के तहत दे दी गई। गांव खैरपुरा जिला सिरसा की 54 एकड़ 4 कनाल 13 मरले जमीन भी इसी ट्रस्ट के नाम हिब्बानामा के तहत दे दी गई। यह हिब्बानामा क्या है? हमें तो पता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : हिब्बानामा का मतलब गिफ्ट डीड होता है ।

श्री आनन्द सिंह दांगी : स्पीकर सर, लोग तो अपनी जमीनें चौधरी देवीलाल ट्रस्ट के नाम गिफ्ट देने लगे हुए हैं और इण्डियन नैशनल लोकदल पार्टी ने खुद पाँच पैसे कहीं धर्म-कर्म में लगा कर नहीं देखे। इन्होंने तो सभी जगह पर अपनी प्रोपर्टी को स्पेयर कर लिया। इसी प्रकार से चौधरी देवीलाल ट्रस्ट सिरसा को रजिस्ट्रियों और इन्तकाल के द्वारा हिब्बानामा से वैद्यवाला गांव की 9 एकड़ 1 कनाल 17 मरले, देवआला गाँव की 26 एकड़ 4 कनाल 16 मरले और ओढ़ां गाँव की 36 एकड़ 1 कनाल 1 मरला जमीन आ गई। यानि कि यह सारी की सारी जमीन एक ही ट्रस्ट के नाम है। आप जहां भी नजर लगाओगे जिस भी डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर जाकर देखोगे सब जगह इन्होंने बना दिए और उस जमीन पर महल खड़े कर दिये, जिनसे इनको लाखों रुपये महीने की इन्कम होती है। ट्रस्ट एक सामाजिक कार्य के लिये होता है, जन सेवा के लिये होता है। जो मंत्री जी ने यहां अपने जवाब में कहा है कि इन्होंने किसी भी ट्रस्ट के लिये जमीन ली, चाहे वह चण्डीगढ़ में ली है, चाहे दिल्ली में ली है, वह यह नाम लेकर ली कि हम इस जमीन में ट्रस्ट बनाएंगे जो जन सेवा के लिये, बच्चों के पढ़ने के लिये, अच्छी संस्था खोलने के लिये होगी। स्पीकर सर, उन संस्थाओं के माध्यम से इन्होंने झूठ बोलकर कोड़ियों के भाव जमीन ली थी और आज तक उन जमीनों के पैसे भी अदा नहीं किये गये। यह बात तब की है जब सैंटर में बी.जे.पी. की सरकार थी और हरियाणा में लोकदल की सरकार थी और उससे पहले चौधरी देवीलाल उप-प्रधानमंत्री थे। उस समय इन लोगों ने पूरे देश की जमीन को अपने घर की बपौती बनाकर हड़पने का कार्य किया है। जब इन बातों पर चर्चा की बात आती है तो ये लोग सदन में बेकार की बात करके सदन का समय बर्बाद करते हैं। हम सबको यहां जन सेवा के लिये भेजा जाता है। हमें विशेष रूप से ढ़ाई-ढ़ाई, तीन-तीन लाख की जनसंख्या के हिसाब से जनता की रिस्पोंसिब्लटी लेकर यहां पर आते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सदन ही एक सबसे बड़ा स्थान है जहां हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, अपने हक की और हल्के की बात कर सकते हैं। हमारे हल्के की जो भी समस्याएं होती हैं उनका यहां विधान सभा में ही जिक्र किया जाता है लेकिन विपक्षी पार्टी के लोग सारा समय बर्बाद करके बाहर बैठे हैं। पता नहीं इनमें से किस को क्या हो गया, सारे विधानसभा के बाहर नीचे दरी बिछाकर बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको भी पता है कि नीचे दरी बिछाकर कौन बैठता है? अपने गले में पट्टी लगाए बैठे हैं। कोई भी रूलिंग पार्टी का सदस्य आता है तो चोर मचाए शोर कहने लग जाते हैं। खुद चोर हैं और शोर मचाने लग रहे हैं और बेकार की बातों को लेकर इस सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। यह रिकॉर्ड की बात है आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रहनुमाई में हमारी सरकार की दूसरी टर्म है मगर विपक्षी पार्टी ने आज तक जिम्मेदारी के साथ विपक्ष की भूमिका एक भी सैशन में एक भी दिन ठीक ढ़ंग से नहीं निभाई है। हम जनता की आकांक्षाओं के अनुसार यहां काम करने के लिये, अपनी आवाज उठानें के लिये और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिये आते हैं क्योंकि जनता की आवाज उठाने का सबसे बड़ा माध्यम यही है। अध्यक्ष महोदय, आज 20 प्रश्न लगे हैं जिनमें

17 प्रश्न विपक्षी पार्टी के सदस्यों के हैं, 3 प्रश्न रूलिंग पार्टी के सदस्यों के हैं। विपक्षी पार्टी के रवैये की वजह से आज आपने 28 मिनट में क्वैश्चन ऑवर खत्म कर दिया जोकि एक घण्टे का होता है। अगर विपक्षी पार्टी के सदस्य भी यहां होते और सही ढंग से बात करते, अपने इलाके की बात करते, अपनी आवाज उठाते, लेकिन वह तो बाहर जाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैं तो कहता हूं कि उनकी एक ही भावना है इस प्रदेश को लूटना और बर्बाद करना। ऐसे लोगों से जनता को भी बचने की आवश्यकता है। आज इस प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं उन पर कोई किसी प्रकार का आक्षेप और आरोप तो लगाकर दिखाए। इन्होंने कितनी इन्सानियत के साथ नीति और नीयत के साथ इस प्रदेश का बहुमुखी विकास किया है, हर फील्ड में विकास किया है। जब चौधरी ओमप्रकाश चौटाला की सरकार थी उस समय हरियाणा प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी गर्त में गई हुई थी जिसके कारण हरियाणा प्रदेश हिन्दुस्तान के नक्शे में 14वें नम्बर पर गिना जाता था। जबकि आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार है तो हरियाणा प्रदेश का नाम हिन्दुस्तान के नक्शे में सबसे ऊपर आया है। वह हमारे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नीति और नीयत से आया है। विपक्षी पार्टी तो बेकार की बात करती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो जन सेवा के बहाने अपनी प्रोपर्टी बनाने का काम करते हैं उनको किसी प्रकार से बख्शने की जरूरत नहीं है। उनके लिए चाहे कोई भी ढंग अपनाया जाए। बत्तरा साहब की अध्यक्षता में जो विधान सभा की कमेटी बनाई थी उसमें पूरी कमेटी टीम ने बड़ी मेहनत से सारा कार्य किया है। इसमें हमारे साथी बी.जे.पी. और इण्डियन नैशनल लोकदल पार्टी के जो मैम्बर थे उन्होंने भी बड़ा सहयोग दिया है। मैं उनका भी धन्यवादी हूं। इसके साथ ही और भी बहुत सारे वाईडसप्रैडिड मामले हैं। इन लोगों ने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फार्म हाउसिज बना रखे हैं। इन लोगों की अच्छी तरह से इंवैस्टिगेशन की जानी चाहिए ताकि देश और प्रदेश की जनता के सामने इनकी असलियत उजागर हो सके। इनको यह अहसास कराया जाना चाहिए कि जनता के प्रतिनिधि लूट-खसौट के लिए नहीं बल्कि जन सेवा के लिए होते हैं। जो जैसा करता है वह वैसा भरता है और यही वजह है कि आज इन लोगों को बुरे कामों की सजा के तौर पर 10-10 साल की सजा हुई है। वास्तव में कैद तो 17 साल की ही हुई है लेकिन यह सजा इकट्ठी काटने के आदेश हुए है इसलिए 10 साल की सजा से ही काम चल जायेगा। देश में यह पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल काट रहा है। ऐसे लोगों को जनता के सामने जाने का अधिकार ही नहीं है। यह लोग जनता में अपना मूंह दिखाने के काबिल ही नहीं हैं। अब जबकि इनको जेल हो गई है तो ये सारे के सारे बहाने बनाकर अस्पताल में दाखिल हो रहे हैं। इन सबके हार्ट फैल होने लग गये है, सबको पेस मेकर लगने लग गये हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि ढाई-ढाई क्विंटल के लोग आज पेस मेकर लगवाने लग रहे हैं? (विघ्न)

श्री भरेश कुमार बादली : दांगी साहब, अभी तो बाई पास होना भी बाकी है। (हंसी)

श्री आनन्द सिंह दांगी : स्पीकर सर, आप आने वाले समय में देखियेगा, ये लोग जेल से ठीक ठाक बाहर नहीं आ सकते हैं। इन्होंने जो लोगों के साथ दुराचार किया, लोगों को परेशान किया, गोलियां चलवाई, लोग मरवाये तथा प्रजातंत्र में उत्पात मचाया वह काबिले-माफी कदापि नहीं हो सकता है। प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को जीने का तथा अपनी आवाज उठाने का पूर्ण रूप से अधिकार है। भारत के संविधान ने जनता को मौलिक अधिकार दिये हैं और उन अधिकारों के ऊपर कुठाराघात करके यदि कोई व्यक्ति राज करने की कोशिश करता है तो मेरा विचार है कि वह

[श्री आनन्द सिंह दांगी]

जिंदगी में कभी पनप नहीं सकता और न कभी आगे बढ़ सकता है। लाजोड़ (गठजोड़) की राजनीति करके तो अगर ये लोग कुछ कर ले तो कहा नहीं जा सकता लेकिन बिना लाजोड़ के ये लोग कभी कुछ नहीं कर सकेंगे। पहले भी लाजोड़ करके ही ये मुख्यमंत्री बने थे लेकिन इनके काले कारनामों की वजह से इन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिये हैं कि जब समय आयेगा तो लोग इन्हें बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। हम तो भुगतभोगी हैं। प्रजातंत्र में हर आदमी का अधिकार है कि वह चुनाव लड़ सकता है और इस अधिकार को यदि कोई व्यक्ति जबरदस्ती छीनने का प्रयास करे तो ऐसे लोगों का हश्र वही होता है जो आज ओम प्रकाश चौटाला का हो रहा है। स्पीकर सर, जो हमारे विधायक साथी भाई नरेश शर्मा ने कालिंग अटैंशन मोशन विधान सभा में रखा है मैं समझता हूं कि आज हरियाणा प्रदेश की जनता के बीच इस सदन के माध्यम से इसको पूरे विस्तार के साथ पहुंचाने की आवश्यकता है। आज इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की आवश्कता है। सदन में इनके ट्रस्टों और सोसायटीज में हुए घपलों से संबंधित जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है यदि यह रिपोर्ट बिना कार्यवाही के ही पड़ी रही तो इस रिपोर्ट का कोई फायदा नहीं होगा। अब समय आ गया है कि कुछ न कुछ करने की आवश्यकता है। इस व्यक्ति ने जिंदगी भर गलत काम किये, भ्रष्टाचार किया, अपने बाप के नाम का ट्रस्ट बनाकर गरीब लोगों की जमीनें हड़पने का काम किया और अरबों-खरबों रुपये कमाये। आज इनके पास जो अरबों-खरबों की सम्पत्ति है उसका कोई हिसाब-किताब ही नहीं है। कहां से आया यह पैसा? स्पीकर सर, हमने अपनी आंखों से देखा है जहां आज तेजा खेड़ा फार्म है वहां पर दो कच्चे कोठड़े (कमरे) हुआ करते थे। एक कोठड़े में चौधरी देवीलाल जी आराम किया करते थे। यहां पर बिजली का भी प्रबन्ध नहीं हुआ करता था। दोपहर में गर्मी से बचने के लिए इस तरह का प्रबन्ध था कि एक ऊंचे पलंग के नीचे रेत बिछाई गई थी जिस पर पानी छिड़का जाता था ताकि गर्मी न लगे तब उस पलंग पर चौधरी देवीलाल जी आराम किया करते थे। आज उस तेजा खेड़ा फार्म में 200 एयर कंडीशनर्ज लगे हुए हैं। कहां से आया यह पैसा? स्पीकर सर, मैं आपको एक पुरानी बात बताता हूं। ओम प्रकाश चौटाला सिरसा से बस में बैठकर महम बस अड्डे पर उतर कर आनन्द सिंह दांगी की जीप का इंतजार किया करता था। इन लोगों के पास दूसरी गाड़ी तक नहीं होती थी सिर्फ एक अम्बैस्डर गाड़ी होती थी जिसका न. 17 होता था। इस गाड़ी को भी फरीदाबाद के लोगों ने चौधरी देवीलाल जी को भेंट किया था। आज तो इनके पोते भी मर्सडिज में चलते हैं। कहां से आया यह पैसा? खेती इनके घर में कोई करता नहीं, व्यापार इनके घर में कोई करता नहीं, नौकरी इनके घर में कोई करता नहीं, तो यह पैसा कहां से आया है? स्पीकर सर, यह सारा पैसा हरियाणा प्रदेश के लोगों की गाढ़े खून की ही कमाई है। ऐसे लोगों को बख्शने की आवश्यकता नहीं है।

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, आज इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद यह साबित हो गया है कि इन लोगों ने अनियमिततायें बरतकर और अनाप-शनाप तरीकों का इस्तेमाल करके हरियाणा प्रदेश की बेशकिमती जमीन को हथियाने और लूटने के साथ-साथ जन भावनाओं को कुचलने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, हम जब छोटे छोटे थे तो बुजुर्गों से सुनते थे कि भारतवर्ष सोने की चिड़िया हुआ करता था और उसके अंदर हरियाणा प्रदेश ऐसा था जो देशों में देश हरियाणा था जहां दूध दही का खाना था। इस क्षेत्र को भारत वर्ष का गौरव समझा जाता था। हम अपने बुजुर्गों से सुना करते थे कि हिंदुस्तान को अंग्रेजों ने लूटा और यहां बड़े बड़े मुगल

आक्रमणकारी आए और प्रदेश को लूट गए। परन्तु अध्यक्ष महोदय, आज जो यह रिपोर्ट आई है इसके बारे में जानकर हमारा दिल दहल गया है, हमारे रौंगटे खड़े हो गए और विश्वास नहीं हो रहा कि प्रजातंत्र में जनप्रतिनिधियों ने हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ धोखाधड़ी की और जब भी ये प्रदेश की सत्ता हासिल करेंगे तो ये इतना बड़ा जुल्मो सितम प्रदेश की जनता के साथ कर सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि ये तो अंग्रेजों और मुगलों से भी बड़े जुल्मकार निकले। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के लोग यहां आते हैं और इस रिपोर्ट का सामना न करने के लिए ऊल-जलूल और अनाप शनाप बहाने बनाकर के भागना चाहते थे। आज इस ईशू पर पूरे हरियाणा की जनता इस महान सदन की तरफ टकटकी लगाए देख रही है और जनता को इनकी असलियत पूरी तरह से पता चल चुकी है। वैसे मैने बोलते समय ऊपर की गैलरियों की तरफ कभी नहीं देखा लेकिन आज देख रहा हूं और प्रैस के साथियों से प्रार्थना कर रहा हूं कि वे हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ जो जुल्मो सितम हुआ है जो घोटाले उनके समय में हुए हैं उन्हें जरूर ज्यादा से ज्यादा प्रचारित और प्रसारित करें। अध्यक्ष महोदय, मैं किन शब्दों में जननायक चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को बधाई दूं कि उन लोगों के इतने कुकर्मों और इतनी लूट खसोट के बाद भी वे प्रदेश को विकास की बुलंदियों के शिखर पर ले गए हैं। आज हरियाणा प्रदेश पूरे देश में नंबर वन प्रदेश बन गया है जिसने सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में सराहनीय नीतियां बनाई हैं, यह श्रीमती सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में जननायक चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के सफल नेतृत्व का ही परिणाम है। इसके लिए मैं उन्हें व उनकी समस्त टीम को बधाई देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश चौटाला हमेशा बड़े कानून की बात करते देखे गए लेकिन दूसरी तरफ बड़े ज्वलंत उदाहरण व हकीकत भी सामने है कि उनके कार्यकाल में हरसोला गांव के हरिजनों और दलितों पर बड़ा जुल्मो सितम किया गया था, उन्हें अपना घर बार छोड़ने और यहां तक कि प्रदेश छोड़ने के लिए भी मजबूर किया गया था। दुलीना गांव के अंदर दलितों के 5-5 बेटों को जिंदा जला दिया गया था। कंडेला के किसानों से उन्होंने वादा किया था कि वे सत्ता में आए तो उनके बिजली के बिल माफ होंगे, न मीटर होगा न मीटर रीडर होगा लेकिन जब ये सत्ता में आए तो कंडेला के लोगों ने किसान यूनियन के गार्फत उनका वादा याद दिलाने की कोशिश की तो उनको उठाकर जेलों में डाल दिया गया और हरियाणा प्रदेश को पहला ऐसा प्रदेश बना दिया जिसने किसान के ऊपर देशद्रोह के मुकदमें दर्ज किए। इस तरह की दुष्ट प्रवृत्ति के लोग यदि आज हमारे सामने होते तो हम उन्हें इस बारे में बताते। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से महम कांड हुआ। एक किसान के बेटे श्री आनंद सिंह दांगी और समय-समय पर डॉ.रघुवीर सिंह कादियान जैसे मजबूत नेता चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के बलबूते पर किसानों के परिवार से अपने संघर्ष के बलबूते पर आगे आना चाहते थे लेकिन उनकी आवाज को दबाने के लिए विपक्ष के लोग उनको जेलों में डाल देते थे। उन्होंने अपनी ही पार्टी के श्री अमीर सिंह को निर्दलीय के रूप में खड़ा किया और रात में उसकी गर्दन दबाकर रास्ते में डाल दिया। अध्यक्ष महोदय, ये आखिर कब तक कानून को धोखा देते। अध्यक्ष महोदय, सैकिया कमीशन की रिपोर्ट मेरे पास। और हम गली गली और जन जन तक जाएंगे और

12.00 बजे

इनके काले चिट्ठे और काले कारनामे एक एक व्यक्ति के समक्ष पहुंचाएंगे। जैसे इन्होंने महम काण्ड करवाया था वहां पर कानून की नजरों को धत्ता देकर निकल गये। आज चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। सामाजिक बुराईयों जैसे भ्रूण हत्या, बाल विवाह, लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए और दूसरी बुराईयों को दूर करने के लिए जन नायक चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार कटिबद्ध है और वचनबद्ध है।

[श्री नरेश कुमार बादली]

आज हरियाणा में आर.टी.आई., मनरेगा, लाडली योजना, इन्दिरा गांधी स्वच्छ पेयजल योजना, इन्दिरा प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना, राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना, आई.वाई.एस.ई. छात्र योजना जैसी अनेकों योजनाएं चल रही हैं। अध्यक्ष महोदय, जो यह रिपोर्ट आई है। इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा दुराचार सहन करने के बाद भी जनहित में एक जरनल के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश की सरकार तरक्की और उन्नति के साथ विकास की बुलंदियों को छू रही है। इस रिपोर्ट को देखकर ऐसा साबित होता है कि धर की बही और काका लिखने वाला। हरियाणा का तत्कालीन मुख्यमंत्री जो जमीन लेने वाला भी वही, बांटने वाला भी वही और ट्रस्ट बनाने वाले भी वही थे। इस रिपोर्ट को देखकर यह लगता है कि वे बात तो किसानों और दलितों के हितों की करते थे लेकिन उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। हरियाणा प्रदेश के किसान उस बात को भूले नहीं हैं कि किसान के ऊपर अगर 5000 से 10000 रुपये तक का लोन होता था तो उन किसानों को बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता था और घसीटकर ले जाया जाता था और उनको जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता था। जब वे मुख्यमंत्री थे तो इसी सदन में हम देखने आते थे तो वे बड़े इतरा कर यह कहते हुए सुना जाता था कि मैं जब तक जीऊंगा तब तक हरियाणा प्रदेश के लोगों की छाती पर दाल दलूंगा लेकिन अब यह बड़े हर्ष का विषय है कि कानून ने अपना काम किया और उन लोगों को सजा मिली है। वे कहते थे कि लोगों की छाती पर दाल दलूंगा लेकिन आज वे खुद ही तिहाड़ जेले में चक्की पीसते नजर आते हैं। कोई भी भाई उनको वहां जाकर देख सकता है इसके लिए कोई टिकट नहीं लगती। आज चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की रात दिन की मेहनत, इनकी टीम का सहयोग और श्रीमती सोनिया गांधी जी के मार्ग दर्शन से हरियाणा में ऐसी योजनाएं लेकर आए हैं और ऐसी नीति लेकर आए हैं कि उन्होंने आज हरियाणा प्रदेश को शिक्षा का हब बना दिया है। पहले हमारे कुछ साथी क्षेत्रवाद और जातिवाद के लिए खुले रूप में दुष्प्रचार करते थे। मैं उनको कहना चाहता हूं कि वे हरियाणा प्रदेश के हितैषी नहीं है बल्कि वे हरियाणा प्रदेश को जातिवाद और क्षेत्रवाद का जहर पिलाना चाहते हैं। हरियाणा सरकार ने हरियाणा के अन्दर शिक्षा का ऐसा प्रबन्ध किया है कि पहले हमारे बच्चे दूसरे राज्यों और दूसरे देशों में पढ़ने के लिए जाते थे लेकिन अब हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के अन्दर शिक्षा का ऐसा प्रबन्ध कर दिया है कि दूसरे राज्यों और दूसरे देशों के बच्चे हमारे प्रदेश में पढ़ने के लिए आयेंगे। इस गौरवमयी कदम के लिए मैं चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को बधाई देता हूं। इस रिपोर्ट से यह भी साबित हो गया है कि चौटाला ने किस प्रकार से प्रदेश में लूट खसौट के सिवाए कुछ भी काम नहीं किया। आज हरियाणा प्रदेश की सरकार की मेहनत से यह सरकार एक कीर्तिमान स्थापित कर रही है जिसके कारण आज हरियाणा प्रदेश हिन्दुस्तान में नम्बर एक पर आ गया है। आज गली-गली में शोर है और आज बच्चे बच्चे की जुबान पर है कि जिसका काम घोटाला है, उसका नाम चौटाला है। अध्यक्ष महोदय, आज मैं सरकार से आग्रह और नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस घोटाले में सम्मिलित चाहे अधिकारी थे या नेता थे या सरकार थी उन पर कार्यवाही करे। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक बात और आ गई, हम तो आज तक यह जानते थे कि इन दो परिवारों ने हरियाणा प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम किया। इन्होंने तो इतनी ज्यादा लूट मचाई कि दिल दहल गया। इन्होंने दिल्ली भी लूट लिया, चंडीगढ़ भी लूट लिया और पंजाब में भी हिस्सेदारी कर ली। इतनी बड़ी लूट न हमने कहीं सुनी है और न कहीं देखी है। इन्होंने राजस्थान में भी सांझेदारी कर ली। बहन अनीता जी कह रही थीं कि आप राजस्थान और दिल्ली को क्यों रो रहे हैं इन्होंने तो

आस्ट्रेलिया तक को लूट लिया। हरियाणा को लूट लूट कर इन्होंने वहां भी प्रोपर्टी इकट्ठी कर ली है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि ट्रस्ट और सोसायटीज के नाम पर गलत तरीके से इकट्ठी की गई सारी प्रोपर्टी को वापस लेकर अपने कब्जे में लिया जाए। जिन संस्थानों से यह प्रोपर्टी लूटी गई है यानि जिनका नुकसान हुआ है उनके नुकसान की भरपाई की जाए। इस घोटाले में जो भी दोषी हों चाहे वे कोई भी हों उन पर कार्रवाही की जाए ऐसा मेरा सरकार से आग्रह और प्रार्थना है।

श्री भारत भूषण बत्तरा : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह रिपोर्ट हमने दे दी है लेकिन मैं इस बारे में दो बातें जरूर कहना चाहता हूं। इस रिपोर्ट को तैयार करने में दांगी साहब और आफताब अहमद जी का मुझे पूरा सहयोग मिला। आफताब अहमद जी ने मुझे जितना सहयोग दिया है अगर वह न मिलता तो शायद यह रिपोर्ट तैयार न हो पाती। प्रजातंत्र की वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी दुर्भावना से यह रिपोर्ट नहीं दी गई। प्रिज्यूडिश किसी भी स्टेज पर माइंड में नहीं था तथा सभी डोक्यूमैंट्री एवीडैंस के मुताबिक यह रिपोर्ट दी गई है। वैसे तो इस रिपोर्ट को हमारे मंत्री जी ने पढ़ा है लेकिन फिर भी मैं थोड़ी क्लैरीफिकेशन देना चाहता हूं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। वसंतकुंज प्लाट की अलॉटमैंट जब हमारे सामने आई it was pain to me and it was so anguish. अध्यक्ष महोदय, वसंतकुंज एरिया आपने भी देखा है और हम सब ने देखा है जहां बड़े बड़े prestigious projects सैंट्रल गवर्नमैंट अलॉट करती है। कौन कौन से अच्छे प्रैसटीजियस प्रोजैक्ट इसमें अलॉट होते हैं और किन किन को जमीन अलॉट की जाती है इस बारे में मैं जरूर मैंशन करना चाहूंगा। ये प्रोजैक्ट्स हैं टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीच्यूट, बिरला मैडिकल रिसर्च सैंटर, गोबिंद रिसर्च इंस्टीच्यूट, allotment of the plots to the CRPF, Police Head Quarters & Institute of the Youth and Tribal Federation और उस अलॉटमैंट के लिए एक स्पोंसरशिप लैटर होती है जो सैंटर गवर्नमैंट या दिल्ली की गवर्नमैंट इशू करती है और उसके बिना कोई अलॉटमैंट नहीं की जा सकती। इसके बारे में रिपोर्ट में एनैक्सचर भी लगा है जिस बारे में मैं विवरण दूंगा, वैंकया नायडू मंत्री जी श्री अनन्त कुमार जी को एक लैटर लिखते हैं -

> "Choudhary Devi Lal Memorial Society, 100, Lodhi Road, New Delhi-110003 has requested for allotment of land to DDA. They have already submitted the Project Report and other necessary papers to DDA.
>
> The Society has been set up to establish, carry on and maintain Agriculture, irrigation, public utility and charity, social, educational and recreational activities for the benefit of the general public in the memory of Late Ch. Devi Lal former Deputy Prime Minister of India.
>
> I request you to please consider the case of the Society for allotment of land."

उसके बाद श्री अनन्त कुमार जी लिखते हैं -

> "I am in receipt of your D.O. letter dated 17th May, 2002, regarding allotment of land by Delhi Development Authority to Choudhary Devi Lal Memorial Society.
>
> The matter is being examined."

Haryana Vidhan Sabha ★ Chandigarh ★ LIBRARY

[श्री भरत भूषण बत्तरा]

कौन सा ऐसा विभाग है जो इन दो पत्रों को स्पोंसरशिप लैटर कहता है ? अध्यक्ष महोदय, यह बड़े देखने वाली बात है कि वह प्रोपर्टी करोड़ों रुपये की है। उसको किसी हिसाब से अर्जित नहीं कर सकते हैं। लेकिन सरकार का दबाव देकर वह अलॉट करवाई गई थी। This allotment is illegal and against the Statutory Rules, 1981. According to the eligibility and check list as per the terms and conditions of the allotment of their application/ project of the Society did not fulfil any of the statutory rules and there was no relaxation clause provided in any of the rules. According to the terms and conditions of allotment of perpetual lease hold rights in the institutional plots under the DDA (Disposal of Development Land) Rules, 1981, institution/society must fulfil the statutory obligations for being eligible for allotment of the plot in the institutional area and the society should be registered under the Societies Registration Act, 1860 and there should be sponsorship letter issued by the U.T., Delhi or Government of India or NCTD or GNCTD(Government National Capital Territory Delhi). स्पोंसरशिप सर्टिफिकेट ईशू किए बिना ऐसी अलोटमैंट किस प्रोवीजन के आधार पर कर दी ? जब प्लानिंग विभाग में इस केस को प्रोसैस किया गया उस दौरान की एक नोटिंग का पोर्शन मेरी कमेंटी की रिपोर्ट के चौथे पेज पर है, उसे मैं पढ़ कर सुनाता हूं-

> "In this connection, it is stated that Minister for Rural Development wrote a D.O. Letter No.879/VIP/M /RD/2002 dated 17.5.2002 (page-93/C) requesting the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation to consider the case of allotment...."

अगर कोई किसी मंत्री को रिक्वैस्ट करता है और मंत्री उस केस को रिकमंड करता है तो क्या उसी को स्पोंसरशिप लैटर मान लिया जाये ?

उसके बाद लिखते हैं-

> "That D.O. Letter was considered as sponsorship letter and the case was recommended for approval of allotment to the Competent Authority. In fact the letter dated 17.5.2002 should be considered as sponsorship letter, it was only a request sent to the Ministry of Urban Development..."

This is the glaring illegality. बाकी प्रोपर्टीज आई और बात है, लेकिन इतनी बड़ी प्रोपर्टी को हथियाने के लिए क्या-क्या तरीके अपनाये गये ? अलोटमैंट हुए 12 साल हो गये वहां पर कुछ भी कार्य नहीं हुआ है and now the DDA has been kind enough कि हमारी प्रोसीडिंग्ज के दौरान ही उन्होंने इसमें cognizance लिया और इसको कैंसिल कर दिया। इसी तरह . . .

Mr. Speaker : But how about those BJP President and their Minister?

Shri Bharat Bhushan Batra : This thing is to be seen. When Shri Venkaiah Naidu is writing a letter and Shri Anant Kumar is considering it but according to Statutory Rules, there has to be sponsorship letter by the U.T., Delhi or Government of India or NCTD or GNCTD(Government National Capital Territory Delhi). Generally such like allotments are being made in favour of the institutes like Tata Energy Research Institution, Birla Medical Research Centre or Government

Research institute, allotment of the plots to CRPF or Police Head Quarters or institute of youth and tribal Federation etc. etc. लेकिन इनको 3.4 एकड़ जमीन वहां अलौट कर दी गई। इससे ज्यादा इल्लीगलिटी और क्या होगी? पूरा प्रभाव देकर ही जमीन ली गई, इससे ज्यादा पोलीटिकल एक्सप्लोयटेशन क्या होगी ? It was very painful for the Committee when we saw those proceedings. Similarly, it is the fate of the plot at Chandigarh also. यदि 10 प्रतिशत पैसे भरकर एप्लीकेशन साथ में नहीं जायेगी तो चण्डीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का रूल-6 यह कहता है कि वह एप्लीकेशन कंसीडर नहीं हो सकती। इनके केस में वह एप्लीकेशन कंसीडर कैसे हो गई ? It is very strange. अभी दांगी साहब जन सेवा ट्रस्ट के बारे में जिक्र कर रहे थे। इस ट्रस्ट को जो 4000 गज का प्लाट दिया गया उस प्लाट की अलॉटमैंट 16.10.1990 को हो गई और ट्रस्ट 9.11.1990 के अंदर एग्जिसटिंग में आया। किसके फेवर में वह जमीन अलॉट की गई और उसकी क्या प्रोसीडिंग्ज थी ? यह सब तो स्पीकर महोदय रिपोर्ट पढ़ने के बाद आप ही बतायेंगे कि 9.11.1990 को जन सेवा ट्रस्ट बन रही है और 16.11.1990 को पॉलिसी बनती है। पहली सरकार की मीटिंग होती है और उसी सरकार की मीटिंग के अंदर जन सेवा को डी.पी.आर.ओ. सर्टिफिकेट देता है कि जन सेवा बहुत बड़ा पत्र है। साथ में सर्टिफिकेट देता है कि दिल्ली-गुड़गांव हाई-वे के ऊपर एक अच्छी जगह होनी चाहिए जहां पर साईन बोर्ड नजर आये क्योंकि अखबार में रोज न्यूज निकलती हैं तथा साईन बोर्ड लगाना है। इस तरह से यह वही प्राईम प्लाट है जिसका जिक्र सुरजेवाला जी कर रहे थे और आपको पता है कि किस फर्म को दिया हुआ है तथा कितना किराया आता है। You have allowed me otherwise I should not have spoken on it because I have already submitted the Report to the House in this regard. Now, it is the property of the House and now it is for the House to decide how to proceed further in this regard. Thank you very much, Sir.

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, इस बारे में सारे चीज़ें आ चुकी हैं। मंत्री जी ने अपना जवाब दे दिया और श्री बतरा जी ने भी अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत कर दी है जो कि अब हाउस की प्रोपर्टी है। उस रिपोर्ट को हमने भी अच्छी तरह से पढ़ लिया है। सारी बातों का सभी को पता है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जब सारी इररेगूलरटीज हुई हैं चाहे वह अलॉटमैंट के मामले में हैं, चाहे वह ट्रस्ट के पास कोई पैसा नहीं था, चाहे आपका ट्रस्ट था भी नहीं तो भी आपने लैंड दे दी ये बात भी है। चाहे यह मामला दिल्ली का है, चाहे चण्डीगढ़ का है और चाहे हरियाणा का है, ये सारी बातें रिपोर्ट में आ चुकी हैं। मैं तो अब लास्ट में जैसे इन्होंने एक्शन की बात की है। मैं तो गवर्नमैंट से एक ही बात करना चाहता हूं नम्बर एक कि क्या यह प्रॉपर्टी कांफिस्केट नहीं की जा सकती ? सर, यह मैंने देखा है पिछली बार मैं एक प्राईवेट मैम्बर बिल लेकर आया था। दुर्भाग्य से उस समय मेरे उस बिल के बारे में गिसअण्डरस्टैंडिंग हो गई क्योंकि मेरे बिल में अमैंडमैंट नहीं थी। मेरा बिल नया बिल था लेकिन सचिवालय ने यह समझ लिया कि इस बिल में अमैंडमैंट है और इसी के आधार पर मुझे यह लिख दिया गया कि हरियाणा प्रदेश में ऐसा कोई बिल स्टैंड नहीं करता इसलिए अमैंडमैंट का क्वैश्चयन does not arise. वह मेरा बिल Bihar Special Courts Act के नाम से था बिहार के अंदर विधान सभा ने एक ऐसा एक्ट पास किया था जिसमें अगर डिस्प्रोपोरशनेट प्रॉपर्टी के अंदर आपकी चार्ज़शीट हो जाती है तो उसमें जो प्रॉपर्टी डिस्प्रोपोरशनेट है उसको गवर्नमैंट इमीजेटली कांनफिसकेट कर लेती है और कांनफिसकेट करके उसकी बाकायदा ऑक्शन कर देती है। ऐसा करने के बाद अगर 5, 10 या 20 साल बाद यह पाया जाता है कि वो

[प्रो० सम्पत सिंह]

आपकी प्रॉपर्टी डिस्प्रोपोरशनेट नहीं थी तो उस समय के 5 परसैंट के इंट्रस्ट पर वह पैसा उनको वापस लौटा दिया जाता है। ये उसमें एक प्रॉविज़न था। इस सम्बंध में आई.पी.सी. में भी इस बारे में कोई न कोई प्रॉविज़न ही होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, रणदीप सुरजेवाला जी, डॉक्टर साहब भी और बतरा जी भी हमारे पास तो बहुत सारे काबिल वकील हैं इनके अलावा भी काफी सीनियर वकील हैं। सर, आप स्वयं भी बहुत अच्छे वकील हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इस बारे में कोई और प्रॉविज़न हैं तो उनके मुताबिक कार्यवाही कर ली जाये।

Mr. Speaker : Provision of confiscation is there. Illegally acquired property can be confiscated.

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, अगर ऐसा प्रॉविज़न है तो हमें ऐसा करना चाहिए वरना तो यह होता है कि लोग प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई करते रहते हैं। जब तक मामला डिसाईड नहीं होता तब तक तो वे प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई करते रहते हैं, और इस प्रकार से वह प्रॉपर्टी हज़ार गुणा हो जाती है। उसी तरीके से उसको वे यूज़ भी करते रहते हैं। आगे उसकी कोई न कोई प्रॉपर्टी भी लेते रहते हैं। मैं यह चाहता हूं कि इन लोगों का इस तरह का प्रोसैस जो कि फर्दर अर्निंग का है वह बंद होना चाहिए जो लूट लिया तो लूट लिया लेकिन जो आगे उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वह बन्द होना चाहिए। ये लोग अपनी इस प्रकार की प्रॉपर्टी को पिछले 9-10 साल से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं इस पर रोक लगनी चाहिए। इसलिए मैं तो यह चाहता हूं कि इस पर फौरन एक्शन हो। अगर कोई प्रॉपर्टी इल्लीगल साबित हो चुकी है। जो कोई इल्लीगल तरीके से गोटन मनी अर्थात् असैट्स हैं उनको पब्लिक प्रॉपर्टी घोषित करना चाहिए। इनमें से तकरीबन सभी पब्लिक असैट्स हैं कोई पंचायत की है, कोई सरकारी लैंड है, कोई हुडा लैंड है, कोई एनीमल हसबैंडरी की लैंड है और कोई किसी की लैंड हैं। सारी की सारी ऐसी लैंड हैं जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी है। प्राईवेट भी नहीं है। प्राईवेट का जिक्र हम नहीं करना चाहते हैं। वह चाहे मुख्यमंत्री जी के शहर में की हो या कहीं और की हो उसका हम जिक्र नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह एक अलग इश्यू है। मैं तो पब्लिक प्रॉपर्टी के बारे में कहना चाहता हूं जैसे कि आप हमारे कस्टोडियन हैं, we are the custodian of the public property. दूसरी बात मैं सरकार को यह कहना चाहता हूं कि जैसे आर्गेनाईज्ड क्राईम होता है उसी प्रकार से यह आर्गेनाईज्ड इकोनॉमिक क्राईम है। इसके साथ ही यह आर्गेनाइज्ड क्रिमिनल कांसपरेसी है। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ इसके तहत भी कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। सर, मैं कोई वकील नहीं हूं लेकिन मैं आप जैसों से राय लेता रहता हूं और पढ़ता रहता हूं उसके आधार पर जितना मुझे आई.पी.सी. का ज्ञान है मैं यह कहना चाहता हूं कि उसके अनुसार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये। अध्यक्ष महोदय, आज सदन में जो बिल आये हैं, वे बिल मुझे रात 12.30 पर मिले। मैंने तो रिकवैस्ट करके इन बिलों को रात 12.30 बजे मंगवा लिया जबकि कईयों को तो सुबह ही मिले हैं। मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं कि इस कारण मैं रात को 03.30 बजे सो पाया हूं। You can imagine कि इसका हैल्थ पर कितना बुरा असर पड़ता है। लेकिन यह भी जरूरी है क्योंकि हम जनता के हितों के लिए ही चुनकर यहां पर आते हैं इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी भलाई के लिए काम करें उसके लिए चाहे फिर हमें पूरी रात ही क्यों न जागना पड़े। हमें जनता की भलाई के लिए कुछ सजैशंज देने चाहिएं जिन पर सरकार का जवाब आये। जनता की भलाई के लिए हमें अच्छे सुझाव भी देने चाहिए जिससे पूरे

सिस्टम में अगर कहीं पर कोई कमी है तो उसमें इम्प्रूवमैंट हो सके। स्पीकर सर, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं और साथ में पूछना भी चाहता हूं कि जो आई.पी.सी. के सैक्शन लगाये गये हैं जिनमें 406, 407, 409, 467,468, 470 और 471 हैं ये क्या उन पर लागू नहीं होते हैं ? जैसे 406 pertains to punishment for criminal breach of trust. लोगों ने जो इनमें विश्वास व्यक्त किया था उस विश्वास को इन लोगों ने तोड़ा है। इसके लिए क्या इनको चार्जशीट नहीं किया जा सकता, उनको सजा नहीं दी जा सकती ? अगली धारा 407 है regarding criminal breach of trust by carrier, etc. स्पीकर सर, आप तो खुद एक वकील हैं। इसमें लिखा हुआ है- 'Whoever, being entrusted with the property as a carrier, wharfinger or warehouse-keeper, commits criminal breach of trust in respect of such property, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine'. स्पीकर सर, अगला सैक्शन है 409। Criminal breach of trust by public servant, or by banker, merchant or agent. This is more relevant Sir. We are all public servants. एम.एल.ए. हैं, एम.पीज. और मिनिस्टर्स हैं we are very much public servants और पब्लिक सर्वेंट के लिए सैक्शन 409 है 'Criminal breach of trust by public servant, or by banker, merchant or agent- Whoever being in any manner entrusted with property, or with any dominion over property in his capacity of a public servant or in the way of his business as a banker, merchant, factor, broker, attorney or agent, commits criminal breach of trust in respect of that property, shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description of a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine. सर, इसी तरीके से सैक्शन 467 है- 'Forgery of valuable security, will etc. Whoever forges a document which purports to be a valuable security or a will, or an authority to adopt a son, or which purports to give authority to any person to make or transfer any valuable security, or to receive the principal, interest or dividends thereon, or to receive or deliver any money, movable property, or valuable security or any document.' सर, इसमें भी imprisonment for life है। इनको कितनी बार जेल होगी। इनके कार्यों को देखते हुए तो इनको 7 बार जेल हो सकती है। सर इसी तरह सैक्शन 468। 'Forgery for purpose of cheating के बारे में है'। सर, ये भी लागू होता है। फिर फोर्ज डाक्यूमैंट और इलैक्ट्रोनिक रिकार्ड है अगर किसी के पास कोई फोर्ज डोकूमैंट है, इससे ज्यादा गलत कार्य क्या होगा? फोर्ज्ड भी और हाईडिंग भी है, हाईडिंग ऑफफैक्ट्स भी है कि उन्होंने एक प्लॉट के लिए आवेदन कर दिया तथा उनका ट्रस्ट है ही नहीं और बिना ट्रस्ट ही ट्रस्ट के नाम से ही प्लॉट अलॉट कर दिया गया तथा कानून बना दिया। उनके पास ट्रस्ट में एक नया पैसा नहीं है और परपज इतना बड़ा दिखा दिया कि हम चेरीटेबल करेंगे यह करेंगे वह करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। इसका मतलब यह है कि पैसा मिलने के बाद पैसा अर्न करेंगे और अर्न करने का तरीका सभी लोग जानते हैं। उसके बाद सैक्शन 471 है 'Using as genuine a forged'. अध्यक्ष महोदय, मेरे जैसे लेमैन के हिसाब से ये सभी धाराएं उन पर लागू होती हैं और मैं चाहता हूँ कि without waiting, without any delay इनके खिलाफ सरकार को तुरन्त कार्रवाई करनी चाहिए। जिक्र आने से बयानात आने से कुछ नहीं होता। जिक्र बहुत हो चुका है और बयानात बहुत आ चुके हैं। वे आज भी अपना बिजनेस बढ़ाए जा रहे हैं। उनके द्वारा आज भी गैर-कानूनी गतिविधियाँ की जा रही हैं और गैर कानूनी तरीके से प्रॉपर्टी को हड़पने का काम किया जा रहा है।

[प्रो० सम्पत सिंह]

जिस प्रकार से जन नायक चौधरी देवी लाल मैमोरियल ट्रस्ट का जिक्र आया कि वहाँ से जनसंदेश अखबार निकलता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अखबार है कहाँ और क्या इतनी जल्दी एक दम से चेंज ऑफ लैंड यूज हो सकता है ? यह भी सोचने की बात है कि आप प्लॉट तो ले रहे हो ट्रस्ट के नाम से अखबार निकालने के लिए, आपको बहुत बड़ा नेशनल या इन्टरनेशनल अखबार निकालना है। यह बात तो ठीक है कि आपने अखबार के नाम से जमीन ले ली उसके बाद किसी प्राईवेट कम्पनी से 28-28, 30-30 लाख रुपये प्रति माह किराया लिया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि वह जिक्र आया या नहीं आया। इसी तरह से जो रिंग रोड़ पर पंजाब केसरी अखबार का आफिस है वहां पर दो प्लॉट ट्रस्ट के नाम अलॉट कराये गये थे। मुझे नहीं पता कि वह ट्रस्ट क्या था, क्या नहीं था। उस समय जो भी लैफ्टिनैंट गवर्नर थे श्री ओमप्रकाश चौटाला उनसे मिलने गये थे और वहां उन्होंने प्लॉटों का जिक्र भी किया था शायद उनसे भी परमीशन मिल जाए। क्योंकि उससे पहले वे उस समय के प्रधानमंत्री जी से बात करके ही गये थे।

श्री आनन्द सिंह दांगी : आपको तो इनकी सारी प्रोग्रैस के बारे में पता होगा।

प्रो. सम्पत सिंह : नहीं, मैं इनके लिए जगह देखता था लेकिन उसके अन्दर झांककर कभी नहीं देखता था इसलिए मैं बचा रहा। मैंने कल भी कहा था कि मैं किसी दूसरे के घर में झांककर कभी नहीं देखता और यही कारण है कि मैं मेरे स्टैण्ड पर ठीक रहता हूं। मैं केवल अपने ही घर में झांककर देखता हूं दूसरे के घर की तरफ मैं कभी झांककर नहीं देखता। लेकिन उस समय मेरे नोटिस में यह बात आई थी कि पंजाब केसरी अखबार के पास अखबार के लिये श्री ओमप्रकाश चौटाला जी दो प्लॉट लेना चाहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि वह प्लॉट लिए हैं या नहीं लिये हैं। स्पीकर सर, मैं तो कहता हूं that is also a matter of inquiry. क्या वह प्लॉट इनको दिये गये थे या नहीं दिये गये थे। मैंने जो इस मैटर पर एक्शन लेने की बात कही है मुख्यमंत्री जी उसको टाईम बाऊंड करें क्योंकि यह बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री जी आपने इतने सारे नेक काम किये हैं अगर ये काम भी कर दोगे तो यह लोगों की बहुत ज्यादा जन-सेवा होगी। मैं यह नहीं कहता कि आप कीचड़ में पत्थर मारो। मैं तो यह कहता हूं कि इस कीचड़ को साफ करने की जरूरत है, पत्थर मारने से बात नहीं बनती। एक बार कोई बात छेड़ दी और फिर उस बात को छोड़ दिया उससे कोई फायदा नहीं, उससे बैक फायर होता है। इस बात को तो बिल्कुल साफ करें ताकि कम से कम हरियाणा एक आईडियल स्टेट बन जाए। हरियाणा में कोई भी आदमी करप्ट मीन से या इललीगल मीन से कमाएगा तो हरियाणा की भूमि उसके लिए फिट नहीं है। यदि यहां कोई ऐसा करेगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा। उसको अपनी गलती की सजा को भुगतना पड़ेगा। अगर हरियाणा में यह एक ट्रैंड सैट हो जाएगा तो आइंदा कोई आदमी इस तरह के काम करने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। अदरवाईज लोग गलत काम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं और किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है। स्पीकर सर, अब कई भाई कह रहे थे कि 20 साल के बाद ये लोग बाहर आयेंगे और किस हालत में वापस आएंगे। अगर कोई आदमी 17-17 साल जेल के अन्दर रह जाएगा तो उस आदमी की हालत क्या रह जाएगी? लेकिन उनके पीछे उनके कमाए हुए धन से उनकी संतान की तो मौज हो रही है। सारे के सारे हैलीकोप्टरों में, हवाई जहाजों में और कारों आदि में मौज करते जा रहे हैं। यह तो वह सौदा है कि एक जमींदार ने सात पीढ़ी तक प्रबंध करने के लिये खुद अपनी जान तक दे दी। किसान तो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए अपनी जान दे देते

हैं। लेकिन इन लोगों को तो यह भी परवाह नहीं है कि आगे क्या होना है? इनको तो केवल यह परवाह है कि अगली पीढ़ी का प्रबंध पुख्ता हो गया क्या और वह अपनी अगली पीढ़ी के लिए प्रबंध पुख्ता कर रहे हैं। सर, अगर इस तरह की पीढ़ियां आगे आएंगी तो हमारे प्रदेश में लीगेसी छोड़ जाएंगी और ये लीगेसी हरियाणा प्रदेश को हमेशा तंग करेंगी। मुख्यमंत्री जी आपने हमारे प्रदेश को साफ और सुन्दर बनाया है। आपने राजनीति में बहुत नये आयाम स्थापित किये हैं। आपने द्वेषनाओं के सारे सिस्टम खत्म कर दिये हैं। मुख्यमंत्री जी इन्होंने जो ये गलत किया है उनकी जाँच कराकर दोषियों को सजा दिलाओ। अगर इस तरह का ट्रैंड सैट हो जाए तो यह सबसे नेक काम होगा और जिन्दगी में आपको हरियाणा में कोई भी डिफीट देने वाला नहीं मिलेगा। बल्कि आप देश की राजनीति भी अच्छी करोगे। क्योंकि हरियाणा ही सबसे ज्यादा इसमें बदनाम हुआ था। अब तो बहुत स्टेट्स हमसे आगे चले गये हैं। लेकिन राजनीति के अन्दर जो गिरावट आई थी वह हरियाणा प्रदेश से शुरू हुई थी इसलिये मुख्यमंत्री जी उस गिरावट को दूर करना ताकि अच्छे आदमी राजनीति कर सकें। चाहे वह किसी भी पार्टी से हो। चाहे कांग्रेस पार्टी से हो, चाहे बी.जे.पी. पार्टी से हो, चाहे लोकदल पार्टी से हो, चाहे इण्डिपैंडैंट हो। अच्छे बुद्धि जीवों और ईमानदार लोगों की कद्र होनी चाहिए ताकि राजनीति के नाम पर जो धब्बा हमारे प्रदेश पर लगा हुआ है वह मिट जाए। जैसा कि मैं कल कह रहा था कि अगर कोई आदमी किसी को कुर्ता पायजामा पहने देखता है तो यह कहता है कि यह तो कोई राजनेता जा रहा है, कोई बेईमान आदमी जा रहा है। मुख्यमंत्री जी आपने यह मिसाल पैदा करनी है कि जिन लोगों के कपड़े सफेद हैं तो वह वाकय में ही सही आदमी हैं। इनके ऊपर दाग नहीं है। आप ये ट्रैंड सैट हरियाणा में स्थापित करो। हर चीज में आपने ट्रैंड सैट किये हैं। आज देश हर चीज के लिये हरियाणा को फोलो कर रहा है। लैंड एक्वीजेशन के मामले में गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया ने आपको फोलो किया है। लैंड एक्वीजेशन की सबसे पहले जो हमारी पॉलिसी बनी उस जैसी पॉलिसी पहले कभी नहीं बनी। कल भी मैंने कहा था कि 53 पैरामीटर आपने ऐसे स्थापित किये हैं जिसमें हरियाणा हर चीज में बाकी कंट्री में लीड कर रहा है। केवल एक यह ट्रैंड सैट करना बाकी रह रहा है अगर इस काम को भी कर दोगे तो आज तक जितने भी नेता सत्ता में आए हैं वह सारे एक तरफ और हमारे मुख्यमंत्री जी अकेले एक तरफ। जैसे एक कहावत है सौ सुनार की और एक लुहार की। मुख्यमंत्री जी, बस आप इसी कहावत को फोलो कर दो।

Mr. Speaker : Anybody else who wants to speak before Hon'ble Leader of the House speaks.

श्री गोपाल कांडा : अध्यक्ष महोदय, कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि मेरे शहर की कुछ - - - - -

श्री अध्यक्ष : कांडा जी, आपकी जो डिमांड्स हैं आप लिखकर ले आईये।

श्री गोपाल कांडा : सर, मेरी जो डिमांड हैं मैंने उनको लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, जो डिमांड्स लिखी हुई हैं आप दे दीजिये।

श्री गोपाल कांडा : सर, मैंने जो डिमांड्स लिखी हुई हैं वह तो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन अब जो जिस मुद्दे पर बात चल रही है मैं उस पर आपसे कुछ कहना चाहूंगा कि प्रो. सम्पत सिंह जी ने कल भी अपने दिल की बात कही और आज भी बहुत स्पष्ट रूप से आपको बताया है कि इन विपक्ष के लोगों ने जनता की सैंकड़ों एकड़ भूमि को अपने ट्रस्ट्स व सोसायटीज की आड़ लेकर

[श्री गोपाल कांडा]

हड़प लिया है या हड़पने की कोशिश की है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इन लोगों की सी.बी.आई. से जांच करवाई जाये। इस तरह के लोगों को केवल हमारे देश की सर्वोच्च इंवेस्टिगेशन ऐजेंसी सी.बी.आई. ही काबू कर सकती है। मैं समझता हूं कि सी.बी.आई. से जांच करवाये बिना इन लोगों के फर्जीवाड़े की असली हकीकत सामने नहीं आ पायेगी। इन लोगों के ऊपर इतने गहरे इल्जाम लगे हुए हैं, जेल में भी इनको कैदी नम्बर के नाम से जाना जाता है और इन सब के बावजूद भी ओम प्रकाश चौटाला सदन में विपक्ष के नेता हैं ? मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है इन लोगों के इतने गंदे करतबों को देखते हुए इनकी विधान सभा की सदस्यता भंग कर दी जानी चाहिए। इस महान सदन में इस तरह के भ्रष्ट और लूटेरे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हरियाणा प्रदेश की जनता इनके कुकृत्यों की हकीकत जान चुकी है। यह लोग दोबारा से कभी इस महान सदन के सदस्य नहीं बन पायेंगे। आपने संयम का परिचय देते हुए इन लोगों को काफी वक्त दिया लेकिन इन लोगों में इंसानियत नाम का कोई जर्रा मात्र भी शेष नहीं बचा हुआ है। विपक्ष के लोग चाहे प्रदेश की जनता को बरगलाने का कितना ही प्रयास क्यों न कर लें यह लोग उन्हें बरगला नहीं पायेंगे क्योंकि जनता के सामने इनकी हकीकत का पर्दाफाश हो चुका है। यदि इनमें थोड़ी बहुत भी गैरत बची है तो इन लोगों को खुद ही अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इन दुष्ट लोगों के प्रति सहनशीलता की परिचय न देकर इनसे इस्तीफा ले लेने की जरूरत है। स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी यहां सदन में बैठे हुए हैं। मैं उनके लिए केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि "तुम सा नहीं देखा" (हंसी)। इस देश और प्रदेश का यह इतिहास रहा है कि यहां पर जितने भी लूटेरे आये, वह आये और लूट कर चले गये। लेकिन इन विपक्ष के लोगों ने प्रदेश का लूटा है और उसके बावजूद भी आज ये लोग इस सदन के सदस्य हैं? स्पीकर सर, जब जनता ने भी इनको अपने मन से निकाल दिया है, इनके तमाम कुकृत्यों की सच्चाई सबके सामने आ गई है तो मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि सी.बी.आई से इनकी इंक्वॉयरी करवाई जाये तथा सदन से इनकी सदस्यता भी भंग की जाये। स्पीकर सर, इसके साथ ही साथ मेरी कुछ डिमांड्ज भी हैं मैं आपकी इजाजत से इन डिमांड्ज को भी सदन में रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : कांडा जी, जो भी आपकी डिमांड्स हैं आप उन्हें लिखित में मुझे दे दीजिये। इन डिमांड्ज को संबंधित पक्ष को पहुंचा दिया जायेगा। Please pass it over to me. Now We are dealing with different subjects.

(इस समय श्री गोपाल कांडा जी द्वारा लिखकर दी गई डिमांड्स श्री अध्यक्ष को दी गई।)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, कांडा जी अभी केवल अपनी बात ही रख रहे हैं, एप्रोप्रियेशन बिल अभी आना बाकी है जिसमें डिमांड्स रखी जा सकती हैं लेकिन अब जबकि आदरणीय कांडा जी अपनी बात रखना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि उनको अपनी बात रखने की परमीशन दे देनी चाहिए।

Mr. Speaker : O.K. Kanda Ji, I will give you an opportunity to speak. (Interruption)

प्रो० सम्पत सिंह : सर, एप्रोप्रिएशन बिल के समय डिमांड्स रखना ज्यादा उचित रहेगा।

श्री गोपाल कांडा : सम्पत जी, डिमांड्स को तो मैंने लिखित में दे ही दिया है, अब तो मैं केवल अपनी बात ही रखना चाहता हूं।

प्रो. सम्पत सिंह : कांडा जी, आपने बिल्कुल ठीक किया है क्योंकि एप्रोप्रिएशन बिल पर चर्चा के समय डिमांड्स उठाई जा सकती हैं।

श्री गोपाल कांडा : स्पीकर सर, साल पहले जब मैंने नगरपालिका से इस्तीफा दिया था तो उस समय सरकार की ओर से विकास कार्यों के लिए 30-35 करोड़ रुपये की ग्रॉंट प्राप्त हुई थी लेकिन सिरसा में आई.एन.एल.डी. यानि इंटरनैशनल लुटेरा दल ने सिरसा नगर परिषद के प्रधान व उप-प्रधान के अलावा कुछ अधिकारियों ने सरकार की ओर से विकास कार्यों के लिए भेजी गई 35 करोड़ रुपये की ग्रॉंट को खुर्द-बुर्द कर दिया है। आई.एन.एल.डी. यानि इंटरनैशनल लुटेरा दल की हकीकत के बारे में आज पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता वाकिफ हो चुकी है। (हंसी) यह हंसने वाली बात नहीं है यह वास्तव में ही इंटरनैशन नैशनल लुटेरा दल है जिसकी हकीकत का पता आज पूरे प्रदेश की जनता को लग चुका है। आई.एन.एल.डी का मतलब इंटरनैशनल लुटेरा दल ही है। इन लोगों ने इस देश में तो घपले किये हुए हैं इसके साथ ही आस्ट्रेलिया और स्विटजरलैंड तक भी इन लोगों ने घपले किये हैं। यह बिल्कुल सही बात है कि चौटाला का दूसरा नाम "घोटाला" है जिसको अभी-अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने भी सदन में बताया है। इन विपक्ष के लोगों ने मेरी एक साल से अधिक की अनुपस्थित के दौरान सिरसा नगरपरिषद को विकास कार्यों के लिए मिले हुए 35 करोड़ रुपये की ग्रांट का गोलमाल करके सिरसा की दुर्दशा कर डाली है। फर्जी बिलों के माध्यम से विकास के इस पैसे में गड़बड़ी की गई है। कई तो इस प्रकार के मामले है जिनमें एक गली के तीन-तीन बार टैंडर निकाल कर फर्जी बिल पास किए गये हैं और 35 करोड़ रुपये की राशि को हड़प लिया गया है। स्पीकर सर, मैं इन सबकी डिटेल्ज आपको सौंप रहा हूं और मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप इन लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही करें ताकि हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा जो राशि विकास के कार्यों के लिए दी गई है उस राशि को ये लोग हड़प न सकें। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इसकी इंक्वॉयरी करवाकर दोषी को सख्त से सख्त सजा दी जाये ताकि भविष्य में हरियाणा के किसी भी क्षेत्र में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो सके। सिरसा हरियाणा का एक महत्वपूर्ण जिला है। उसमें जो इलैक्ट्रिसिटी के बिल है घरेलू या कृषि क्षेत्र में, उसके मामले में सिरसा नंबर वन पर है। इसी तरह ढाणियों में बिजली देने की जहां तक बात है यह भी वहीं से देनी शुरु की जाए। मेरा अनुरोध है कि जब रेवेन्यू देने में सिरसा की जनता नंबर वन पर है तो विकास कामों की कार्यवाही भी वहां से ही शुरु हो, यह मैं चाहता हूं। सिरसा की अनाज मंडी एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी है लेकिन वहां के किसानों का अनाज जगह न होने के कारण बारिश के दिनों में खुले में रखा जाता है। जहां तक अनाज मंडी की शिफ्टिंग की बात है उसके लिए मैंने मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध किया था, उस पर शीघ्र कार्यवाही की जाए। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री महोदय सिरसा गए थे। सिरसा में कन्या महाविद्यालय खोले जाने की कई साल पुरानी डिमांड है। सिरसा की जनता ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के परिवार को मुख्यमंत्री और उपप्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया लेकिन इसके बावजूद भी वे एक भी काम के बारे में यह नहीं कह सकते कि यह काम हमने किया। सिवाय लूटने के उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी काम हैं चाहे 235 करोड़ रुपये के पेयजल के काम हैं, सीवरेज ट्रीटमैंट के काम हैं, महाविद्यालय खोलने का काम है उनके लिए मैं मुख्यमंत्री जी

[श्री गोपाल कांडा]

से अनुरोध करूंगा कि वे सभी काम शीघ्र से शीघ्र किए जाएं। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को हमने विकास पुरुष समझकर सहयोग दिया था और उस पर वे खरे भी उतरे हैं। महाविद्यालय के लिए मुख्यमंत्री जी सिरसा में घोषणा भी करके आए थे इसलिए इसका काम जल्दी से जल्दी शुरु करवाया जाए। सिरसा के साथ लगते रामनगरिया में स्थित 7 एकड़ भूमि वहां की पंचायत महाविद्यालय के लिए देने के लिए तैयार है। मैं निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द महाविद्यालय का काम वहां शुरु करवाया जाए। धन्यवाद।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। साथ ही श्री बी.बी.बतरा, श्री आनंद सिंह दांगी, श्री आफताब अहमद एवं बी.जे.पी. व लोकदल के साथी जो इस कमेटी में शामिल थे, उन्होंने इस कमेटी की रिपोर्ट तैयार की। इसमें यह पाया गया कि ट्रस्ट के नाम पर हरियाणा में किस तरह से लूट मचाई गई, उसको इस रिपोर्ट के माध्यम से उजागर करने का काम किया गया है उसके लिए मैं इन सभी का धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आप बहुत ही समझदार हैं। कल सदन में एक सी.एल.यू. के बारे में बात आई थी और कई साथियों ने अपनी बात कही थी, इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यह जो ट्रस्ट की जमीनों को हड़पा गया उसमें सी.एल.यू. का मतलब चौटाला लैंड यूज है। पंचायत की जमीन थी और सरकार की जमीन कहीं भी थी या चाहे किसी भी तरह की जमीन थी उन जमीनों पर कब्जा करने का उन्होंने काम किया। आदरणीय श्री बी.बी.बत्तरा जी ने जो रिपोर्ट पेश की है उसके जरिए यह तथ्य सामने आया है कि किस तरह से आज इन ट्रस्ट और सोसायटियों का मिसयूज इन लोगों ने किया है। मैं आपसे बिनती करूंगा कि ऐसे मामलों में इन लोगों पर आपको बहुत सख्त कार्यवाही करनी होगी। इस देश में बहुत सारे ट्रस्ट ऐसे हैं जो जनता की भलाई के लिए काम करते हैं, पब्लिक के उत्थान के लिए बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं लेकिन आज जिन ट्रस्ट और सोसायटीज की बात आई है उससे जिस तरह के इनके कारनामें थे उनके ऊपर रोक लग गई है इससे होगा यह कि भविष्य में जो सही लोग है जो सही मायनों में और सही मन से काम करते हैं उनको भी लोग धर्म के नाम पर जो पैसा दिया जाता है वह भी देना बंद कर देंगे। जितने ट्रस्ट बनाए गए उनको बनाने का कोई मकसद नहीं था। पढ़ाई की बात करते थे, सिरसा की बात आपके सामने लाता हूं वहां चौधरी देवी लाल विद्यापीठ बनाई गई। जिसका अभी आपने रिकार्ड देखा जिसके लिए मात्र 9 और दस साल के समय में 92 करोड़ रुपये इकट्ठे किए गये। इस रिपोर्ट के इन्कम टैक्स के आंकड़े श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने आपके सामने रखे। वह जमीन बिना पैसे के किसान की हिब्बानामा से ली गई जैसा कि दांगी जी ने अभी बताया और जिस मकसद के लिए वह जमीन ली गई थी वह मकसद भी पूरा नहीं किया गया। हिब्बानामा जैसा कानून हमने तो पहली बार सुना है। सिरसा में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी को मात्र 7-8 कमरों के रूप में खड़ा किया और सात करोड़ रुपये लगाकर उस यूनिवर्सिटी का नाम चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया गया। हमारे इलाके में यह एक आशंका थी कि अब सरकार बदल गई है तो इस यूनिवर्सिटी का क्या होगा? लेकिन मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी का जिन्होंने चन्द ही वर्षों में जो एक नाम की यूनिवर्सिटी होती थी उस यूनिवर्सिटी पर आज हुड्डा साहब ने 165 करोड़ रुपये खर्च करके ऐसी यूनिवर्सिटी क्रिएट की है जहां देखने से यह पता लगता है कि वाकई यह कोई इन्सटीच्यूट है। वहां

देखने पर ऐसा लगता है कि वाकई यह यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। एक तरफ उनकी सरकार के समय हिसार में पशुपालन विभाग की सारी जमीन को हड़प लिया गया लेकिन आज तक उस जमीन पर कोई काम नहीं हुआ है। अभी हमारे कुछ साथी बता रहे थे कि हरियाणा में ही नहीं बल्कि चण्डीगढ़ की बात हो या दिल्ली की बात हो या जो आय से अधिक सम्पत्ति का मामला है उसमें देश का कोई राज्य बचा होगा जहां पर इस प्रकार के कारनामे इन लोगों ने न किए हों। मेरा एक ही आग्रह है कि जो लोग इतने सालों से राजनीति किसानों के नाम से कर रहे थे और किसानों के उत्थान और भलाई की बात कर रहे थे लेकिन जब किसान को लूटने की बात आती है उस समय चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो और चाहे कर्मचारी हो इस ट्रस्ट के जरिये आपने देख लिया होगा कि इन्होंने किसी को नहीं बख्शा। मैं माननीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि हमारे इलाके की हर सदन में यह बात आती थी कि ढाणियों में बिजली की बहुत समस्या है और उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है। हमारे अधिकारियों ने इसके लिए एक प्रस्ताव पेश किया कि 400 करोड़ रुपये की लागत से अगर माननीय मुख्यमंत्री जी पास कर दें तो सारी ढाणियों में बिजली पहुंच जायेगी। यह बजट बहुत भारी था लेकिन मैं इन अधिकारियों की दाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अब ऐसा कोई फार्मूला निकाला है कि वह 400 करोड़ रुपये की बजाए अब सिर्फ 32 करोड़ रुपये ही उस योजना पर लगेंगे। जब यह प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने आया तो उन्होंने एक ही कलम से उस पैसे को मन्जूर कर दिया और किसान का एक भी पैसा नहीं लगेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि आने वाले तीन महीनों में सिर्फ 32 करोड़ की लागत से हमारे इलाके की 45 से 50 हजार ढाणियां गांव की बिजली के साथ जुड़ जायेंगी। अब जो आठ घण्टे बिजली आ रही है वह 14 घण्टे बिजली आने लगेगी। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। स्पीकर साहब, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक ही बात कहना चाहूंगा कि इन सारे तथ्यों को देखते हुए मेरी आपसे पुरजोर अपील है कि इस तरीके के लोग जिन्होंने ये कारनामे किए हैं जिनकी सारी बात सामने आ गई है जिस प्रकार से चौधरी सम्पत सिंह जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से विनती की है कि इस रिपोर्ट का असली उद्देश्य तभी सफल होगा जब इस रिपोर्ट पर असल में कार्यवाही होगी। मैं सारे सदन की तरफ से आपसे यही आग्रह करना चाहूंगा कि इस रिपोर्ट पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए जिससे यह मैसेज जाए कि आने वाले वक्त में कोई राजनीतिक आदमी जो भी जनता से संबंध रखता है वह इस प्रकार से पब्लिक का पैसा प्रयोग करने की सोच भी न सके। इस तरीके का कानून बनाकर इनको सजा दी जाए। ताकि आने वाले वक्त में राजनीति की छवि जो इन लोगों ने गिरा दी है जिससे राजनीति धूमिल होती जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रयास किया है कि राजनीतिक लोगों की छवि को जनता की नजरों में अच्छी बनाकर रखना है जो लोगों की नजरों में राजनीतिक लोगों की छवि होनी चाहिए। यही मेरी आपसे पुरजोर सिफारिश है। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। यह एक गम्भीर विषय था। कमेटी की सारी रिपोर्ट को देखकर जो व्याख्यान यहां पर हुआ है उसे देखकर मुझे बड़ा अफसोस है क्योंकि मैं अपने स्वतन्त्रता सेनानियों और अपने बुजुर्गों के सम्मान की एक संस्कृति में पैदा हुआ हूं। यहां जो इस प्रकार से इन ट्रस्टों में भूमि का आबंटन किया गया। उन लोगों ने खुद मुख्यमंत्री और खुद अपने पुत्रों के नाम पर ट्रस्ट बना दिए। कहीं पुत्र ट्रस्ट का सदस्य और कहीं खुद सदस्य हैं और खुद जमीन का आबंटन कर रहे हैं। इस प्रकार से

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

इन्होंने प्रदेश को लूटने का काम किया है। मुझे अफसोस इस बात का है कि किसकी आड़ में इन्होंने ये काम किए। चौधरी देवीलाल हमारे बुजर्ग थे, उनके नाम की आड़ लेकर इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए। चौधरी देवीलाल जी मेरे पिता जी के साथी भी रहे और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। मेरा और उनका तीन बार चुनाव में मुकाबला भी हुआ। उस समय वे न चलने की स्थिति में थे और न बोलने की स्थिति में थे लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जी ने उनको मेरे सामने चुनाव में खड़ा किया। आज उनके नाम की आड़ में सब हो रहा है। चौधरी देवीलाल ट्रस्ट नाम रखकर इन्होंने घिनौने काम किए है। वे यहां सदन में नहीं हैं वरना तो मैं उनको एक ही बात कहता कि कम से कम चौधरी देवीलाल ट्रस्ट नाम मत रखो बल्कि इस ट्रस्ट का नाम लूट ट्रस्ट रखो। इन्होंने बुजुर्गों के नाम को बदनाम करने का काम किया है। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे इस बात का अफसोस है कि इन्होंने अपने बुजुर्गों के नाम को किस प्रकार से बदनाम किया। बेशक हम विपक्षी दल में हैं फिर भी हम उनका सम्मान करते हैं। वे जब तक जीवित रहे हमने उनका सम्मान किया बेशक हमारा और उनका मुकाबला रहा लेकिन हमने उनकी उम्र का सम्मान किया। वे स्वतंत्रता सेनानी रहे इसलिए भी हमने उनका सम्मान किया। चौधरी साहबराम जो उनसे बड़े भाई थे वे स्वतंत्रता सेनानी भी थे, वे मेरे पिता जी के साथ मुल्तान जेल में भी रहे हैं। उनके नाम की आड़ लेकर इन्होंने जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में लूट मचाने का काम किया है,यह बहुत अफसोसजनक बात है। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। अध्यक्ष महोदय, आपने बत्तरा साहब की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट पढ़कर मुझे बहुत अफसोस हुआ है और मुझे अंदाजा ही नही था कि इस प्रकार से लूट मची है। इसका मतलब इनके बारे में जो कहानियां लोगों में चलती हैं और जो लोग इनके बारे में बताते हैं वे सत्य बातें हैं। मैं तो कभी यकीन ही नहीं कर सकता था कि राजनीति में ऐसे व्यक्तित्व के लोग भी होंगें और वे चौधरी देवीलाल परिवार से होंगें। यह मेरी सोच से बाहर था। बत्तरा साहब की इस कमेटी के सदस्य दांगी साहब, आफताब अहमद, राव धर्मपाल, मामू राम और कृष्ण पाल गुर्जर जी थे। इन्होंने जो मेहनत की है और जो तथ्य लोगों के सामने रखे हैं इससे इन्होंने हरियाणा की जनता को एक शीशा दिखाया है उसके लिए मैं इनकी भारी सराहना करता हूं। इन्होंने राजनीति में सफाई लाने का कार्य किया है। अध्यक्ष महोदय, प्रो. सम्पत सिंह जी ने इस रिपोर्ट के बारे में बहुत सी बातें कहीं तथा और भी साथियों ने कही। इस कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर सरकार को अमल करने के लिए कहा गया है। यह ठीक बात है कि हम विचार कर सकते हैं कि आई.पी.सी. की धारा 409, 467, 468, 471 में हम पैनल एक्शन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। यह मामला केवल हरियाणा की प्रोपर्टी से सम्बन्धित नहीं है बल्कि यह मामला पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली की प्रोपर्टी से भी सम्बन्धित है। इसके ऊपर तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि सरकार इसके ऊपर कानूनी राय लेगी कि हरियाणा में क्या उचित कार्यवाही करनी बनती है और वह कार्यवाही सरकार जरूर करेगी। जो दूसरी कंसर्ड स्टेट हैं उनको कमेटी की रिकमेंडेशन भेजेंगें ताकि वहां की सरकारें उचित कार्यवाही कर सके। यह कानूनी प्रक्रिया की बात मैंने कही है लेकिन हमारे यहां प्रजातंत्र है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और बुजर्गों ने देश के लिए कुर्बानियां दी और आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों के नाम तो हमें मालूम हैं जिन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी। बहुत से स्वतंत्रता सेनानी ऐसे हैं जिनका नाम और गांव का हमें पता नहीं है लेकिन उन्होंने अपने देश की प्रतिष्ठा के लिए और आजादी की

लड़ाई के लिए अपनी जान गवाई। उनका एक सपना था, इस बात का मुझे गर्व है और सभी को गर्व होना चाहिए। हरियाणा से संविधान सभा के सदस्य मेरे स्वर्गीय पिता जी थे। वे लोग संविधान बना रहे थे। उन लोगों ने प्रजातंत्र का सिस्टम पार्लियामैंटरी डैमोक्रेसी के तहत दिया ताकि लोग अपने नुमाइंदे चुने और वे नुमाइंदे जनता की बात रखें। उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि नैतिकता का इतना पतन हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, नैतिकता के मूल्य भी होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री अपनी कलम से अपने पुत्र के नाम जमीन अलॉट कर दे। वह भी ऐसी ट्रस्ट को जिसके पास पैसे भी न हों और थोड़े ही दिनों में पता नहीं कहां से पैसे आ गये। ये बहुत सारी बातें हैं जो सदस्यों ने कही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आज समझा हूं और आपका भी ध्यान होगा पहले दिन विधान सभा में जो कुछ हुआ। उन लोगों ने पहले दिन प्रश्नकाल इसलिए नहीं चलने दिया क्योंकि वे चाहते थे कि कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा न हो। यही कारण है कि आपको मजबूर होकर उनको नेम करना पड़ा। आपने उनको बहुत अवसर दिये कि वे ऐसा न करें और प्रश्नकाल के बाद वे अपना सी.डी. का मुद्दा उठायें, लेकिन सी.डी. बाहर तो वे पहले ही रिलीज कर आये। इस मैटर को अब हमने लोकायुक्त को रैफर कर दिया है सब कुछ पता लग जायेगा कि उसके पीछे क्या नीयत है ? एक ही पार्लियामैंट क्षेत्र से सारे विधायक हों और खासतौर पर उनके टार्गेट में गरीब, दलित और बैकवर्ड क्लास के सदस्य हों, इसका मतलब क्या है ? इसका मतलब यह है कि प्रदेश में ऐसी अराजकता फैलायें कि सत्य सामने आने वाली बातें पीछे हट जायें। वे लोग चाहते थे कि बत्तरा साहब की कमेटी की रिपोर्ट पर सदन में बहस न हो और इसके लिए उन्होंने प्रश्नकाल में भी बाधा डालने का काम किया जिस पर उन्हें आपने नेम कर दिया। उसके बाद भी आपने दरियादिली दिखाई कि वे अपने व्यवहार के लिए माफी मांगे और आगे ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे तो आप उन्हें सदन में बुला लेंगे, लेकिन क्या उनमें से कोई आपके पास आया ? अध्यक्ष महोदय, हम भी चाहते हैं कि हाउस चले तथा पक्ष और विपक्ष दोनों मौजूद रहें। अध्यक्ष महोदय, आपकी भी जिम्मेवारी है कि आप सभी सदस्यों के अधिकारों को प्रोटैक्ट करें और सदन को सुचारू रूप से चलायें। आपने कल भी ब्यान दिया मैंने अखबार में पढ़ा है। आपने कहा है कि आप उनको जरूर मौका देंगे लेकिन वे आज क्यों नहीं आये ? जो मुद्दा था उस पर कल फैसला हो गया। लोकायुक्त एक कांस्टीच्यूशनल बॉडी है वह इसकी जांच करेगा और जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। उसके बावजूद भी वे नहीं आये क्योंकि उनको मालूम है कि नरेश शर्मा जी ने जो कालिंग अटैंशन मोशन उनसे संबंधित दिया हुआ है उस पर चर्चा होगी। मेरा तो इसमें उनसे यही आग्रह है कि नैतिकता रखें और नैतिक मूल्यों का कुछ तो आदर करें। आज जिस प्रकार से इस कालिंग अटैंशन मोशन पर चर्चा के दौरान बहुत सारे सदस्यों ने कहा है कि उन्हें विपक्ष के नेता के पद से हटाया जाना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि यदि उनमें नैतिकता होती तो जिस दिन कोर्ट ने सजा सुनाई उसी दिन वे विपक्ष के नेता के पद से इस्तीफा दे देते। आगे अपील करें यह कानूनी प्रक्रिया है लेकिन उनको जिस दिन सजा हो गई उसी दिन इस्तीफा देना चाहिए था। मैं तो कुछ नहीं कहता मैंने तो यह सब ओम प्रकाश चौटाला जी के विवेक पर छोड़ा है। वे नैतिकता का कितना आदर करते हैं यह उन्हीं पर छोड़ा है। मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र के अंदर सबको कुछ नैतिक मूल्य रखने चाहिएं लेकिन आज मुझे यह कहते हुए बड़ा अफसोस है कि उन लोगों में नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। स्पीकर सर, आप बार-बार उनसे बैठ जाने का आग्रह कर रहे थे इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अध्यक्ष जी यह जो विपक्ष है जो हमारे सामने बैठा है डैंटिड और पैंटिड विपक्ष

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

है। इनका कोई धर्म नहीं है और इनमें कोई नैतिकता भी नहीं है ये घेंट लगाकर फिर आ जाते हैं। इसलिए इनसे आपको नैतिकता की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए लेकिन फिर भी आप उम्मीद लगा लेते हैं। अध्यक्ष जी, इस बारे में काफी बातें हो चुकी हैं इसलिए मैं तो सिर्फ एक बात ही कहना चाहता हूं कि इस बारे में जो भी कानूनी कार्यवाही होगी उस पर सरकार कानूनी सलाह लेकर उचित कानूनी कार्यवाही करेगी। अगर दूसरे प्रदेशों में की हुई अनियमितताओं का भी कमेटी की रिपोर्ट में जिक्र है, उन सम्बंधित प्रदेशों को भी कमेटी की रिकमण्डेशंज को भेजा जायेगा। अध्यक्ष महोदय, यह तो मैंने सुना था, यह बहुत पुरानी कहावत है कि अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है लेकिन बुरों को अच्छा साबित करना इनकी नई आदत है। इन्होंने खुद इतने कुकर्म कर रखें हैं लेकिन फिर भी ये दूसरों पर लांछन लगाते हैं। ये सारा परिदृश्य आपके सामने है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं जो आपने सभी साथियों को बड़े ध्यान से सुना और जिससे आज हरियाणा के लोगों को असलियत का पता चला। मैं बत्तरा साहब और पूरी कमेटी की प्रशंसा करता हूं जिसमें इनेलो पार्टी का भी एक सदस्य था इन्होंने कहा कि बिना किसी द्वेष भावना के यह रिपोर्ट तैयार की गई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि द्वेष भावना सरकार में भी नहीं है। अगर हमारे अंदर द्वेष भावना होती तो हमारी सरकार बनते ही बहुत लोगों ने कहा और बहुत सारे साथियों ने भी दबाव दिया क्योंकि उस समय बहुत सारे मुद्दे थे सभी ने यह कहा था कि आप इनको अंदर क्यों नहीं करवाते। मैंने उस समय यह कहा था कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा बल्कि मैंने यह कहा कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा और वैसा ही ये भर भी रहे हैं। कोर्ट ने सजा की यह कोई बात नहीं लेकिन इसमें यह अजीब बात है कि ये कहते घूम रहे हैं कि हमें भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने सजा करवा दी है। कुकर्म ये करें और कोर्ट सजा करे फिर भी नाम भूपेन्द्र सिंह हुड्डा का लगा देते हैं। इन्होंने दीवारों पर यह लिखवा रखा है कि नौकरी दी है इसी वास्ते सजा हुई है। मैं इनको यह कहना चाहता हूं कि नौकरियां तो सभी सरकारें देती हैं। नौकरियां उन्होंने भी दी हैं और हमने भी नौकरियां दी हैं लेकिन सजा इस बात पर नहीं हुई है कि नौकरियां लगाई हैं बल्कि सजा तो इस बात पर हुई है कि सिलैक्शन तो किसी का हुआ हो और ज्वाईन किसी और को करा दिया हो यह तो बहुत घिनौना काम है। यह तो वही बात हुई कि लड़की की शादी कर तो किसी के साथ दो और उसे भेज दो किसी और के साथ। इस प्रकार का काम करके वे दीवारों पर लिखवा रहे हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इनमें न तो नैतिक मूल्य बाहर है और न ही इस हाऊस के अंदर ही है इसलिए इनसे आप अच्छे की कोई उम्मीद नहीं कर सकते। यह बात जरूर है कि आप एक ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं जहां से आप निष्पक्ष भाव से उनको मौका देते रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भविष्य में भी उनको इस प्रकार का मौका देते रहेंगे लेकिन यह मैं जानता हूं कि इनके ऊपर इसका कोई असर होने वाला नहीं है।

Mr. Speaker : Mr. Chief Minister, one serious question is that some BJP leaders also allegedly facilitated that properties are transferred in this manner. We should also look into this aspect.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, उसके बारे में मैंने कहा कि जिस भी गवर्नमैंट का इस केस में कोई रोल था चाहे वह दिल्ली गवर्नमैंट का हो, पंजाब गवर्नमैंट का हो या फिर चण्डीगढ़ यूनियन टेरीटरी के अधिकारियों या नेताओं का हो कमेटी की रिपोर्ट हम उन स्टेटों को भेजेंगे ताकि

वे इस मामले में उचित कार्यवाही कर सकें। स्पीकर सर, एक बात मैं और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इन्होंने तो लूट मचाई ही इसके साथ ही साथ हरियाणा के लोगों को दूसरों से भी लुटवाया है यानि हरियाणा के लोगों को खुद भी लूटा है और दूसरों से भी लुटवाया है। ये बातें करते हैं लैण्ड एक्वीजिशन की। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं सिर्फ एक आंकड़ा देना चाहता हूं जिससे यह साबित हो जायेगा कि हरियाणा के किसानों को किस प्रकार से लूटा गया। सर, इनके कार्यकाल में 11,622 एकड़ ज़मीन एक्वायर हुई उसका कुल कम्पनसेशन किसान को अर्थात लैण्ड ओनर को 752 करोड़ रुपये मिला। इसके विपरीत हमारी सरकार के समय में 21,011 एकड़ ज़मीन एक्वायर हुई इसका मतलब ऑलमोस्ट डबल लगा लें अगर जमीन डबल तो कम्पनसेशन भी लगभग-लगभग डबल यानि 1500 करोड़ रुपये होगा और अगर तीन गुणा होना तो 2100 करोड़ कम्पनसेशन किसानों को मिल जाता लेकिन क्योंकि हमारी सरकार किसान हितैषी है इसलिए हमारे समय में जो 21,011 एकड़ जमीन एक्वायर हुई उसका कम्पनसेशन किसानों को 8,673 करोड़ मिला है और इसके साथ एन्यूटी भी दी है। ये एक तो चौधरी देवी लाल का नाम ले लेते हैं और दूसरा किसानों का नाम ले लेते हैं लेकिन अपने समय में किसानों को लूटा भी है और लुटवाया भी है। ऐसा करके ये चौधरी देवी लाल को बदनाम कर रहे हैं। धन्यवाद स्पीकर सर।

सदन के कार्यक्रम में परिवर्तन

13.00 बजे **श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला :** अध्यक्ष महोदय, अगला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव टेकअप करने से पहले हमारे पास इंटरनेशनल ऑलम्पिक कमेटी और इंडियन ऑलम्पिक ऐसोसिएशन द्वारा कुश्ती को ऑलम्पिक में रखने के बारे में जो निर्णय लिया गया है उसके बारे में रैजोल्यूशन कंसीडरेशन के लिए आया है। इसी तरह से मुजफ्फरनगर में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उसके बारे में भी हमारे एक साथी श्री आफ़ताब अहमद द्वारा रूल 171 के तहत एक रैजोल्यूशन कंसीडरेशन के लिए लाया गया है। इसके अतिरिक्त हमारे लगभग डेढ़ दर्जन के करीब बिल्स भी हाउस की कंसीडरेशन के लिए पैंडिंग हैं। मेरी सरकार की तरफ से दरख्वास्त है कि यह सारा कार्य आज सैकिंड सीटिंग में करने की बजाय हाउस की अवधि एक दिन के लिए यानि कल 11.9.2013 के लिए बढ़ा दी जाये ताकि सारे साथी इन सभी बिल्स पर और रैजोल्यूशन्स पर तफशील से चर्चा कर सकें।

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the duration of the sitting of the House is extended for tomorrow i.e. 11th September, 2013 and the left of the legislative business listed in the agenda for today be deferred for tomorrow?

Voices : Yes.

Mr. Speaker : The duration of the sitting of the House is extended for tomorrow i.e. 11th September, 2013 and the left of the legislative business listed in the agenda for today is deferred and will be taken up tomorrow i.e. on Wednesday the 11th September, 2013. There will be no question hour tomorrow. The House shall meet at 10.00 A.M. and adjourn after conclusion of business entered in the List of Business for the day. Today, the House will adjourn after taking up two Calling Attention Motions listed in the List of Business for today.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, there is one more request I have to make with your kind permission. श्री गोपाल कांडा ने नगरपालिका सिरसा में हो रही अनियमितताओं के बारे में सदन में चर्चा की थी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने और सरकार ने निर्णय लिया है कि एडिशनल डायरेक्टर, लोकल बॉडीज के माध्यम से इन सारी अनियमितताओं की हम जांच करवायेंगे। अगर वे इस बारे में लिख कर भी देना चाहते हैं या और भी कोई सदस्य लिख कर देना चाहे तो वे सकता है हम उसको भी कंसीडर कर लेंगे।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(i) सरकारी/सरकारी उपक्रमों तथा स्थानीय निकायों के अधीन नौकरियों के साथ-साथ सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण/तकनीकी/व्यवसायिक संस्थानों में दाखिले में आरक्षण दिए जाने संबंधी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice No.37 from Shri Venod Sharma, MLA regarding grant of reservation in jobs under Government/Government Undertakings and Local Bodies as well as in admission in the Government/Government aided educational/Technical/Professional institutions. I have admitted it. Shri Venod Sharma may read his Calling Attention Notice.

Shri Venod Sharma : Hon'ble Speaker Sir, I want to draw the attention of this august House towards a matter of an urgent public importance and stated as under:—

"I would like to draw the kind attention of the Hon'ble Minister, Government of Haryana *vide* letter No.22/10/2013-1GSIII dated 22.2.2013 regarding 10% reservation to the Economically Backward persons in the General Castes Category. In this regard some of the institutions have started the admission of the students of Special Backward Category. But there are no instructions from the Government to give the facility of the Economically Backward Students of General Caste Category. These matters have not yet been decided.

1. What criteria has been fixed for being economically backward amongst the General Categories?
2. Which are the castes considered as General Categories as no category has been mentioned in the letter No.22/10/2013-1GSIII dated 28.2.2013 by the Haryana Government?
3. When they will get the benefit of this decision?"

Sir, Haryana Government, for the first time in the history under the leadership of Ch. Bhupinder Singh Hooda, had initiated a process for reservation in the Government jobs as well as in the educational institutions to the Special Backward Classes and the people who are from forward classes. In December 2012, a Report was submitted by the Haryana Backward Classes Commission and on the basis of that Report where it was envisaged the poorer sections amongst the forward classes and other castes should also be considered for these facilities. A Sub-

Committee of the Cabinet was constituted and the Report of the Sub-Committee was considered on 23rd January, 2013 and a decision was taken and in subsequent to that decision, a notification was also printed on 23rd January whereby this decision was conveyed. It is written that—

> "The Government of Haryana is pleased to declare the following classes of people, residing in the State, as Special Backward Classes with immediate effect :-
>
> 1. Bishnoi 2. Jat 3. Jat Sikh 4. Ror 5. Tyagi"

To make it clear, I must say that I have no objection that these castes have been given reservation in jobs as well as admission in educational institutions but the Chief Minister had decided that the poorer sections among the other castes should also be taken into consideration. And on that very day in the meeting of the Cabinet it was also decided that 10% reservation in the educational institutions as well as in the jobs will be provided to these Special Backward Classes. What is and where the confusion is this letter never mentions that decision in the subsequent to this letter dated 23rd January, 2013, another letter was written on 28th February, 2013, which I have also mentioned in my calling attention notice that which are the castes considered as General Category as no category has been mentioned in the letter No.22/10/2013-1GSIII dated 28th February, 2013 by Haryana Government which states that—

> "I am directed to invite your attention to the Government instructions indicated in the margin on the subject noted above and in supersession of these instructions, it is intimated that the State Government has re-considered its reservation policy and has decided to give reservation in direct recruitment under Government/Government Undertakings and Local Bodies and in admission in Government/Government aided Educational/Technical/ Professional Institutions as well as Special Backward Classes and Economically Backward persons in the General Caste's Categories in exclusion to the reservation already being provided to the Backward Classes"

This makes it clear that Government had decided to give 10% reservation to the castes which have been mentioned in the letter of 23rd January, 2013 and they have also considered to give 10% reservation to the poorer sections of the other castes also. I do not understand that. There are few questions have been arisen out of it. That is why it is a matter of importance and that's why I am here in the House to get some clarification. The Report of the Sub-Committee submitted in its Report to the Cabinet which decided on 23rd January, 2013 making reservation for economically backward castes for jobs and admissions in the Government aided institutions and in Government institutions, both categories as well as for these communities and the special backward classes and the poorer sections of the other castes. This was not referred in this letter. What decision was taken on 23rd January, 2013 by the Government by the Cabinet itself? But the Haryana Government notification is silent on the other part of 10% which subsequently by another letter forwarded to the people and told to the people.

[Shri Venod Sharma]

My question was that when this decision was taken, what criteria has been fixed for being economically backward classes amongst the general categories? 'Criteria' means that how will and who are the people, who will be covered under this policy, which are the castes which will be covered under this policy and how you will ascertain who are the people who are the poorer sections within those categories those who will be able to enjoy the benefits of this decision? This has not been cleared. The second question, I have just referred it because when I go through these two letters I have just seen, is that there any difference between direct recruitment under the Government/Government Undertakings/Local Bodies? I just want to understand it because it is written that—

> "The reservation policy has decided to give reservation in direct recruitment."

I want to just understand is the direct recruitment means the same as written in earlier letter which says as—

> "The Governor of Haryana is further pleased to provide 10% reservation in jobs under Government/Government Undertakings..."

Is 'direct recruitment' is different than the jobs under the Government and Government Undertakings. This is one thing on which I want to have a clarity because it differs in both the letters. And my third question is about the certificate being issued by the authorities in respect to the letter and Notification dated 23rd January, 2013. It is not issued in respect to the letter dated 28th February, 2013 which is a subsequent letter signed by the Government. In this relation, no certificate is being issued to the other castes and other categories, the poorer sections of other categories for the purpose of jobs as well as for the purpose of getting admissions in the educational institutions. This is what I have asked for. I request the Government to give clarification. Thank you very much.

वक्तव्य

उद्योग मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Speaker Sir, My written reply has already been circulated in the House and my humble request is that the same may be deemed to be read.

In accordance with the directions issued by the Hon'ble Supreme Court of India in Writ-Petition (Civil) No. 930 of 1990, Indira Sawhney and others versus Union of India, the Haryana Government vide its notification dated 08th April, 2011 reconstituted the Haryana Backward Classes Commission. The terms of reference of this Commission were to entertain, examine and recommend upon requests for inclusion and complaints of over-inclusion and under inclusion in the list of Backward Classes.

In its fourth report submitted on 12.12.2012, the Haryana Backward Classes Commission recommended at least 10% reservation to the Economically Backward Persons in General Category. The recommendations of Haryana Backward Commission were placed before the Haryana Council of Ministers on 12.12.2012 and the Cabinet decided that a sub Committee of Cabinet consisting of Sh. Harmohinder Singh, Finance Minister, Sh. Ajay Singh, Power Minister, Sh. Randeep Singh Surjewala, Industries Minister, Sh. Paramvir Singh, Agriculture Minister, Smt. Geeta Bhukkal, Education Minister and Sh. Narender Singh, Health Minister be constituted to consider the recommendations of the Commission in respect of reservation for economically backward persons in General Category and to suggest specific programmes for economic upliftment of Special Backward Classes as suggested by the commission.

Decision of the Council of Ministers :

The Sub Committee of the Cabinet considered the report of the Haryana Backward Commission *qua* identification of Economically Backward Persons and submitted its report on 22.01.2013 and the recommendations of the Cabinet Sub Committee were placed before the Council of Ministers in its meeting held on 23.1.2013 and was approved by the council of Ministers.

The Department of Welfare of Scheduled Castes & Backward Classes, Haryana *vide* notification dated 23.1.2013 implemented the decision of Council of Ministers and this was reiterated by the General Administration Department vide its letter No. 22/10/2013-1GSIII, dated 28.2.2013.

Criteria:

As per the notification, the criteria for consideration as economically backward amongst the general caste's category is as under:

(i) 'Family' for the purposes of the applicant seeking reservation as 'economically backward' is defined as follows:-

(a) Head of Family and his/her spouse;

(b) Dependent children and their spouses;

(c) Unmarried dependent brothers and sisters.

(ii) The total annual income of the family of the applicant should not cumulatively exceed Rs. 2,50,000/- per annum from all sources including agricultural income.

(iii) In case any person in the family, as described in (i) above, is income-tax/wealth tax payee, benefit of reservation shall not be extended.

(iv) Applicant or family as described in (i) above should not be in Class-I/Class-II services of Government of India or State Government level or equivalent or hold any equivalent post in any statutory board/corporation/university/society/trust or an equivalent position in any public/private limited company or in any international organization.

[Shri Randeep Singh Surjewala]

Family shall be deemed to be in service as mentioned above when a person in family has superannuated and/or has sought voluntary retirement or has been dismissed/terminated/compulsory retired from such service.

(v) In case, family as described in (i) above, is engaged in a profession as doctor, lawyer, chartered accountant, income tax consultant, financial or management consultant, engineer, architect, computer specialist, film/TV artist, playwright, author, model, media personnel or holds any elected/appointed office either under the Constitution or in terms of any statute out of which emolument/salary is paid, criteria of income as described in (ii) above shall be applicable.

(vi) Family, as described above, should not be employed in any Military or para-Military services with Union of India in the rank of 'Second Lieutenant' or above in the Army or any equivalent rank in other forces or para-Military forces.

All the castes which do not come under the Scheduled Castes Category, Backward Classes Category and Special Backward Class Category (Annexure-'A') are considered as General Castes for this purpose.

Status of implementation :

For grant of benefit of reservation to the economically backward persons in general castes category, instructions bearing No.22/10/2013-1GSIII dated 28.2.2013 were issued by the General Administration Department. These instructions are applicable w.e.f. the date of issuance i.e. 28.2.2013. Further, in compliance with these instructions, Technical Education Department, Higher Education Department, Medical Education Department, Industrial Training Department, State Council of Education, Research & Training have started giving reservation in admissions to the economically backward persons in the Government/Government aided colleges/institutions recruitment to Government and other applicable jobs is also being made as per this decision of the Government.

Annexure 'A'

LIST OF SCHEDULED CASTES, BACKWARD CLASSES AND SPECIAL BACKWARD CLASSES

Scheduled Castes

1. Ad Dharmi
2. Balmiki
3. Bangali
4. Barar, Burar, Berar
5. Batwal, Barwala
6. Bauria, Bawaria
7. Bazigar
8. Bhanjra
9. Chamar, Jatia Chamar, Rehgar, Raigar, Ramdasi, Ravidasi, Balahi, Batoi, Bhambi, Chamar-Rohidas, Jatav, Jatava, Ramdasia
10. Chanal
11. Dagi
12. Darain
13. Deha, Dhaya, Dhea
14. Dhanak
15. Dhogri, Dhangri, Siggi
16. Dumna, Mahasha, Doom
17. Gagra
18. Gandhila, Gandil, Gondola
19. Kabirpanthi, Julaha
20. Khatik
21. Kori, Koli
22. Marija, Marecha
23. Mazhabi, Mazhabi Sikh
24. Megh, Meghwal
25. Nat, Badi
26. Od.
27. Pasi
28. Perna

[Shri Randeep Singh Surjewala]

29. Pherera
30. Sanhai
31. Sanhal
32. Sansi, Bhedkut, Manesh
33. Sansoi
34. Sapela, Sapera
35. Sarera
36. Sikligar, Bariya
37. Sirkiband

Backward Classes

BLOCK 'A'

1. Aheria, Aheri, Meri, Naik, Thori or Turi, Hari
2. Barra
3. Beta, Hensi or Hesi
4. Bagria
5. Barwar
6. Barai, Tamboli
7. Baragi, Bairagi, Swami Sadh
8. Battera
9. Bharbhunja, Bharbhuja
10. Bhat, Bhatra, Darpi, Ramiya
11. Bhuhalia, Lohar
12. Changar
13. Chirimar
14. Chang
15. Chimba, Chhipi, Chimpa, Darzi, Rohilla
16. Daiya
17. Dhobis
18. Dakaut
19. Dhimar, Mallah, Kashyap-Rajpoot, Kahar, Jhiwar, Dhinwar, Khewat, Mehra, Nishad, Sakka, Bhisti, Sheikh-Abbasi
20. Dhosali, Dosali
21. Faquir
22. Gwaria, Gauria or Gwar
23. Ghirath
24. Ghasi, Ghasiara or Ghosi
25. Gorkhas
26. Gawala, Gowala
27. Gadaria, Pal, Baghel
28. Garhi Lohar
29. Hajjam, Nai, Nais, Sain
30. Jhangra-Brahman, Khati, Suthar, Dhiman, Tarkhan, Barhai, Baddi
31. Joginath, Jogi, Nath, Jangam-Jogi, Yogi
32. Kanjar or Kanchan

33. Kurmi
34. Kumhars, Prajapati
35. Kamboj
36. Khanghera
37. Kuchband
38. Labana
39. Lakhera, Manihar, Kachera
40. Lohar, Panchal
41. Madari
42. Mochi
43. Mirasi
44. Nar
45. Noongar
46. Nalband
47. Pinja, Penja
48. Rehar, Rehara or Re
49. Raigar
50. Rai Sikhs
51. Rechband
52. Shorgir, Shergir
53. Soi
54. Singhikant, Singiwala
55. Sunar, Zargar, Soni
56. Thathera, Tamera
57. Teli
58. Banzara, Banjara
59. Weaver (Jullaha)
60. Badi/Baddon
61. Bhattu/Chattu
62. Mina
63. Rahbari
64. Charan
65. Chaaraj (Mahabrahman)
66. Udasin
67. Ramgarhia
68. Rangrez. Lilgar, Nilgar, Lallari
69. Dawala, Soni-Dawala, Nyaaria
70. Bhar, Rajbhar
71. Nat(Muslim)

BLOCK 'B'

1. Ahir Yadav
2. Gujjar
3. Lodh/Lodha/Lodhi
4. Saini, Shakya, Koeri, Kushwaha, Maurya
5. Meo

Special Backward Classes

1. Bishnoi
2. Jat
3. Jat Sikh
4. Ror
5. Tyagi

Mr. Speaker : Can you highlight some of the important points also, please?

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, two more important and relevant issues have been raised by my respected colleague Shri Venod Sharma Ji. In course of when he initiated the motion, he said how did the Sub-Committee of the Cabinet come to the conclusion that there is a need what is a rationale. Sir, the 'rationale', we have specified even in the Report of the Committee. I was a member of the Committee and even as a Member of the Sub-Committee, I can explain in this House that what was the rationalization? Why did we choose to include economically backward class categories of people and consider them for the purposes of reservation in the category of Backward Classes?

Sir, Articles 15 and 16 of the Constitution of India are extremely relevant for this purpose. I just want to point out the specific words for your kind consideration. Article 15 of the Constitution of India uses very specific words which I want to bring to the notice of the House and also to the notice of my learned friend. Article 15 says-

> "15.-Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth"

And Hon'ble Shri Venod Sharma ji has read that many times and all of us also.

Article 15(1) contains a specific mandate that citizens will not be discriminated against on these grounds.

Article 15(4) is only relevant provision, that was added in 1950 and actually it was not in the original Constitution. Clause 2 of Article 29 says-

> "Nothing in this article or in Clause (2) of Article 29 shall prevent the State from making any special provision for advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes."

Speaker Sir, I want to invite your kind attention to the words-

> "any socially and educationally backward classes of citizens or..."

Sir, we are not dealing with the categories of Scheduled Castes and Scheduled Tribes right here.

With your permission, I would like to draw your attention to Article 16. Article 16 is extremely specific and it again talks about equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State. Clause (1) says-

> "..there shall be equality of opportunity."

Clauses (3) and (4) again are relevant. I will read out the Clause (3) of Article 16. It says-

> "3. Nothing in this article shall prevent Parliament from making any law prescribing, in regard to a class or classes of employment or appointment to an office under the Government of, or any local or other authority within, a State or Union Territory, any requirement as to residence within that State or Union Territory prior to such employment or appointment."

Then Sir, Clause (4) of Article 16 which is actually more relevant one. I want to read it out also. It says-

> "4. Nothing, in this article, shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens..."

Article 15 uses the words - "socially and educationally backward.." whereas Article 16(4) is more general. That is a marked distinction that has been quoted in the case of Indira Sawhney v. Union of India, and in many cases and it is only talk about backwardness. The Sub-Committee appointed by the Cabinet had also looked at all these Articles 15(4) and 16(4) minutely.

Constitution, as all of us say, is an evolving document, and it is not a static document. That's why the Constitution has survived since 1952 till date for 67 years. I hope it will continue with minor changes with time or re-interpretation will continue to survive for hundred of years or more. And if it is an evolutionary document, then the distinction of backwardness have to, per se, change with change of times. What was true? In 1950 cannot be treated to be true in 2013. When we speak about backwardness, then it inherently means, 'socially and educationally backward'. Sir, with all humility at my command, I ask you what is the principal criteria for determining the backwardness in today's India and in the world? In one word I can tell you, Sir, it is 'poverty' which is more than caste, more than creed, more than race, more than religion, more than place of birth, while all these are also determinants but today 'poverty' is the single biggest determinant of backwardness of a class of people which may also include caste as we have seen. I may give an example. I do not believe in the strict rigours on caste but say a particular person who belongs to Kaul Brahman in Jammu and Kashmir or Bhardwaj Brahman, among the Brahman community, has no source of income, has no land and has no means of livelihood, can we say he is forward? That is a question that a society as a whole one day has to ponder over seriously. That is why a Sub-Committee came to a categorical conclusion that poverty being one of the classifications or determinants of backwardness. That is why it is time to consider economic backwardness or economic depravity as a ground of backwardness. That's why the reason we decided to include the economically backward people.

Shri Venod Sharma : We do all compliments for that.

Shri Randeep Singh Surjewala : Thank you, Sir. Second question that Shri Venod Sharma ji raised was, Sir, that how do you define or determine economically backwardness? That is very relevant question again. I find poverty

[Shri Randeep Singh Surjewala]

to be a determinant of backwardness and how do I define it? We have tried and the Government has tried to define it and detailed criteria I have enlisted under the heading of 'criteria' of being economically backwardness. And Sir, 'economically backwardness' can be a matter of debate and there can be other criterion also but we have a right to identify it by the measure of income that a family has and rest of the details have also been given under the heading 'Criteria'. I will not waste the time of the House by reading it again. The third pointed query that he raised and a doubt was also raised that whether when we say reservation in Government, whether it is different to the reservation in the Public Undertakings owned by the Government or operated by the Government, per se, whatever falls within the definition of...

Shri Venod Sharma : My question is not that. My clarification is not that whether it is Government jobs or Government Undertakings or Public Undertakings. My question was that of the jobs for which the Special Backward Caste will be eligible to get benefits, will get all those jobs and will get all those admissions, be available to this 10% of the poorer sections of other castes or not? It is specific that I have asked for.

Shri Randeep Singh Surjewala : Fair enough. I will clarify that too. I want to say once we have reservation it is applicable across the board, on everything that is a State within the definition of Article 12 of the Constitution and reservation, per se, whether it is for Economically Backward or for others would, per se, apply *mutatis-mutandis* to everybody.

Shri Venod Sharma : Speaker Sir, I am very much thankful to the Minister to an extent to me the clarity is there. But still I have few doubts with me. Very certainly, my friend has circumvented the answer very cleverly by trying to educate me with the Constitution here. I am not a student of Law and I am not able to understand the Constitution within 10 minutes' time. So I would like to request him that it is a matter of important that's why I have brought a calling attention motion notice here. The lives of thousand and thousands of boys and girls depend on it. Though you rightly said that the spirit behind your action to consider those who are economically backward but do not belong to the backward castes, is an appreciable. Very well-thought scheme, I would say, has been done only in Haryana and no other State in the country has thought about it. That's why I said compliments to the Chief Minister on this that he has thought about it and he has brought it to the practice. Where is the problem coming? While we are going to implement this scheme, we are not seeing it is implemented in the same spirit in which spirit it was envisaged and in which it was passed by the Cabinet. That reason is not made clear to me. If we want to say we are unable to implement the decision of the Cabinet because there are certain hurdles because of the Constitution of India then clearly it should be told to me. The House should be aware of it that it is not implemented because of this reason. Till date I am afraid to say that the outcome of this Cabinet decision and the subsequent letters, no person from the poorer sections of the other castes have either been given any job or have been admitted in any of the institutions till date. That is the reason why I am here and I

am asking in the House. What I have been told, I have mentioned about the earlier letter dated 23rd January, 2013 when a decision was taken in the Cabinet on 23rd January, 2013. The notification is also of 23rd, January, 2013 and yet it has not been mentioned about the other sections to get benefit of 10% reservation for economically backward class in other castes. This letter shows that this has not been mentioned therein. This letter has only been written for special backward castes. A letter subsequent to that after one month has been sent where it is written, I would also like to read out here that-

"...who are in the list of special backward classes in Haryana State."

It is written very clearly on the second page also. It is my question that to whom are you referring to? You have not given in the reply to my calling attention motion notice. I have very clearly asked that which caste will be considered as General Category as per the letter. You are not telling me who are those castes? Please tell me, who are those castes who would be benefited by virtue of the letter and by virtue of the decision of the Government, one question is this. My second question, I repeat that. Will they be treated at par as far as the decision, recruitment to the Special Backward Castes, has been taken by the Cabinet? Will they be considered at par as far as jobs in the Government arena or public sectors and admission in educational institutions? Will they be considered at par with the Special Backward Castes? You tell me who are those people? I will give a suggestion also. And the third question is, as I have said, how to analyse those people and how to find out and who are the people going to get all these benefits? You said that you have given a detailed reply. I won't go through it sitting over here. So much should be the salary, how to go about it? I have a suggestion in this regard. Since we know that all those people who are going to be covered under the Food Security Scheme, households those who are already covered under BPL, who are already covered under AAY, we have no doubt about those people that they are poor people. If we can bring it further to this, that all those people from other castes which you have mentioned now, those who are covered under BPL, those who are covered under AAY and those who are in future going to be covered under the Food Security Scheme are primarily those people who are poorer sections of the society, they will automatically become eligible to get all these benefits under this decision of the Cabinet. These are my three questions. Please tell me if you can. I will be happy about it. Thank you.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, since the department is that of Smt. Geeta Bhukkal, I would request her to answer specific queries. I just want to humbly say to Shri Venod Sharma Ji and to remind him about the boy he took and got him admitted to college. He can't teach you Constitution. Sir, I want to remind you about the boy you took and got him admitted to college, that is me. He cannot teach you Constitution because he learnt from you.

श्रीमती गीता भुक्कल : जो कालिंग अटैंशन मोशन आया है उस पर कुछ क्वैरीज रेज हुई हैं।

श्री विनोद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि कौन कौन सी कास्ट हैं जो इसमें इन्क्ल्यूड की गई हैं।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, एस.सीज., बी.सीज., बी.सी.- ए. और स्पैशल कैटेगरी का जो क्राइटेरिया हमने बनाया है उनके लिए तो स्पैशल रिजर्वेशन दी गई हैं और 10 परसैंट रिजर्वेशन इक्नोमिकली बैकवर्ड सैक्शन के लिए हैं। जो कास्ट बच जाती हैं और इस क्राइटेरिया में जो लोग आते हैं उनके लिए यह रिजर्वेशन है। किसी भी इंस्टीच्यूट में अभी इस तरह के ऐडमिशन के स्टेटस के बारे में आपने बात कही। We have already issued Instructions *vide* letter No.22/10/2013-1GSIII dated 28th February, 2013 and in compliance with the instructions, the Technical Education Department, Higher Education Department, Medical Education Department, Industrial Training Department, State Council of Education, Research and Training have started giving reservation in the admissions to the economically backward persons in the Government and the in the Government aided colleges/institutions, recruitment to government and other applicable jobs is also being made as per this decision of the Government...

Shri Venod Sharma : All these admissions in institutions whether it is to the economically backward sections or to the special backward castes, there has to be some people which will show that I or somebody else who goes to the institution, belong to the particular caste. There has no certificate yet been issued by the Government to any of the economically backward caste or from other castes by virtue of which he can go and get admission. It is only the instructions have been sent and I am saying whether any admission has been given on this basis and if so then what basis were adopted?

Mr. Speaker : Is the Government issuing any certificate in this regard?

Smt. Geeta Bhukkal Matanhail : Hon'ble Speaker Sir, we have already given the directions to all the departments and to the ITIs. Even we have issued for recruitment of 1600 candidates in ITI. We have given the directions to include the economically backward persons in the general caste even in admissions also. Absolutely, you are right that किस तरह से पता चलेगा कि वे इकनोमिकली बैकवर्ड क्लास में हैं। लेकिन हमने सभी विभागों में हिदायतें जारी की हैं कि इनको 10 प्रतिशत एडमिशन दिया जाये। खासतौर पर जो आई.टी.आई. विभाग की 1600 पोस्टें निकली हैं उसमें भी हमने हिदायतें जारी की हैं कि एस.सी., बी.सी., बी.सी.ए., स्पेशल बैकवर्ड क्लासिज, फिजीकली हैंडीकैप्ड और इकनोमिकली बैकवर्ड क्लासिज की जो रिजर्वेशन है उस के मुताबिक एडमिशन और रिक्रूटमैंट्स की जायें। इस बारे में मैं स्वयं भी क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगी क्योंकि माननीय सदस्य ने जो क्यूरीज रेज की हैं उनके बारे में जरूरी है कि हम भी कोशिश करेंगे कि अप टू डेट जानकारी दे पायें।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, the Member says that not a single certificate has been issued?

Shri Randeep Singh Surjewala : May I clarify that since it relates also to Revenue Wing? I already verified the issue that was raised by Shri Venod

Sharma Ji. Sir, my hon'ble colleague has already clarified all categories other than SC and BC are general categories. Instead of any caste falling in general categories is entitled to economically backward class status depending upon the criteria of income. I want to re-emphasise that fact. Sir, I do not have to enlist the castes, anybody not covered in SC or BC, is automatically treated as general category. Anybody falling in general category subject to the income criteria is entitled to be a economically backward class. We have issued instructions that all tehsildars and SDOs(Civil) will issue economically backward class certificates on due verification of income. Sir, if there is any problem in a particular block, tehsil or district, kindly write to Hon'ble Chief Minister and we will get it clarified in case there is any issue. I will also request the officers of the Government that the instructions issued qua economically backward class certificate should be circulated tomorrow to all the members of the House for their consideration and for issuance of appropriate certificate.

Shri Venod Sharma : I am sorry to raise time and again. I have very specifically asked in a precis manner. In a short sentence I will again repeat. My question was which has not yet been answered. Mr. Minister you have said that other than SC and BC, all other castes will be treated as General Category. I tell my Senior Minister that here the castes have been mentioned. I can show you the letter wherein these castes have been mentioned as Bishnoi, Jat, Jat Sikh, Ror and Tyagi and they are Special Economically Backward Castes by virtue of order of the Cabinet issued on 23rd January, 2013. By virtue of that order, other people have also become eligible for 10% reservation in the educational institutions as well as in the jobs. Therefore, I have repeatedly asked you, is there any difference between the direct recruitment or the recruitment in the Government jobs? My two questions are there. Once you have mentioned these special backward castes, my simple request is that all other castes which are going to be covered under it and you are very magnanimous by doing it, why don't you adopt the procedure which makes it simplified for the people to apply and get the benefit. This is what I am saying. So, why don't we bring those castes into in writing and put it into black and white and these castes may be 20-30-40-50 and may be 10. What stops us to do it? I will not rise again and again. Sorry, I do not want to disrespect to the Chair.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, you are referring to a notification now I have brought all notifications in the meanwhile. It belongs to the department of my learned friend. 24th January, 2013 is the notification that you are referring to. With your permission, Sir, I want to read it. It says-

> "The Governor of Haryana is pleased to declare the following classes of people residing in the State as Special Backward Classes with immediate effect:-
>
> 1. Bishnoi 2. Jat 3. Jat Sikh 4. Ror 5. Tyagi.
>
> 2. The Governor of Haryana is further pleased to provide 10% reservation in jobs under Government/Government Undertakings and Local Bodies as well as in educational institutions for these Special Backward Classes

[Shri Randeep Singh Surjewala]

> in exclusion to the already notified 27% reservation provided to the Backward Classes.
>
> 3. For providing the benefit of reservation to Special Backward Classes, the criteria shall be the same as is applicable to Backward Classes in the State..."

This is one Notification, No.59 SW(1)-2013 dated 24th January, 2013 Sir. The day before that, earlier to that day, on 23rd January, 2013, we have also issued Notification No.60 SW(1)-2013 issued by the same department qua the Criteria for consideration as economically backward classes. It says-

> "The Governor of Haryana is pleased to provide 10% reservation in jobs under Government/Government Undertakings and Local Bodies.."

Same wording is used here, Sir. Sharma Ji, may be you do not have a correct Notification. I will pass it on to you, Sir.

Shri Venod Sharma : I am saying about the Notifications of 23rd January, 2013 and 28th January, 2013. These are two Notifications.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, I want to read out the Notification No.60 SW(1)-2013 dated 23rd January, 2013. It says-

> "The Governor of Haryana is pleased to provide 10% reservation in jobs under Government/Government Undertakings and Local Bodies as well as in educational institutions for Economically Backward Persons in the General Caste's Categories of the State..."

And then the 'Criteria' for consideration as economically backward which has already been re-produced therein. Then Sir, we spoke about the certificate for economically backward class. Sir, this is the certificate, I will just place on the floor of the House also. We have issued a proforma and we are specifically referring to the notification issued.

Shri Venod Sharma : I want to read out Notification No.59/300(1)/2013 dated 23rd January, 2013 isued by the Welfare of SC and BC Department. It says-

> "The Governor of Haryana is pleased to declare the following classes of people residing in the State as Special Backward Classes with immediate effect..."

And the subsequent decision was taken by the Cabinet on 23rd of January, 2013. Is it right?

Shri Randeep Singh Surjewala : Right Sir.

Shri Venod Sharma : In that Cabinet meeting, the decision was also taken that 10% jobs as well as admissions into the educational institutions will be reserved for the economically sections. The decision was taken together in the same meeting.

What I am saying is this is not reflecting in it. You may be having another Notification. That's why I am reading it the verbatim.

> "...following classes of people, residing in the State, as Special Backward Classes, with immediate effect:-
>
> 1. Bishnoi 2. Jat 3. Jat Sikh 4. Ror 5. Tyagi
>
> 2. The Governor of Haryana is further pleased to provide 10% reservation in jobs under Government/Government Undertakings and Local Bodies as well as in educational institutions for these Special Backward Classes in exclusion to the already notified 27% reservation provided to the other Backward Classes."
>
> There is no mention of 'other 10%', I am going further-
>
> 3. For providing the benefit of reservation to Special Backward Classes, the criteria shall be same as is applicable to Backward Classes in the State and other instructions issued by the Government from time to time."

Nothing after this. This is the notification. Where it is written 10%?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, मैंने इसीलिए आपको निवेदन किया था कि 23 जनवरी, 2013 को निर्णय हुआ और हमने इकॉनोमिकली बैकवर्ड क्लॉस को 23 जनवरी, 2013 को ही नोटिफाई कर दिया था। एक दिन बाद में यानी 24 जनवरी, 2013 को हमने स्पेशल बैकवर्ड क्लॉस को नोटिफाई किया था। शर्मा जी, आप जो 24 जनवरी, 2013 का नोटिफिकेशन पढ़ रहे हैं वह दूसरा है। (Interruption) Sir, I will clarify it again. I think It is just a matter of some confusion on part of reading of Notification No.59 SW(1)-2013. The day before this Notification, on 23rd January, 2013, we have issued another Notification No.60 SW(1)-2013. With your permission, Sir, I want to read out again:-

"The Governor of Haryana is pleased to provide 10% reservation in jobs under Government/Government Undertakings and Local Bodies as well as in educational institutions for Economically Backward Persons in the General Caste's Category of the State..."

Because it is a separate category. Now, somebody is in Special Backward Class and he says why I am not included here? Because you are included on 24th January, 2013 on next date.

Shri Venod Sharma : Sir, that leaves no doubt, I admit it. I accept your version. I am not disputing it and it leaves no dispute at all. My question is very straight again. Will this 10% amongst the economically backward people amonst the other castes get same facilities and be treated at par as far as jobs reserved in Haryana or as far as admissions are concerned in educational institutions? I am just asking for assurance from the Government that, in future, will they be treated at par with the other Special Backward Classes for the purpose of recruitment in the jobs as well as admissions in the educational institutions? My question is this only.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, I bow and respect and I cannot agree more because the phraseology of wording, commas, full stops are same in both Notifications. If there is a doubt. That has a reason. My learned friend is a senior seasoned member of this House and has been the Member of other House. I can assure him, on behalf of the Government, that Economically Backward Classes will be treated at par in all Government/Government Undertakings, Public Sector Undertakings, all Local Bodies in matters of jobs as also in all educational institutions at par with Special Backward Classes at par with Backward Classes.

Shri Bhupinder Singh Hooda : I will clarify. There is hardly any doubt about it. Intentions are very clear. They are to be treated at par. But if there is some problem in implementation that can be clarified again. That's all. But as far as intentions of the Government, intentions of the Cabinet are concerned, these are very clear and there is no doubt that the Economically Backward Class will be treated at par with other Backward Classes and Special Backward Classes.

Shri Venod Sharma : Through you, Sir, I would like to thank the Chief Minister that it is for the first time in the country that such measures have been taken. It is actually the need of the hour and I cannot agree more that and it may be followed in other States. We cannot say what will happen in other States but it is such a role model. I am thankful to the Hon'ble Chief Minister for giving assurance but at the same time I had given one suggestion also. It will be difficult to find out who are economically backward amongst these castes. As I suggested all those people who are under BPL and all those people who are covered under AAY...

Shri Bhupinder Singh Hooda : I was hearing you on that matter. The Government will consider your suggestion for this.

Shri Venod Sharma : Thank you, Sir.

(ii) राज्य में खाद्य सुरक्षा विधेयक प्रारम्भ करने तथा उस पर लाभानुभोगियों की सूची तैयार करने के लिए मापदण्ड संबंधी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice No.13 given of by S/Shri Bharat Bhushan Batra and Aftab Ahmed, MLAs regarding launching of Food Security Bill in the State and criteria for preparing the list of beneficiaries thereon. I have admitted it. I have also received Calling Attention Notices No.33 and 36 from Shri Sampat Singh and Shri Venod Sharma, MLAs on the similar subject and the same have been clubbed with the Calling Attention Notice No.13. They will be allowed to raise supplementaries. Shri Aftab Ahmed, MLA will also be allowed to raise supplementary. Shri Bharat Bhushan Batra, MLA, being the first signatory, may read out his notice, please.

Shri Bharat Bhushan Batra : Sir, I want to draw the attention of this august House to a matter of recent occurrence of the Food Security Bill launched by the Union Government of India and by the State Government also. What are the salient features of the Food Security Bill and what shall be the criteria and

transparency in maintaining the list of the beneficiaries, what method shall be adopted by the State in preparing the list of the beneficiaries? How many house-holds/people shall be covered in the State and which will be the agency for distribution of the food and food-grains. In case the food-grain is not supplied within stipulated period, will the Government be asked for mandatory benefit/ transfer of cash to the beneficiaries? What shall be the system of checks and balances in the distribution, so that there should be no pilferage and benefits should reach to the common man/beneficiary? Will there be any mechanism to redress the grievances of beneficiaries?

I request the Government to make a statement on the floor of this House in this regard.

Shri Sampat Singh : Speaker Sir, I want to draw the kind attention of this august House regarding the Food Security Guarantee. Chief Minister Bhupinder Singh Hooda rolled out the Centre's ambitious Food Security Scheme in Panipat on 20th August — the birth anniversary of former Prime Minister Shri Rajiv Gandhi. It was a historic measure.

The scheme will benefit more than 1.26 crore people in the State. With its implementation, the number of rural beneficiaries has increased from 38 lakh to 90.28 lakh and urban beneficiaries from 15.81 lakh to 36.21 lakh. Half of the population in Haryana will directly benefit from the scheme, which will fetch them rice, wheat and coarse grains at subsidised rates of Rs. 3, Rs. 2, and Rs. 1, respectively.

Besides, 12.84 lakh BPL families will get 2 kg sugar per month at the subsidised rate of Rs. 13.5 per kg per family. All eligible beneficiaries will benefit from the scheme from August 20," he added.

In Haryana it has taken the shape of Dall Roti Scheme. Under this, 2.5 kg Dall per month will be given at the subsidised rate of Rs. 20 per kg per family. The scheme will benefit 12.84 lakh BPL families.

The House wants to know the eligibility condition for this Food Security Guarantee and who will be the beneficiaries? Which agency will distribute this Dall Roti Scheme?

I would also request the Government to make a statement on the floor of this august House regarding this urgent matter of public importance.

Shri Venod Sharma : Sir, I want to draw the attention of this august House towards a matter of urgent public importance that the Food Security Bill passed by the Parliament is fulfilment of the dream of Mahatma Gandhi and many other freedom fighters, who fought for the independence of this country Hon'ble Prime Minister and Chairperson, U.P.A. has relentlessly strived to bring this benefit to the poor to this country.

It has come to my notice that certain areas in general and Ambala City in Particular efforts have been made to deprive the poor people of this area from the

[Shri Venod Sharma]

benefit of Food Security Scheme. It is pertinent to mention that the number of priority households, which will be eligible for Food Security have been drastically reduced. The number of beneficiaries as priority house hold for Food Security is much less than the number of people under AAY and BPL scheme. It is important to note that the number of beneficiaries particularly in Ambala City are even less than 1/3rd of the comparative towns. It is alarming that at the very initial stage of the implementation of the Scheme people with the motive best knows to them are trying to deprive the deserving beneficiaries of their right. Detailed reply from Hon'ble Minister in this regard is sought action against the erring officials, who are responsible for this action, is also warranted against them. No. of priority house hold for Food Security Scheme in Ambala City are less than 30% of AAY and BPL beneficiaries whereas BPL and AAY families are 16608 and priority household under Food Security Scheme are only 3699.

Therefore, I request the Government to make a statement in this regard on the floor of the House.

वक्तव्य

राजस्व मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

राजस्व मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप) : परमश्रेष्ठ, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 (क्रमांक 7 आफ 2013) को जुलाई, 2013 को प्रख्यापित किया गया। राज्य सरकार द्वारा इसके कार्यान्वयन का शुभारंभ 20 अगस्त, 2013 से समस्त प्रदेश में किया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं :--

(क) **कवरेज (Coverage)**

अध्यादेश द्वारा लाभार्थी का वर्गीकरण दो श्रेणियों में किया गया है, नामत :--

I. अन्तोदय अन्न योजना (AAY) परिवार; एवं

II. प्राथमिकता परिवार (Priority Household)

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO) द्वारा आयोजित व्यय सर्वेक्षण के आधार पर हरियाणा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 के अन्तर्गत अन्तोदय अन्न परिवारों तथा प्राथमिकता परिवारों की कवरेज (Coverage) की जो संख्या बताई है, वह निम्न प्रकार से है :--

जनसंख्या लाख में (2011)			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 के अन्तर्गत आने वाली जनसंख्या		
ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
165.315	88.216	253.531	90.28 lac (54.61%)	36.21 Lac (41.05%)	126.49 lac (49.89%)

इससे पहले लक्षित जन वितरण प्रणाली (TPDS) के अन्तर्गत हरियाणा में 54.41 लाख लोगों को लाभ पहुंचाया जाता था। अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 लागू होने के बाद यह संख्या 126.49 लाख हो जायेगी। अत: 72.08 लाख अधिक लाभार्थियों को फायदा मिलेगा जो अपनी पात्रता अनुसार खाद्यान्न प्राप्त करेगें।

(ख) खाद्यान्न की पात्रता

श्रेणी	लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 के अन्तर्गत	लाभार्थियों की संख्या
अन्तोदय अन्न योजना (AAY) परिवार	35 किलो गेहूँ प्रति परिवार, प्रति मास 2.12 रुपये प्रति किलो की दर से	35 किलो गेहूँ प्रति परिवार, प्रति मास 2.00 रुपये प्रति किलो की दर से	2.72 लाख परिवार (11.44 लाख सदस्य)
प्राथमिकता परिवार	केन्द्रीय बी.पी.एल. (CBPL) व राज्य बी.पी.एल. (SBPL) राशन कार्डधारकों को 35 किलो गेहूँ प्रति मास, प्रति परिवार, 5.20 रुपये प्रति किलो की दर से	5 किलो गेहूँ, प्रति सदस्य, प्रति मास 2.00 रुपये प्रति किलो की दर से	**केन्द्रीय बी.पी.एल.** 4.78 परिवार (21.50 लाख सदस्य) **राज्य बी.पी.एल.** : 5.34 लाख परिवार (21.47 लाख सदस्य) **प्राथमिकता परिवार:** लगभग 27 लाख परिवार (115 लाख सदस्य)

लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गेहूँ की मासिक औसत खपत 43000 टन थी जो अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 के अन्तर्गत 67000 टन हो जायेगी।

(ग) मातृत्व एवं बाल लाभ

स्थानीय आगंनवाड़ी के माध्यम से प्रत्येक गर्भवती महिला तथा स्तनपान करवाने वाली मां, गर्भावस्था तथा बच्चे के जन्म के बाद 6 महीने तक निशुल्क भोजन तथा कम से कम 6 हजार रुपये का मातृत्व लाभ देने की हकदार होगी। 6 महीने से 6 साल की आयु वर्ग के बच्चे स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से आयु अनुसार निशुल्क भोजन प्राप्त कर सकेंगे। 6 महीने से कम आयु के बच्चों के लिये विशेष रूप से स्तनपान करवाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। स्थानीय निकायों तथा सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में आठवीं कक्षा तक के बच्चों या 6 से 14 साल के बीच की आयु के बच्चों को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निशुल्क मिड-डे-मील उपलब्ध करवाया जायेगा।

[श्री महेन्द्र प्रताप]

(घ) महिला सशक्तिकरण

महिला शक्तिकारण की भावना के अन्तर्गत, अध्यादेश द्वारा घर की जयेष्ठ महिला जिसकी आयु 18 साल से अधिक हो, को परिवार की मुखिया के रूप में अधिसूचित किया जाना है।

दाल रोटी योजना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 की धारा 32 (2) के प्रावधानों के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से दाल रोटी योजना लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना, केन्द्रीय बी.पी.एल. तथा राज्य बी.पी.एल. परिवारों को 2.5 किलोग्राम दालें प्रति मास, 20 रुपये प्रति किलो की मामूली दरों पर, रद्द पर दर्शाई गई पात्रता के अतिरिक्त, उपलब्ध करवाई जायेगी।

अतिरिक्त लाभार्थियों की पहचान के पारदर्शिता सहित मापदण्ड

महाकुल सचिव (Registrar General of India), ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा आवास व शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किये गये सामाजिक-आर्थिक-जातीय सर्वेक्षण के आधार पर प्राथमिकता परिवारों को आरम्भिक चयन हेतु चिन्हित किया गया। इस डाटा (Data) का प्रयोग करते हुये राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में 90.28 लाख (54.61 प्रतिशत) तथा शहरी क्षेत्र में 36.21 लाख (41.05 प्रतिशत) लाभार्थियों की पहचान करने के प्रयास किये गये। लाभार्थियों का वास्तविक चयन, शामिल किये जाने (inclusion) तथा छोड़े जाने (exclusion) वाले मापदण्डों पर आधारित है जो निम्न प्रकार से है : --

ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र
1. भारत सरकार की वर्तमान नीति के तहत अन्तयोदय अन्न परिवार स्वत: शामिल होंगे।	1. भारत सरकार की वर्तमान नीति के तहत अन्तयोदय अन्न परिवार स्वत: शामिल होंगे।
2. केन्द्रीय बी.पी.एल. तथा राज्य बी.पी.एल. परिवार स्वत: प्राथमिकता परिवार की श्रेणी में शामिल होंगे।	2. केन्द्रीय बी.पी.एल. तथा राज्य बी.पी.एल. परिवार स्वत: प्राथमिकता परिवार की श्रेणी में शामिल होंगे।
3. बेघर परिवार	3. सभी परिवार जो कच्चे मकान में रह रहे हैं।
4. वह परिवार जिसका मुखिया विकलांग व्यक्ति हो।	4. बेघर परिवार
5. सभी भूमिहीन कृषि मजूदर परिवार	5. वह परिवार जिसका मुखिया विकलांग व्यक्ति हो।
6. सभी किसान परिवार जिनके पास 5.0 एकड़ तक किसी भी तरह की जमीन हो।	6. सभी परिवार जिसकी मुखिया विधवा, अकेली महिला (अविवाहित/अलग/परित्यक्ता) हो

7. सभी परिवार जिसकी मुखिया विधवा, अकेली महिला (अविवाहित/अलग/परित्यक्ता) हो
8. अति संवेदनशील व्यवसायिक परिवार जिनका मुख्य आय का साधन इन व्यवसायों में से एक या अधिक हो :-

   - कृषि
   - हस्तशिल्प मजदूर
   - अंशकालिक व पूर्णकालिक घरेलू सेवा
   - कचरा उठाने वाले
   - गैर-कृषि स्वयं उद्यमी
   - भीख/दान/भीख संग्रह
   - अन्य जैसा निर्दिष्ट किया जाए

इनको छोड़कर

1. सभी आयकरदाता
2. सभी वैट असैसी (Assessee)
3. सभी सेवा कर दाता
4. सभी व्यावसायिक करदाता

7. भारत सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र व उसके बोर्डों/निगमों/उद्यमों/उपक्रमों, अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि, नगर निगमों/नगर परिषदों/नगर पालिकाओं व सुधार न्यास इत्यादि के कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारी जैसे अनुबन्धित/कार्मिक/दैनिक वेतन भोगी। व्यवसायिक रूप से कमजोर परिवार जैसे :

   - कचरा उठाने वाला
   - भिखारी
   - घरेलू कामकाजी
   - सड़क पर फेरी लगाने वाले/मोची/फेरी वाला/सड़क पर अन्य सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले
   - निर्माण मजदूर/प्लम्बर/राजमिस्त्री मजदूर सफेदी करने वाला/वैल्डर/ सुरक्षा गार्ड/कुली एवं अन्य सर पर बोझा ढोले वाले कामगार।
   - स्वीपर/सफाई कर्मचारी/माली
   - घरेलू कामगार/कारीगर/हस्तशिल्प मजदूर दर्जी
   - यातायात मजदूर, ड्राईवर/कंडक्टर/ड्राईवर व कंडक्टर के सहायक/गाड़ी खींचने वाले/रिक्शा खींचने वाले।
   - दुकान पर काम करने वाले, सहायक/छोटी जगह पर चपरासी/सहायक/डिलीवरी सहायक/परिचर/वेटर
   - इलेक्ट्रीशियन/मैकेनिक/कलपुर्जे जोड़ने वाला/रिपेयर करने वाले मजदूर
   - धोबी/चौकीदार
   - कहीं से कोई आय नहीं
   - अन्य जैसा निर्दिष्ट किया जाए

इनको छोड़कर

1. सभी आयकरदाता
2. सभी वैट असैसी (Assessee)
3. सभी सेवा कर दाता
4. सभी व्यावसायिक करदाता

[श्री महेन्द्र प्रताप]

5. कोई भी परिवार जिसके पास किसी भी प्रकार की 6 एकड़ से अधिक जमीन हो	5. कोई भी परिवार जिसके पास किसी भी प्रकार की 5 एकड़ से अधिक जमीन हो
6. चौपहिया वाहन का स्वामी	6. कोई भी सदस्य राज्य के नगर निगम व नगर परिषद् के अधीन 250 वर्ग गज या इससे अधिक स्थान (plot area) में बने घर या 1500 वर्ग फीट से अधिक अतिरिक्त स्थान (super area) पर बने फ्लैट का स्वामी।
7. कोई भी परिवार जिसका सरकार द्वारा पंजीकृत अपना उद्योग हो।	7. कोई भी परिवार वातानुकूलक (ए.सी.) या चौपहिया वाहन का स्वामी
8. भारत सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र व उसके बोर्डों/निगमों/उद्यमों/उपक्रमों/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि, नगर निगमों/नगर परिषदों/नगर पालिकाओं व सुधार न्यास इत्यादि के कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारी जैसे अनुबन्धित/कार्मिक/दैनिक वेतन भोगी।	8. भारत सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र व उसके बोर्डों/निगमों/उद्यमों उपक्रमों, अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि, नगर निगमों/नगर परिषदों/नगर पालिकाओं व सुधार न्यास इत्यादि के कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारी जैसे अनुबन्धित/कार्मिक/दैनिक वेतन भोगी।
9. कोई भी घर जिसकी वार्षिक आय सभी मदों से 2 लाख रुपये से अधिक न हो।	9. कोई भी घर जिसकी वार्षिक आय सभी मदों से 2 लाख रुपये से अधिक न हो।
10. कोई भी परिवार जो कि सरकार द्वारा निर्धारित किये जाने वाले किसी अन्य मापदण्ड के अनुसार पात्र न हो।	10. कोई भी परिवार जो कि सरकार द्वारा निर्धारित किये जाने वाले किसी अन्य मापदण्ड के अनुसार पात्र न हो।

शामिल किये जाने (inclusion) तथा छोड़े जाने (exclusion) से सम्बन्धी मापदण्ड अखबारों में प्रकाशित किये गये तथा विभाग की वैबसाईट पर भी उपलब्ध हैं। एस.ई.सी.सी. (SECC) सर्वेक्षण पर आधारित प्राथमिकता परिवारों की अन्तरिम (Provisional) सूचियां उपायुक्तों को सौंप दी गई हैं। सूचियों को गांवों तथा वार्डों में प्रदर्शित किया गया तथा उन पर दावे तथा आपत्तियों को आमंत्रित किया गया है। उपायुक्तों द्वारा मनोनित निर्दिष्ट अधिकारी (Designated Officer) सूचियों को अन्तिम रूप दे रहे हैं। विर्निष्ट अधिकारियों के निर्णय से असंतुष्ट होने पर संबंधित उपायुक्त, जिन्हें अध्यादेश के अनुसार जिला शिकायत निवारण अधिकारी (DGRO) मनोनित किया हुआ है, को अपील की जा सकती है।

कार्यान्वयन एजेंसी

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 का कार्यान्वयन खाद्य एवं पूर्ति विभाग, हरियाणा द्वारा किया जा रहा है। हरियाणा राज्य सहकारी थोक उपभोक्ता प्रसंग लिमिटेड (CONFED)

वितरण कार्य में थोक विक्रेता का कार्य करती है। इस वितरण प्रणाली में 9174 (ग्रामीण क्षेत्र: 6520+शहरी क्षेत्र: 2654) उचित मूल्य की दुकानें (FPS) सम्मिलित हैं जिन्हें साधारण भाषा में डिपूधारक कहा जाता है। गर्भवती महिला, स्तनपान करवाने वाली मां तथा 6 साल से कम आयु के बच्चों को पोषण से संबंधित सुविधाएं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ियों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जायेगी। इसी प्रकार आठवीं कक्षा तक के बच्चों या 6 से 14 साल की बीच की आयु के बच्चों को पोषाहार स्कूल शिक्षा विभाग मिड-डे-मील योजना के तहत उपलब्ध करवायेगा।

खाद्य सुरक्षा भत्ता

लाभार्थी को, पात्रता अनुसार खाद्यान्न या भोजन न मिलने की स्थिति में, यह अधिकार होगा कि वह राज्य सरकार से, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित समय व तरीके से खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करे।

खाद्यान्न पात्रता की ऐवज में नकद भुगतान

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 की धारा 12 में खाद्यान्न पात्रता की ऐवज में लाभार्थियों को नकद भुगतान एवं फूड कूपन इत्यादि देने की योजनाओं का प्रावधान है। इस संदर्भ में हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि लाभार्थियों को खाना तथा खाद्यान्न ही वितरित किया जाये, क्योंकि गरीब व्यक्ति नकदी को अन्य चीजों पर खर्च कर सकता है तथा उस स्थिति में वह खाद्यान्न से वंचित रह सकता है।

नियंत्रण तथा संतुलन की प्रणाली

वितरण के पूर्ण रिकार्ड को सार्वजनिक किया जायेगा जिसका निरीक्षण जनता कर सकेगी। दावों एवं आपत्तियों (claims & objections) के समाधान तथा पात्र लाभार्थियों से घोषणा-पत्र (undertaking) लेने के बाद लाभार्थियों की अन्तिम सूची (गांव/वार्ड वाइज) को विभाग तथा जिला प्रशासन की वैबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा। अंतिम सूचियों की प्रतियां जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक तथा उपायुक्तों के पास भी उपलब्ध होगी। केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत प्राधिकारी सामाजिक लेखा (Social audit) के दृष्टिगत से उचित मूल्य की दुकानों का समय-समय पर निरीक्षण कर सकता है। लक्षित जन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये राशन डिपो, खण्ड, जिला तथा राज्य स्तर पर निगरानी कमेटियों का गठन किया गया है जिनके कार्य निम्न प्रकार से हैं :--

क. इस अध्यादेश के अधीन सभी योजनाओं के कार्यान्वयन का नियमित रूप से पर्यवेक्षण (supervision) करना;

ख. इस अध्यादेश के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन के बारे में जिला शिकायत निवारण अधिकारी (DGRO) को लिखित में सूचित करना; और

ग. उसके द्वारा पाये गये किसी अनाचार या निधियों के दुरुपयोग के बारे में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को, लिखित में, सूचित करना।

[श्री महेन्द्र प्रताप]

ये समितियां नियमित रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 के तहत सभी योजनाओं के कार्यान्वयन पर निगरानी रखते हुये नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगी ताकि कोई डाइवर्जन (diversion) न हो और लाभार्थियों को उनका हक मिल सके।

इस सम्बन्ध में गठित समितियां इस प्रकार से है :-

गांव/वार्ड स्तर

ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र
1. सरपंच	1. नगर पार्षद
2. अनुसूचित जाति का पंच (यदि सरपंच अनुसूचित जाति से हो तो उसके स्थान पर दूसरी जाति का पंच)	2. भूतपूर्व नगर पार्षद
3. गांव का पटवारी	3. उप मंडल अधिकारी द्वारा मनोनित स्थानीय महिला प्रतिनिधि

उपरोक्त समिति डिपुधारकों के माध्यम से वितरित की जा रही आवश्यक वस्तुओं के मासिक आगमन व वितरण को प्रमाणित करेंगी।

ब्लॉक स्तर

1.	ब्लॉक समिति के निर्वाचित प्रधान	अध्यक्ष
2.	दो पुरूष राशन कार्डधारक जिनमें से एक ए.पी.एल. व एक बी.पी.एल. (जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक द्वारा मनोनीत) होंगे।	सदस्य
3.	दो महिला राशन कार्डधारक जिनमें से एक ए.पी.एल. व एक बी.पी.एल. (जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक द्वारा मनोनीत) होंगी।	सदस्य
4.	दो सामाजिक कार्यकर्ता (एक महिला व एक पुरुष) (जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक द्वारा मनोनीत)	सदस्य
5.	सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी	सदस्य सचिव
6.	जिला विकास एवं खण्ड अधिकारी	विशेष आमंत्रित सदस्य

ब्लॉक स्तरीय समिति ब्लॉक की उचित मूल्य की दुकानों को कवर करेगी तथा इनकी कार्यप्रणाली तथा अन्य संबंधित समस्याओं के बारे में जिला स्तरीय समिति को रिपोर्ट करेगी।

जिला स्तर

1.	उपायुक्त	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त उपायुक्त	सदस्य
3.	दो सरपंच (उपायुक्त द्वारा मनोनीत)	सदस्य
4.	विभिन्न ब्लॉकों के दो नगर पार्षद (उपायुक्त द्वारा मनोनीत)	सदस्य
5.	विभिन्न प्रत्येक ब्लॉक/शहर से सात राशन कार्डधारक, कम से कम 3 महिला राशन कार्डधारक (जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक द्वारा मनोनीत)	सदस्य
6.	उपभोक्ता मामलों के लिये कार्यरत एन.जी.ओ. (जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक द्वारा मनोनीत)	सदस्य
7.	महिला एवं पुरूष सामाजिक कार्यकर्ता (एक-एक) (जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक द्वारा मनोनीत)	सदस्य
8.	जिला प्रबन्धक, कॉन्फैड	सदस्य
9.	जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक	सदस्य सचिव

अध्यक्ष को, जहां तक सम्भव हो, अपने स्तर पर समस्याओं के निवारण/हल के लिये अधिकृत किया गया है और यदि यह संभव नहीं हो तो वह अपनी सिफारिश सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय समिति कम-निदेशक खाद्य एवं पूर्ति, हरियाणा को भेजेगा। उपरोक्त समिति डिपोधारकों के माध्यम से वितरित की जा रही आवश्यक वस्तुओं के मासिक आगमन व वितरण को प्रमाणित करेंगी।

राज्य स्तरीय समिति

1.	खाद्य एवं पूर्ति मंत्री, हरियाणा	अध्यक्ष
2.	प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, खाद्य एवं पूर्ति विभाग	सदस्य
3.	प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
4.	प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
5.	प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, स्थानीय निकाय विभाग	सदस्य
6.	प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग	सदस्य
7.	महानिदेशक, खाद्य एवं पूर्ति विभाग, हरियाणा	सदस्य सचिव

[श्री महेन्द्र प्रताप]

शिकायत निवारण तंत्र

लाभार्थी राज्य उपभोक्ता सहायता केन्द्र और सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहायता डैस्क, जिनके टोल फ्री नं. क्रमश: 1800-180-2087 और 1800-102-3405 हैं, के माध्यम से निवारण के लिये किसी भी शिकायत को पंजीकृत कर सकते हैं। उपायुक्तों को उनके क्षेत्राधिकार में खाद्यान्न व भोजन के वितरण तथा अध्यादेश को लागू करने के उद्देश्य से जिला शिकायत निवारण अधिकारी (DGRO) नियुक्त किया गया है ताकि वे पीड़ित व्यक्तियों की शिकायतों का शीघ्र और प्रभावी निवारण कर सकें। राज्य स्तर पर इस अध्यादेश के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिये राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय सदस्यों ने विशेष तौर से अध्यादेश के स्वरूप और उसके विषय में कुछ जानकारियों का जिक्र किया है। इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सम्भवत: विश्व में अपने किस्म की सबसे बड़ी प्रणाली है। सन् 1940 के दशक में यह प्रणाली कुछ शहरों तक ही सीमित थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इसे सार्वजनिक रूप दिया गया तथा इसके फायदे समस्त जनसंख्या तक पहुंचाये गये। सन् 1990 के दशक में इसका ध्यान आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर अधिक केन्द्रित किया गया। इस प्रकार यह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली बन गई। महात्मा गांधी के समानता के सपने को साकार करने के लिये तीन बुनियादी जरूरतें, रोटी, कपड़ा और मकान देश के हर नागरिक को निश्चित तौर पर उपलब्ध हों, सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लागू किया गया। चूँकि भोजन का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति चाहे वह देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करता हो, कोई काम करने योग्य हो अथवा न हो, उसे खाने के लिये अनाज की आपूर्ति हर हालत में हो, इस आशय के दृष्टिगत यू.पी.ए. अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा यह पहल की गई कि देश में नैशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया जाये, जिसके अन्तर्गत सभी जरूरतमंद परिवारों को विशेषकर गरीब लोगों को खाद्य सामग्री की समय-समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को 5.7.2013 को माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा अधिसूचित किया गया था। **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)** वैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट से मेरे ख्याल से हमारी बहन श्रीमती किरण चौधरी जी बहुत ज्यादा खुश हैं। प्राथमिकता के आधार पर तुरंत 20 अगस्त, 2013 को पहली बार दिल्ली और हरियाणा द्वारा इस स्कीम को पूरे प्रदेश में लागू किया गया। इस योजना के सीलियन्ट फ्यूचर के विषय में पूछा गया है।

इस योजना को मुख्यत: दो श्रेणियों में बांटा गया है।

एक श्रेणी तो वह जिसे ए.ए.वाई. फैमिलीज (अन्त्योदय अन्न योजना)

दूसरी श्रेणी प्रायोरिटी हाउस होल्ड (प्राथमिकता के परिवार)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत देश की लगभग 67% आबादी को जिसमें 25% रूरल एरिया और 50% अर्बन एरिया में अति सस्ती दरों पर खाद्यान्न मुहैया करवाने का लक्ष्य है। योजना के अन्तर्गत चावल 3 रुपये किलो, गेहूं 2 रुपये किलो तथा अन्य मोटे अनाज 1 रुपये प्रतिकिलो की दर पर उपलब्ध करवाए जायेंगे।

श्री आनन्द सिंह दांगी : उपाध्यक्ष महोदय, मोटे अनाज में क्या-क्या आता है?

श्री महेंद्र प्रताप : उपाध्यक्ष महोदय, मोटे अनाज की वैसे तो आवश्यकता नहीं है। मोटे अनाज में जौ भी है, बाजरा भी है। मोटा अनाज आवश्यकता के अनुसार रखा जाता है। आर्थिक और अन्न सर्वेक्षणों के अनुसार जो डिमांड होगी वह उसमें शामिल किया जा सकता है। मोटे अनाज में तो और भी बहुत कुछ आते हैं जैसे ज्वार, बाजरा, गवार आदि हैं। आर्थिक और अन्न सर्वेक्षणों के आधार पर हरियाणा प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत लगभग आधी आबादी हरियाणा में जो भी क्राईटेरिया फिक्स किया गया है उस क्राईटेरिया के आधार पर (49.89%) अर्थात तकरीबन 50% को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ इसमें ये भी प्रोविजन दिया गया है कि प्रत्येक गर्भवती महिला तथा स्तनपान कराने वाली माता को child birth के 6 मास तक पौष्टिक आहार आंगनवाड़ियों के माध्यम से दिया जायेगा तथा 6000 रुपये maternity benefit के तौर पर लाभ दिया जायेगा। 6 मास से 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनवाड़ियों के माध्यम से भोजन उपलब्ध करवाया जायेगा। कक्षा 8 तक के बच्चों तथा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा विभाग द्वारा mid day meal scheme के अंतर्गत स्कूलों में भोजन उपलब्ध करवाया जायेगा, जो आज भी दिया जा रहा है लेकिन इस स्कीम से उसको जोड़ा गया है। योजना के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु परिवार के हैड के रूप में परिवार की सबसे बड़ी महिला जो 18 वर्ष से अधिक आयु की हो, उसे मुखिया घोषित किया जायेगा अर्थात पुरुष प्रधान समाज में समानता बराबरी के सिद्धांत का आगाज व बीजारोपण करने का प्रयास किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कवर किये जाने वाले परिवारों तथा व्यक्तियों की सूची में पूर्ण पारदर्शिता बनाये जाने की दृष्टि से लाभार्थियों की पहचान हेतु भारत सरकार द्वारा किये गये सामाजिक, आर्थिक व जातीय सर्वेक्षण के आधार पर लाभार्थियों की पहचान की जायेगी तथा इसके लिए क्राइटेरिया निश्चित करने हेतु दो तरह की प्रणाली बनाई गई है जिसके अंतर्गत एक ओर जहां योजना में शामिल करने के लिए मापदंड निर्धारित किये गये हैं वहीं दूसरी तरफ योजना में न शामिल किए जाने के लिए मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं। अत: लाभार्थियों की पहचान हेतु पैमाना बिल्कुल पारदर्शी है तथा यह पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना का लाभ उचित लाभार्थियों को निश्चित रूप से मिले। इसका मेन मकसद यह भी है कि कोई भी अयोग्य व्यक्ति इसका लाभ गलत तरीके से न ले सके। जिन्हें योजना में शामिल किया जाना है उसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जैसे भारत सरकार की वर्तमान स्कीम के निर्धारित मापदंडों के अंतर्गत आने वाले सभी अन्त्योदय अन्न योजना तथा बी.पी.एल. तथा स्टेट बी.पी.एल. परिवार, सभी परिवार जिनके पास घर नहीं हैं, ऐसे परिवार जिनका मुखिया काम करने के योग्य नहीं है, ऐसे परिवार जिनकी मुखिया कोई विधवा/अविवाहित अथवा तलाकशुदा महिला हो, भूमि रहित कृषि में लगे लोग, सभी प्रकार के दस्तकार, जिन परिवारों के पास 5 एकड़ तक कृषि भूमि हो, भिखारी कूड़ा उठाने वाले, घरों में काम करने वाले लोग, सफाई करने वाले, रिक्शा वाले, यातायात मजदूर यानी ड्राईवर-कंडक्टर्ज तथा उनके सहायक, प्लंबर, मेसन, पेन्टर, वैल्डर, माली, दर्जी, नाई, धोबी, दुकानों पर कार्यरत वर्कर व मैकैनिक इत्यादि को शामिल किया गया है। सभी आयकर दाता, सभी ऐसे व्यक्ति जो वैट एक्ट 2003 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं अर्थात दुकानदार तथा अन्य कारोबारी जो टैक्स विभाग के साथ वैट अदा करते हैं, ऐसे परिवार जिनके पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो, ऐसे परिवार जिनके पास 4 पहिया वाहन हों, सभी प्रकार के सरकारी अधिकारी तथा कर्मचारी इसमें सभी केन्द्र सरकार के राज्य सरकारों के अथवा राज्य सरकारों के

[श्री महेन्द्र प्रताप]

बोर्ड कारपोरेशंज अथवा कमेटियों इत्यादि के कर्मचारियों को इस स्कीम से बाहर रखा जायेगा। ऐसे परिवार जिनकी सालाना आय 2 लाख रुपये से अधिक हो एवं अन्य कोई भी व्यक्तियों की श्रेणी जिसको सरकार इस योजना के दायरे से बाहर करना उचित समझे। नेशनल फूड सिक्योरिटी ऑर्डिनैंस के अन्तर्गत हरियाणा राज्य में अंत्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत आने वाले सभी परिवारों को जिनकी संख्या प्रदेश में 2.72 लाख परिवार हैं जिनमें 11 लाख 44 हजार के करीब मैंबर्ज हैं, वे आएंगे। उनको 35 किलोग्राम गेहूं 2 रुपये प्रति किलो की दर से प्रति मास दिया जायेगा। इन परिवारों को पहले भी 35 किलो गेहूं प्रति मास 2 रुपये 12 पैसे प्रति किलो की दर से दिया जाता था। इसमें दूसरी श्रेणी प्राथमिकी परिवारों की जिसमें पहले से लाभ प्राप्त कर रहे केन्द्रीय बी.पी.एल. एवं राज्य बी.पी.एल.शामिल हैं। हरियाणा प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत लगभग आधी आबादी 49.89 प्रतिशत को इस योजना के दायरे में लाया जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 2 करोड़ 50 लाख से 2 करोड़ 53 लाख के लगभग हो गई है जिसमें से कुल 126.49 लाख लोगों को इस योजना के दायरे में लाया जाएगा। इन सभी हाउसहोल्ड को 5 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य प्रतिमास की दर से दिया जाएगा। पहले यह गेहूं राज्य में केन्द्रीय बी. पी. एल. तथा राज्य बी.पी.एल. जिनमें 4.78 लाख परिवारों जमा 5.34 लाख परिवारों को जो कि टोटल मिलाकर 10-12 लाख परिवार बनते हैं को पांच रुपये बीस पैसे प्रति किलो की दर पर दिया जाता था, अब इसमें 27 लाख परिवारों का इजाफा हो गया है जिन्हें 2 रुपये प्रति किलो प्रति व्यक्ति की दर से दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें दाल देने की योजना को भी जोड़ा गया है इसके तहत अन्त्योदय अन्न योजना में प्रत्येक बी.पी.एल. परिवार को ढाई किलो प्रति मास बीस रुपये प्रति किलो की दर से दाल दी जाएगी जिसके लिए केन्द्र सरकार की तरफ से 1126.80 करोड़ रुपये की सब्सिडी व राज्य सरकार की तरफ से 162 करोड़ रुपये की सब्सिडी का खर्च वहन किया जाएगा। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके लिए कुछ दिनों में अध्यादेश बनने जा रहा है जिसका कि शुभारंभ किया जा चुका है। यह एक राष्ट्रीय कल्याणकारी योजना है जो कि विशेष तौर पर गरीब वर्ग के लिए टारगेटेड है। नयी योजना में यह पात्र व्यक्तियों का अधिकार होगा और कहीं भी देश में यदि अनाज की आपूर्ति उन पात्र व्यक्तियों को नहीं होगी तो उनको सरकार सुरक्षा भत्ता देगी। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी ऑर्डिनैंस, 2013 को हरियाणा प्रदेश खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है इसके लिए कॉन्फेड होलसेल नॉमिनी है जिसके द्वारा डिपुओं पर अनाज सप्लाई का कार्य किया जाता है। राज्य में 9174 उचित मूल्य की दुकानों जिनमें 6520 ग्रामीण तथा 2654 शहरी इलाकों में स्थापित हैं, के माध्यम से वितरण का कार्य किया जाता है। जैसा मैंने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जिन पात्रों को किन्हीं परिस्थितियों में अनाज नहीं मिल पाएगा तो वह सरकार से उपर्युक्त भत्ता लेने का पात्र होगा लेकिन यहां मैं इसके बारे में थोड़ा सा यह भी निवेदन कर दूं कि इन आदेशों की आवश्यकता वहां है जहां कि खाद्य की आपूर्ति में दिक्कत पैदा हो। हरियाणा राज्य में वह स्थिति नहीं है इसलिए हरियाणा प्रदेश में इसके लिए यह प्रोविजन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

14.00 बजे

योजना के उचित संचालन हेतु जो व्यवस्था भी बनाई गई है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी प्रकार की रुकावट वस्तुओं के वितरण में न हो। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर कमेटी का गठन किया गया है, जो योजना के उचित क्रियान्वयन हेतु पूरी तरह से पारदर्शी बनाये रखने में कारगर सिद्ध होंगी। शहरों में संबंधित एरिया में पार्षद की अध्यक्षता में,

गांवों में सरपंच की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई हैं। शहरों में ब्लॉक स्तर पर चयनित अध्यक्ष इस कमेटी का अध्यक्ष होगा। कमेटियों पर डिपो होल्डर, लाभार्थी नुमायंदों को भी शामिल किया गया है ताकि पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। इसी प्रकार से सभी जिलों में जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है जिसमें ए.डी.सी., दो सरपंच, पार्षद और डिपो होल्डर ये लोग उस कमेटी के सदस्य होंगे। इसके साथ-साथ राज्य स्तरीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। इस योजना में लाभार्थियों को किसी प्रकार की समस्या के लिए स्टेट लेवल पर हैल्पलाइन टोल फ्री नम्बर 18001802087 और 18001023405 पर किसी भी समय कोई भी पब्लिक की शिकायत की जा सकती है। जिला उपायुक्तों को डिस्ट्रिक्ट ग्रीवैन्सिज रिड्रैसल आफिसर मनोनीत किया गया है। मुख्य तौर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिप्टी कमीशनर्ज को इसमें शामिल किया गया है ताकि किसी प्रकार की समस्या का तुरन्त निपटारा किया जा सके। इसके अतिरिक्त राज्य में नेशनल फूड सिक्योरिटी आर्डिनैंस 2013 के उचित कार्यान्वयन तथा मॉनीटरिंग के लिए स्टेट फूड कमीशन भी बनाया गया है। इस प्रकार से यह योजना यह अध्यादेश गरीब और जरूरतमंद परिवारों के इतिहास में अनेक योजनाओं के साथ साथ विशेष स्वर्ण अध्याय की शुरूआत होगा जो एक मील का पत्थर बनकर हमेशा कायम रहेगा।

श्री भारत भूषण बतरा : उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने रिप्लाई के अन्दर जो स्टेटमैंट दी है। मैं अर्बन एरिया की बात करना चाहता हूं। अर्बन एरिया में पहले आपने इतनी कैटेगरीज डिस्क्राइब की हैं। इन कैटेगरीज को देने का एक बेसिक डॉक्यूमैंट कौन सा होगा, क्या राशन कार्ड होगा या कुछ और होगा ? दूसरी बात यह है कि आपस में यह इन्ट्रा कान्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ तो आप यह कह रहे हैं कि जिसकी आमदनी दो लाख से कम है वह इसका बैनीफिट नहीं ले सकता। दूसरी तरफ आप यह कह रहे हैं कि सारी कैटेगरीज में कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो दो लाख रुपये से कम कमाते हैं जो म्युनिसिपल कमेटी में कान्ट्रैक्ट पर काम करते हैं जैसे स्वीपर हैं जो महीने के 4400 रुपये कमाते हैं अगर पूरी साल का हिसाब लगाया जाए तो उनकी आमदनी दो लाख रुपये सालाना से कम ही बैठती है। उसको आप कैसे इस कैटेगरी में शामिल करेंगे। आपने इसमें लिख दिया कि शॉप वर्कर, असिस्टैंट, पियून इन स्माल इस्टैब्लिशमैंट but who is peon in bigger establishments जो महीने में 6000 से 7000 रुपये महीना कमाते हैं तो उनकी भी साल की दो लाख रूपये की आमदनी नहीं होती है। इसलिए यह इन्ट्रा कॉन्ट्राडिक्टरी है। मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप इसमें क्वालिफाई कैटेगरी डिफाइन करें कि जो लोग दो लाख से कम कमाते हैं उनको इसमें कैसे क्वालीफाई करेंगे। इस कॉन्ट्राडिक्टरी को आप क्लीयर करें। एक जो आपने सुपरविजन की कमेटीज बनाई हैं these Committees are not sufficient. आपने डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर एक कमेटी बना दी। कारपोरेशन में एक वार्ड के अंदर 25-25 हजार की पौपुलेशन है इसलिए वार्ड की कमेटीज होनी चाहिएं। वार्ड में फेयरशापस पर सुपरविजन करने के लिए मैक्सीमम लेडीज मैम्बर्ज अप्वांयट की जाएं और जो बैनीफिशरीज हैं उनके नाम भी कमेटी में एड किए जाएं। मेरे कहने का मतलब कमेटी का स्कोप बड़ा होना चाहिए क्योंकि आप राशनहोल्डर्ज को सब कुछ दे रहे हैं जो ठीक नहीं है। उनकी वर्किंग को डी.एफ.एस.ओ. लैवल का अधिकारी चैक करेगा और कोई नहीं करेगा या आपने एक म्युनिसिपल काउंसिलर या एक सरपंच बना दिया। सरपंच और म्युनिसिपल काउंसिलर से बात नहीं बनेगी।

श्री महेन्द्र प्रताप : उपाध्यक्ष महोदय और मैम्बर्ज को भी उन कमेटियों में शामिल किया गया है।

श्री भारत भूषण बतरा : मंत्री जी, मैंने पढ़ लिया है और मैं पढ़कर ही बोल रहा हूं। मैम्बर्ज को तो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर पर शामिल किया गया है। डिस्ट्रिक्ट लैवल की कमेटी में आपने मैम्बर्ज को शामिल किया हुआ है। वार्ड में आपने एक काउंसिलर को रख दिया और गांव में एक सरपंच को रख दिया है।

श्री महेन्द्र प्रताप : उपाध्यक्ष महोदय, उसमें अकेला सरपंच नहीं है और भी मैम्बर्ज हैं।

श्री भारत भूषण बतरा : उपाध्यक्ष महोदय, जो वार्ड या विलेज में कमेटियां बनाई गई हैं उनमें अर्बन में म्युनिसिपल काउंसिलर और एक्स म्युनिसिपल काउंसिलर और फिर female member of the locality nominated by SDM को रखा गया है जबकि गांव में सरपंच और उसके बाद अनुसूचित जाति का पंच और गांव का पटवारी रखा गया है। ब्लॉक लैवल पर ब्लाक समिति का इलैक्टिड हैड, दो मेल राशन कार्ड होल्डर्ज जिनमें से एक ए.पी.एल. और एक. बी.पी.एल. उसके बाद दो फीमेल राशन कार्ड होल्डर्ज जिनमें से एक ए.पी.एल. और एक बी.पी.एल. आदि रखे गए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक ब्लॉक के अंदर 36 गांव होते हैं। किसी में 50 गांव भी होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लैवल की कमेटी में डिप्टी कमिश्नर चेयरमैन हैं। टोटल मिलाकर 10 मैम्बर बनाए गए हैं। There should be some mechanism. मंत्री जी, सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हमारी यू.पी.ए. प्रैजीडैंट ने इस फूड सिक्योरिटी बिल को बनाया और इस बिल लाने के पीछे उनका एम बहुत अच्छा है। अगर इसको व्यवस्थित रूप में हमने लागू नहीं किया तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। पी.डी.एस. सिस्टम की मैं खामियां नहीं बताना चाहता। उसी पी.डी.एस. सिस्टम की तरह यह बिल भी हमको बैक फायर करेगा और हमको इसका फायदा नहीं होगा।

श्री महेन्द्र प्रताप : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कुछ प्वांयट उठाए हैं सबसे पहले तो मैं इनको कमेटीज वाली बात क्लीयर कर दूं। गांव में जहां-जहां डिपोज हैं वहां इसके बारे में यहां लिखा है कि सरपंच इसका अध्यक्ष होगा। इन कमेटियों में डिपो होल्डर्ज और लाभार्थियों के नुमाइंदों को भी शामिल किया गया है। यदि आप देखेंगें तो आपको पता चलेगा कि यह चीज इसमें लिखी हुई है। (विघ्न) धपले की बीमारी है उस बारे में भी मैं बताउंगा लेकिन अगर इस मामले में हम और स्टेटों की हरियाणा से तुलना करके देखें तो हरियाणा तो फिर भी बहुत नीचे है। इन कमेटियों में डिपो होल्डर्ज और लाभार्थियों को भी इसमें मैम्बर रखा गया है। बतरा जी, इसी प्रकार से ब्लॉक में महिला मैम्बर होने के बारे में आप जो सुझाव दे रहे थे उस बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें महिला मैम्बर भी रखी जा सकती है, यह जरूरी नहीं कि इसमें जैंट्स मैम्बर ही रखा जाएगा।

श्री भारत भूषण बतरा : मंत्री जी, मैं आपकी बात को झुठला नहीं रहा हूं। 50 गांव की ब्लॉक लैवल पर कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। जहां-जहां पर डिपो का एरिया बनता है उस कमेटी को स्ट्रैंथन करो।

श्री महेन्द्र प्रताप : ब्लाक लैवल की कमेटियां तो किसी सम्बन्धित जांच या देखभाल के लिए बनाई गई हैं लेकिन बाकी जहां-जहां डिपो हैं चाहे वे वार्डों में हैं शहरों में हैं या गांवों में हैं वहां ये

कमेटियां बनाई गई हैं। बात एक सिस्टम की है। गांव में सरपंच आज भी उस कमेटी का अध्यक्ष है और अगर सरपंच चाहे कि ईमानदारी से डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो तो उसके गो ओब्जैक्शन के बिना राशन नहीं दिया जा सकता।

श्री भारत भूषण बत्तरा : उपाध्यक्ष महोदय, अगर सरपंच और डिपो होल्डर्ज ही सब कुछ करेंगे फिर तो सारा काम ठीक तरीके से नहीं चल पाएगा। (विघ्न)

श्री महेन्द्र प्रताप : यह सवाल आया है कि एक एक व्यक्ति के पास अनेक डिपोज हैं। यह बात सही है इसमें कोई दो राय नहीं है। डिपो होल्डर्ज के बारे में मैं बाद में जवाब दूंगा पहले मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। इन्होंने जिक्र किया है कि कंट्रैक्चुअल जितने भी इम्प्लौयीज हैं जिनकी दो लाख से कम आमदनी हैं वे भी इसके पात्र होंगें।

श्री भारत भूषण बत्तरा : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरे को कोई एतराज नहीं है लेकिन जब अधिकारी इसकी इन्टरप्रिटेशन करेंगे तो वे टैक्नीकली बेस पर एप्लीकेशन रिजैक्ट करेंगे। यह पहले का भी एक्सपीरियैंस है और बी.पी.एल.का भी आपने देखा हुआ है कि किस तरह से सर्वे हुआ था। बी.पी.एल. बैनीफीसरी तो कुछ करता नहीं है जिस अधिकारी ने इन्क्वायरी करनी थी वह तो उसने कर दी लेकिन जो बैनीफिशरी है उसके खिलाफ पर्चा दर्ज हो जाता है, लेकिन जिन अधिकारियों ने उसकी रिपोर्ट दी उनका कुछ किया नहीं जाता है।

श्री महेन्द्र प्रताप : उपाध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी योजना जो सारे प्रदेश में तकरीबन 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे तो किसी भी योजना में कहीं न कहीं खामियां आनी स्वाभाविक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसकी इन्टरप्रिटेशन बड़ी सरल है कि ए.ए.वाई. के जितने भी कार्ड होल्डर्ज हैं, स्टेट बी.पी.एल. और सैंटर बी.पी.एल. के जितने भी कार्ड होल्डर्ज हैं वे इसमें शामिल हैं। दूसरे अदर प्रायोरिटीज हाउस होल्ड जो इसमें शामिल हो रहे हैं उनका सर्वे भी हमने सीधा सा बनाया है उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया है। उसमें यह है कि भारत सरकार का एक सर्वे हुआ था जिसमें सामाजिक, जाति और आर्थिक आधार पर सर्वे किया गया था। मैं समझता हूं वह सर्वे निष्पक्ष रहा होगा। वह सर्वे निष्पक्ष इसलिए रहा है क्योंकि उसमें न तो कहीं डिपू होल्डर्ज शामिल थे और न किसी व्यक्ति विशेष की इन्टरफेयरैंस थी। इसमें ऐसा जरूर हो सकता है कि कोई व्यक्ति सर्वे के वक्त न मिला हो। (विघ्न) बत्तरा जी पहले मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए।

श्री भारत भूषण बत्तरा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझैशन यही है और ज्यादातर मैंबर साहिबान भी यही चाहते हैं कि एक डिपू होल्डर के ऊपर पांच आदमियों की कमेटी इंसटैंट बने। जिसके अंदर एक चाहे विभाग का इन्स्पैक्टर हो, बाकी महिलाएं उसमें ज्यादा हों, कार्ड होल्डर भी मैंबर हों और बिना कार्ड होल्डर जो समाज के सोशल वर्कर हैं उनको भी मैंबर बनाया जाये। हरेक डिपो में पांच आदमियों की इंसटैंट कमेटी बननी चाहिए।

श्री महेन्द्र प्रताप : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय साथी का सुझाव नोट कर लिया है ताकि इसमें कोई कमी न रह जाये। इसके अतिरिक्त डिपोज के विषय में जो जिक्र आया उसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ ऐसे डिपो होल्डर्ज हैं जो साथ में दूसरा भी काम करते हैं। अधिकतर ऐसे हैं जो डिपो पर ही अपना गुजारा करते हैं। अगर सही मायने में देखा जाये तो डिपो होल्डर्ज को अब

[श्री महेन्द्र प्रताप]

तक के लिहाज से जो भी उनको सामान मिलता है उस पर महीने का 1200 से 1500 रुपये बचता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको भी ध्यान होगा कि पिछले सैशन में यह मामला भाई सम्पत सिंह जी ने शायद उठाया था और 1991 में भी शुरूआत की थी डिपो होल्डर्ज का मार्जन बढ़ाने के लिए कि जब तक हम डिपो होल्डर का गुजारे लायक मुनाफा प्रदान नहीं करेंगे तब तक उनसे ईमानदारी की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं? पिछले सैशन में मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि इस विषय पर विचार करेंगे और उसके मुताबिक फैसला करके यह डिसीजन ले लिया गया है कि आज डिपो होल्डर को जो एवरेज हम लगाते हैं उसके मुताबिक 4000 रुपये महीने की बचत होती है फिर भी मैं समझता हूं कि यह भी कम है। हम चाहते हैं कि कम से कम उनके गुजारे के लिए ताकि वे ईमानदारी बरतें . . .

आवाजें : मंत्री जी आपका ही विभाग है, आप इसको और ज्यादा बढ़ा दीजिए।

श्री महेन्द्र प्रताप : इसमें कई चीजें भारत सरकार द्वारा फिक्स की जाती हैं। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास होगा कि डिपो होल्डर्ज को जितना ज्यादा से ज्यादा और जायज हो सके उतना मार्जन इनको दिया जाये ताकि वे ईमानदारी बरतें और खाद्यान्न की चीजें उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जा सकें।

श्री विनोद शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक पब्लिक इम्पोर्टेंस का नोटिस दिया है जिसका माननीय मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं। इससे पहले मैं इनके ध्यान में थोड़े से आंकड़ें लाना चाहता हूं। फूड सिक्योरिटी बिल के तहत प्रॉयरिटी हाऊसहोल्ड की टर्मिनोलौजी है जिसके जरिये वहां के लोगों का चयन किया जायेगा यानी जिसके पास प्रॉयरिटी हाऊसहोल्ड का कार्ड होगा उसको ही फूड सिक्योरिटी बिल के तहत अनाज दिया जायेगा। गांवों और शहरों में इसका अलग-अलग क्राइटेरिया रखा गया है जिसके तहत अलग-अलग तरह से उनके कार्ड बनाये जायेंगे लेकिन मंत्री जी की सबमिशन और एडमिशन से एक बात पक्की है कि जितने लोग बी.पी.एल. के अंतर्गत आते हैं अर्थात जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवार हैं और जो ए.ए.वाई. के परिवार हैं वे ऑटोमैटिकली इस स्कीम के तहत आ जायेंगे। इसके अलावा जो क्राइटेरिया बना है उसके तहत जो लोग आयेंगे वे इन परिवारों के साथ एड हो जायेंगे यानी अगर 1000 बी.पी.एल. के परिवार हैं और 500 परिवार ए.ए.वाई. के हैं तो 1500 तो एश्योर्ड हैं और जो दूसरे 1000 ऐड होंगे तो इस प्रकार से ये कुल मिलाकर 2500 हो जायेंगे। ये इनकी अपनी स्कीम है। मंत्री जी भी इस बात पर मेरे साथ सहमत होंगे। इस मामले में जो मुझे डिस्टरबैंस हुई है मैं उसके आंकड़ें इनको बताना चाहता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वे जानबूझकर किये गये हैं। अगर कोई गलती से किया गया होगा तो कोई बात नहीं है लेकिन ये जिस ढंग से किये गये हैं वह ग्लैरिंग है कि किसी ने जानबूझकर अम्बाला विधान सभा क्षेत्र में शहर में और गांव में लोगों को इस खाद्यान्न की स्कीम के तहत पूरी तरह से इंसाफ न मिल सके इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये फैसले करके ये काम किया है। अब आप यह देखिए कि Detail of BPL families in the District Ambala City अर्बन में 16,608 फैमिलीज़ हैं और रूरल में 13,433 फैमिलीज़ हैं यानी की इस प्रकार से टोटल फैमिलीज़ 28,398 हैं और इसके बदले प्रॉयरिटी हाउसहोल्ड की लिस्ट जो डिप्टी कमिश्नर ने दी है वह 20,355 की है यानी कि 8 हज़ार परिवार तो इस क्राइटेरिया के भी नीचे हैं। जो बी.पी.एल.

प्लस ए.ए.वाई. हैं उनसे भी नीचे है। अब फर्दर मैं यह दिखाना चाहता हूं कि अम्बाला सिटी विधान सभा क्षेत्र में 28,398 के बदले 20,355, अम्बाला कैंट में 18,431 के बदले में 32,944 यानी कि डबल हैं। इस प्रकार से यहां पर आधे कर दिये और वहां पर डबल हैं। नारायणगढ़ में 12,143 ऐसे परिवार हैं जो बी.पी.एल. और ए.ए.वाई. के हैं और जब इन्होंने प्रॉयरिटी हाउसहोल्ड की लिस्ट बनाई है तो उसमें 22,512 हैं यानी कि यहां पर भी उससे डबल कर दिए गए। इसी प्रकार से मुलाना में बी.पी.एल. और ए.ए.वाई. के 12,563 परिवार हैं और जब मुलाना में प्रॉयरिटी हाउसहोल्ड की लिस्ट बनाई है तो वह संख्या 24,063 हो गई है यानी अम्बाला शहर विधान सभा क्षेत्र को छोड़कर बाकी सब जगह BPL + AAY X 2 = which found the priority household and in Ambala City BPL + AAY divided by 1/2 = priority household, that is the equation. यह मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल था। यही क्वैश्चन मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा है। इसके अलावा मैं यह बताता हूं कि जब मैं गांव और शहर को बाईफरकेट करता हूं तो एक और ही ग्लेरिंग बात सामने आती है कि शहर में 16,608 number of BPL families हैं। इसके बदले में declared priority household for food security scheme 3699 हैं यानी कि 3700 हैं। बी.पी.एल. के 16,608 कार्डों की जगह महज 3700 कार्ड बनाये हैं यानी कि बी.पी.एल. के 1/4 कर दिये अर्थात बी.पी.एल. के 1/4 लोगों को प्रॉयरिटी हाउसहोल्ड के कार्ड मिलेंगे। यह मेरा इनसे कहना है। इसके अलावा मैं उन ब्लॉक्स का भी जिक्र करना चाहता हूं जो कि इन्होंने कंसीडर नहीं किये। इनमें से अम्बाला सिटी के 78 ब्लॉकों को कंसीडर नहीं किया, इसी प्रकार से अम्बाला कैंट के 8 ब्लॉकों को कंसीडर नहीं किया और नारायणगढ़ के तीन ब्लॉकों को कंसीडर नहीं किया गया। मेरा कहना यह है कि यह स्कीम जो बनी है यह प्राइमरीली उन लोगों के लिए बनी है जो लोग सस्ता अनाज लेकर इस महंगाई के जमाने में अपना गुजारा कर सकें। इनको 2 रुपये प्रति किलो और 3 रुपये प्रति किलो अनाज मिलेगा और जिन लोगों को हम कोशिश करेंगे कि हम उन लोगों को बाहर निकाल दें भले ही वे इसके काबिल हों, भले ही वे डिजर्व करते हों और भले ही वे इस कैटेगरी में फॉल करते हों लेकिन अगर हम उनको बाहर निकाल दें तो उनको यह अनाज नहीं मिलेगा। मैं यह मानता हूं गरीब लोगों के साथ यह एक बहुत बड़ी ज्यादती होगी और यह एक बहुत बड़ा गुनाह होगा।

श्री महेन्द्र प्रताप : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने विशेष तौर से अम्बाला शहर के विषय में अचानक कल ही यह कॉलिंग अटैन्शन मोशन का नोटिस दिया है। इनके अनुसार अगर अम्बाला शहर का दूसरे शहरों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उस अनुपात के लिहाज से अम्बाला शहर में खाद्य सुरक्षा योजना के लिये प्राथमिकता वाले परिवारों की संख्या बी.पी.एल. और ए.ए.वाई. परिवारों की संख्या से 30 प्रतिशत से कम है जो कि दूसरे शहरों की तुलना में 1/3 से भी कम है। माननीय सदस्य की यह चिन्ता स्वाभाविक है। सारी जाँच करने के उपरान्त हमने पाया है कि इसमें किसी अधिकारी की कोई कमी नहीं है और न ही किसी ने जान-बूझकर ऐसा किया है। इसमें रजिस्ट्रार जनरल, भारत सरकार द्वारा जो कम्प्यूटर डाटा प्रदान किया गया था उसमें वायरस आ गया था और उसकी वजह से ये आंकड़े बदल गये हैं। अगर यह काम जान-बूझकर किया गया होता तो इन आंकड़ों को दुरूस्त ही न किया जाता। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स परिवारों की संख्या 38981 तय की गई है लेकिन जब यह सूची डिस्पले की गई तो उसमें डाटा वायरस की वजह से 3699 हो गई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इनकी चिन्ता वाजिब है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि माननीय सदस्य को

[श्री महेन्द्र प्रताप]

गरीब लोगों की कितनी चिन्ता है। यह बात हमारे संज्ञान में भी आई है और मैं यह कहना चाहता हूँ कि जितने भी बी.पी.एल. और ए.ए.वाई. परिवार हैं उन सबको इस सूची में रखा जायेगा। हमने इस बारे में उपायुक्त अम्बाला को आदेश दे दिये हैं तथा उसको दुरुस्त कर लिया गया है।

श्री विनोद शर्मा : सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि किसी किस्म की कोताही नहीं हुई है। मैं इनकी बात पर विश्वास करता हूँ। लेकिन मेरा मन अभी इस बात को पूरी तरह से नहीं मानता। मैं फिर भी मंत्री जी से एक बार गुजारिश करूँगा कि इसको जरा ध्यान से दिखवा लें। यहाँ तो यह काम हाऊस में कॉलिंग अटैन्शन मोशन देने की वजह से हो गया लेकिन हो सकता है सभी को यहाँ हाऊस में अपनी बात उठाने का मौका न मिले और हो सकता है सभी की इतनी पहुंच न हो कि वह हाऊस में अपनी बात उठवा सके और उनके साथ ज्यादती हो जाये। इसलिए मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि सभी शहरों का डाटा एक बार अवश्य देख लें तथा जिन अधिकारियों ने इस तरह की लापरवाही की है उनके खिलाफ भी ऐक्शन लें ताकि भविष्य में इस तरह की बात न हो।

श्री महेन्द्र प्रताप : सर, हमें पता चला है कि कुछ जगह के डाटा में और इस तरह की गड़बड़ हुई है तथा हम उसको भी दुरूस्त कर लेंगे।

प्रो. सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो यह खाद्य सुरक्षा विधेयक पास किया है यह एक लैंड मार्क है तथा इससे हमारी यू.पी.ए. की कांग्रेस अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया गांधी का सपना था कि कोई गरीब भूखा न सोए वह पूरा हुआ है। हरियाणा प्रदेश ने तो और भी फिराखदिली दिखाई कि जब ऑर्डिनैंस जारी हो गया तभी 20 अगस्त एक उपयुक्त दिन से जिस दिन स्व० श्री राजीव गाँधी जी का जन्मदिन होता है, उसी दिन से इस योजना को लागू कर दिया गया है। मैं मंत्री जी से एक तो यह जानना चाहता हूं कि आपने जब से सबको दाल और रोटी मिलने वाली स्कीम लागू की है उस दिन से अब तक आपके पास जो लाभान्वित लोग हैं क्या आप उनको सही तरीके से दाल और रोटी का प्रबंध दे रहे हैं? अगर दे रहे हैं तो आपने अब तक कितने परिवारों को इस स्कीम के तहत सामान डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। स्पीकर सर, दूसरा मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं जैसे बत्तरा जी ने भी कहा कि जो वार्ड ऑफ विलेज की कमेटी बनाई गई है इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर लिखा हुआ है सरपंच और नीचे लिखा हुआ है एस.सी. पंच। यह एस.सी.पंच का मतलब क्या है ? क्योंकि एस.सी. पंच तो गाँव में दो भी हो सकते हैं और अदर कास्ट का भी हो सकता है। अगर सरपंच एस.सी. है तो दूसरी कास्ट का मैम्बर बनेगा। मैंबर तो एक गाँव में नौ-नौ, दस-दस भी हो सकते हैं तो उनमें से कौन मैंबर होगा और कौन उनको नोमीनेट करेगा ? For village level, you have included Village Patwari whereas in Urban Level Committee, you have included Municipal Council, Ex-Municipal Councillor and Female member of the locality nominated by SDM. इनमें तीनों ही पब्लिक के आदमी हैं और अब विलेज पटवारी को भी इनके साथ जोड़ दिया। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस नोमीनेशन की प्रक्रिया को स्पष्ट करें that who will nominate? And my second request is that कि आप तीन मैम्बर की बजाय पांच मैम्बर की कमेटी बना दे जिसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाए क्योंकि महिलाएं अपने काम में ज्यादा केयरफुल रहती हैं।

क्योंकि आपने सारी पावर विलेज पटवारी की बजाय पंचायत को दे दी है। मैं मंत्री जी की बात से 100% एग्री करता हूं कि इसके साथ आपके कुछ लाभार्थ भी होते हैं। लेकिन गाँव के अन्दर ऐसे लोग भी होते हैं जिनके कोई लाभार्थ भी नहीं होते और वह सामाजिक कार्य करते हैं। डिप्टी स्पीकर सर, गांव में बहुत सभ्य आदमी होते हैं, सर्वमान्य व्यक्ति होते हैं। आप पाँच मैम्बर की कमेटी बना दें जो पाँचों पब्लिक के हों। चाहे वह एक्स सर्विस मैन हों। कमेटी में सरपंच और पंच के साथ तीन मैम्बर और जोड़ दें अन्यथा गाँव में डिवीजन हो जाता है। सरपंच का चुनाव होते ही गाँव एक सरपंच ग्रुप और एक एंटी सरपंच ग्रुप दो भागों में बंट जाता है। जो सरपंच ग्रुप है वह अपनी रगड़ निकालनी शुरू कर देता है। वह एंटी सरपंच ग्रुप के बी.पी.एल. कार्ड वगैरह कटवाने शुरू कर देता है, और उनका फायदा होने से रोक देता है।

श्री हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : स्पीकर सर, जो लोग सरपंच के साथ होते हैं वे धीरे-धीरे सरपंच को छोड़ना शुरू कर देते हैं।

प्रो. सम्पत सिंह : चट्ठा साहब आपकी बात ठीक है कि सरपंच द्वारा ऐसे कार्य करने से धीरे-धीरे उसकी पोजीशन ठीक नहीं रहती। गांव में आम कहावत है कि अगर किसी का नाश करना हो तो उसे गांव का सरपंच बना दो। गांव में कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई अच्छा आदमी भी सरपंच बन जाता है तो उसके खिलाफ भी लोग थैले उठाकर खड़े हो जाते हैं और धीरे-धीरे वह बुरा बन जाता है।

श्री सतपाल : क्या जहां सरपंच अनुसूचित जाति का होगा तो वहां मैंबर भी अनुसूचित जाति का ही होगा ?

प्रो. सम्पत सिंह : नहीं, यह तो मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि अगर सरपंच अनुसूचित जाति का है तो उससे अदर कटैगरी का मैम्बर बनेगा। अगर सामान्य कटैगरी का सरपंच है तो मैम्बर अनुसूचित कटैगरी का बन जाएगा। इसमें मेरा सुझाव यही है कि पांच मैम्बर की कमेटी बना दें। आपने जो नोमीनेशन के बारे में बताया है कि सभी जगह डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई कन्ट्रोलर्ज ही मैंबरों को नोमीनेट करेंगे। मैंने कल भी कहा था कि हमारी कैबिनेट में सभी मैंबर ईमानदार हैं और केवल मैंबर्ज की नोमीनेशन का काम डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई कन्ट्रोलर्ज पर न छोड़ें। अगर कोई बेईमान आदमी हो तो उसको कैसे पकड़ा जाता है इसका मुख्यमंत्री जी को पूरा अनुभव भी है। लेकिन फिर भी कुछ लोग दायें-बायें से किसी कुलीग या किसी और का प्रैशर डलवा कर बच जाते हैं, इसलिए आप अकेले डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई कन्ट्रोलर पर इस जिम्मेवारी को न छोड़ें कि वही नोमीनेट करेंगे। आप इस मैकेनिजम में परिवर्तन करें ताकि बेईमान आदमियों से इस प्रदेश को बचाया जा सके और लोगों को सरकार की नीति की पूरी दिशा मिल सके। मैं मंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि जैसे कई बार दाल का प्रबंध करने बारे अखबारों में जिक्र आया था। क्या मुख्यमंत्री जी ने दाल के लिये भी अलग से कोई नये आयाम स्थापित किये हैं? अब तक तो केवल रोटी के प्रबंध की बात थी अब फूड सिक्योरिटी बिल भी आ गया है। क्या अब सरकार ने रोटी के साथ-साथ दाल का भी प्रबंध कर दिया है? मैं मंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या ये दाल-रोटी की स्कीम कम्पलीटली शुरू हो गई है और बंटनी शुरू हो गई है ?

श्री आफताब अहमद : उपाध्यक्ष महोदय, पार्लियामैंट ने जो लैंड मार्क बिल पास किया है मैं उसी के संबंध में मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पी.डी.एस.) को

[श्री आफताब अहमद]

मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक गांव की लिस्ट ऑफ बेनिफिशरीज, पंचायत सैक्रेटरी या पटवारी के पास जरूर होनी चाहिए। प्राय: यह देखा गया है कि बहुत से लोगों को यह पता ही नहीं लगता कि उनका नाम बेनिफिशरीज लिस्ट में शामिल है या नही है तथा उनके नाम से भी राशन बटता है या नहीं। इस प्रकार यह राशन बेनिफिशरीज तक नहीं पहुंच पाता है। गांव के डिपो में भी बेनिफिशरीज की लिस्ट अवश्य होनी चाहिए ताकि जब संबंधित व्यक्ति डिपों में जायेगा तो उसे पता चल जायेगा कि उसका नाम भी बेनिफिशरीज लिस्ट में शामिल है और वह अपने हिस्से का राशन ले सकेगा। यदि ऐसा किया जायेगा तो मैं समझता हूं कि बेनिफिशरीज को लाभ अवश्य ही मिलेगा।

श्री महेन्द्र प्रताप : उपाध्यक्ष महोदय, अभी प्रो. सम्पत सिंह जी ने दो बातों का जिक्र किया है। एक तो इन्होंने दाल-रोटी योजना की बात कही है, और दूसरी सरकार की दाल-रोटी योजना का ठीक ढंग से संचालन करने वाली "वार्ड और विलेज की कमेटी के मैम्बर्ज की नॉमिनेशन" के बारे में बात की है। जहां तक इस कमेटी के मैम्बर्ज के नॉमिनेशन की बात है तो मैं बताना चाहता हूं कि नॉमिनेशन करने का मामला डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई कंट्रोलर के अधिकार क्षेत्र में आता है लेकिन इसके साथ ही साथ हमने नॉमिनेशन के मामले में डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई कंट्रोलर के साथ-साथ डिप्टी कमिश्नर्ज के रोल को भी ज्यादा रखने की कोशिश की है। उपाध्यक्ष महोदय, नॉमिनेशन/नामजद करने का कोई न कोई तरीका या क्राइटेरिया तो हमें अवश्य अपनाना ही पड़ेगा। जैसाकि अभी माननीय सदस्य ने सदन में जिक्र किया कि "दाल रोटी स्कीम" की मॉनिटरिंग करने वाली कमेटी में किस तरह के मैम्बर्ज होने चाहिएं, तो उस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि हम भी इनकी राय से एकमत हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन में सरपंच की बात आई कि अगर सरपंच शेड्यूल्ड कॉस्ट से संबंध रखता है तो फिर बाकी मैम्बर्ज दूसरी कॉस्ट्स के होंगे तो इस संबंध में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए प्रो. साहब का यह विचार की जब पंचायत के मैम्बर्ज में से "वार्ड और विलेज की कमेटी के मैम्बर्ज की नॉमिनेशन" की जाती है और ऐसा लगता है कि गांव की पंचायत में अनुभवी आदमी नहीं है तो इन लोगों के अतिरिक्त भी कुछ अतिरिक्त अच्छे लोगों को इस मॉनीटरिंग कमेटी का मैम्बर बनाया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह एक तर्कसंगत विचार है और भविष्य में इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखा जायेगा। दूसरी जो दाल की बात आई है तो इस संबंध में सदन को बताना चाहूंगा कि अब तक फूड सिक्योरिटी बिल में केवल रोटी का ही प्रबन्ध किया गया था लेकिन हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने रोटी के साथ-साथ दाल का भी प्रबन्ध कर दिया है। इस योजना को इसी वजह से "दाल-रोटी योजना" कहा जाता है। वैसे यह इस बिल का पार्ट नहीं है। इस अध्यादेश में तो केवल गेहूं की ही बात हुई है। हमारी स्टेट इसके ऊपर आने वाले 162 करोड़ रूपये के अनुमानित खर्च को खुद ही वहन करने वाली है। मुख्यमंत्री जी का यह फैसला तो हमने अगस्त माह में ही इम्पलीमैंट कर दिया था लेकिन इस पर कोर्ट का स्टे हो गया था जिसके कारण इस फैसले के इम्प्लीमैंटेशन में रुकावट आई। हमारी सरकार द्वारा उसका टैंडर भी दे दिया गया था। अब वह स्टे खत्म हो गया है। अब इस महीने में पिछले दो महीनों की दाल इक्ट्ठी कंज्यूमर्ज को दे दी जायेगी।

प्रो. सम्पत सिंह : महेन्द्र प्रताप जी, यह जो फैसला हुआ है यह केवल दाल प्रोवाईड करवाने के लिए ही हुआ है या गेहूं और दाल दोनों को प्रोवाईड करने के लिए हुआ है?

श्री महेन्द्र प्रताप : सम्पत जी, यह फैसला केवल दाल प्रोवाईड करने के लिए हुआ है। पिछली बार 5 किलो के हिसाब से प्रत्येक फैमली को गेहूं प्रावाईड करवा दिया गया था।

प्रो. सम्पत सिंह : अब तक कितनी फैमलिज को गेहूं दिया गया है, क्या इसका कोई रिकॉर्ड आपके पास है?

श्री महेन्द्र प्रताप : सम्पत जी, यदि स्टेट बी.पी.एल., सैंट्रल बी.पी.एल.और अन्त्योदय अन्न योजना के तहत आने वाली श्रेणियों को जोड़ लिया जाये तो कुल लाभार्थी फैमिलीज की संख्या तकरीबन 1284 लाख के करीब बनती है।

प्रो. सम्पत सिंह : यह तो केवल 1/3rd फैमिलीज ही बनती हैं बाकी फैमिलीज का क्या किया जा रहा है?

श्री महेन्द्र प्रताप : सम्पत जी, बाकी को आईडैंटिफाई किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा जाति, आर्थिक और सामाजिक आधार पर देहात और शहर में तीन तरह के सर्वे हुए हैं। अब ये लिस्टें राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से प्राप्त कर ली गई हैं। अब दोबारा से राज्य में इन लिस्टों के आधार पर व सैल्फ डिक्लेरेशन के द्वारा लोगों की आर्थिक स्थिति और सोशल स्थिति को जांचा जायेगा और जांचने के बाद बेनिफिशरीज लिस्ट में डाला जायेगा। अगर कोई गलती से स्टेट बी.पी.एल., सैंट्रल बी.पी.एल.और अन्त्योदय अन्न योजना के लाभार्थी की लिस्ट से वंचित रह जाता है तो उसके लिए क्लेम फार्म का भी प्रबन्ध किया गया है और आर्थिक व सोशल स्थिति की जानकारी के बाद संबंधित पक्ष का नाम भी बेनिफिशरीज लिस्ट में शामिल कर लिया जायेगा। इससे आगे बढ़कर मुख्यमंत्री जी ने एक और फैसला लिया है कि यदि इस कैटेगरी में 49.87 यानी 50 प्रतिशत से ज्यादा पात्र बढ़ जाते हैं तो फिर उनका खर्च स्टेट द्वारा वहन किया जायेगा।

अनुपस्थिति के संबंध में सूचना

Mr. Deputy Speaker : Hon'ble Members, I am to inform the House that I have received an intimation from Capt. Ajay Singh Yadav, Power Minister in which he has expressed his inability to attend the sitting of the House today the 10th September, 2013 as he has to attend the Power Ministers' Conference in New Delhi today.

Mr. Deputy Speaker : Hon'ble Members, I am also to inform the House that I have received an intimation from Smt. Renuka Bishnoi, MLA in which she has expressed her inability to attend the sitting of the House today the 10th September, 2013 due to her ill health.

सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र

Mr. Deputy Speaker : Now, the Finance Minister will lay the papers on the Table of the House.

Finance Minister (Sardar Harmohinder Singh Chattha) : Sir, I beg to lay on the Table of the House-

Indira Gandhi University, Meerpur Ordinance, 2013 (Haryana Ordinance No. 3 of 2013).

[स० हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा]

To lay on theTable the Personnel Department Notification No. G.S.R.9/ Const./Art.320/2013, dated the 1st April, 2013 regarding amendment in Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1973, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The Personnel Department Notification No. G.S.R. 13/Const./Art.320/2013, dated the 26th April, 2013 regarding amendment in Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1973, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The Town and Country Planning Department Notification No. DS-07/ 2008, dated the 28th January, 2008 regarding amendment in Haryana Development and Regulation of UrbanAreas Rules,1976, as required under section 24(3) of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975.

The Town and Country Planning Department Notification No. PF-69/ 33102, dated the 12th March, 2013 regarding amendment in Haryana Development and Regulation of UrbanAreas Rules,1976, as required under section 24(3) of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975.

The Town and Country Planning Department Notification No. PF-7/8/ 2013-2TCP, dated the 6th August, 2013 regarding amendment in Haryana Development and Regulation of UrbanAreas Rules,1976, as required under section 24(3) of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975.

The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/27/2013, dated the 9th January, 2013, as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/06/2004/1st Amendment/2013, dated the 19th June, 2013, as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 46/H.A.6/2003/ S.60/2013, dated the 30th April, 2013 regarding Amendment in the Haryana Value Added Tax (Amendment) Rules, 2013, as required under section 60(4) of the Haryana Value Added Tax Act, 2003.

The Annual Administrative Report of Haryana Public Service Commission for the year 2004-2005, as required under Article 323(2) of the Constitution of India.

The Audit Report on the Accounts alongwith 45th Annual Report of Haryana Financial Corporation for the year 2011-2012, as reuired under section 37(7) and 38(3) of the State Financial Corporations Act, 1951.

The Annual Report of the Haryana Electricity Regulatory Commission for the year 2011-2012, as required under sections 104(4) and 105(2) of the Electricity Act, 2003.

The 12th Annual Report of Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam Limited for the year 2010-2011, as required under section 619-A(3) (b) of the Companies Act, 1956.

The Annual Financial Report of Haryana Vidyut Prasaran Nigam Limited for the year 2011-2012, as required under section 619-A(3) (b) of the Companies Act, 1956.

Mr. Deputy Speaker : Now, the House is adjourned till 10.00 AM tomorrow the 11th September, 2013.

*14.35 Hrs. The Sabha then *adjourned till 10.00 a.m. on Wednesday, the 11th September, 2013.

51921—H.V.S.—H.G.P., Chd.